मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000

यथा संशोधित (2019)

मार्च 2019 तक संशोधित

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

CC4/Suresh Raikwar/Upvidi_2000

अनुक्रमणिका

कंडिका क्रमांक	विषय	पेज क्र0
	अध्याय - एक **प्रारंभिक**	
1	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1
2	परिभाषाएं	1-4
	अध्याय - दो **मण्डी समिति के सम्मेलन एवं कार्य**	
3	मण्डी समिति के सम्मेलन	5
4	सम्मेलन के प्रकार एवं विषय सूची	5
5	सम्मेलन की सूचना	5
6	सम्मेलनों में आवश्यक गणपूर्ति	6
7	सम्मेलन में कार्य सम्पादन	6
8	सम्मेलन का संचालन	7
9	सम्मेलन में अध्यक्ष की शक्तियां	7
10	कार्यवृत पुस्तक	8
11	सम्मेलन की कार्यवाही की भाषा	8
12	उप समितियों की रचना	8
13	सचिव की उपस्थिति	9
14	पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन	9-10
	अध्याय - तीन **मण्डी में विक्रय कार्य योजना**	
15	मण्डी में बिक्री कार्य योजना के लिए विशेष सम्मेलन	11-13

अध्याय - चार **विपणन का नियंत्रण** **अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण.**		
16	अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय	14-18
17	अनुबन्ध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया	18-21
18	कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना	21-26
19	अनुज्ञप्ति का निलंबित अथवा रद्द किया जाना	26-28
20	मण्डी फीस उद्ग्रहण	28-37
21	अभिलेखों की जॉच	37-39
22	अवशेष फीस का निर्धारण	39-40
23	निरीक्षण की व्यवस्था	40
24	मण्डी प्रांगण में कृषि उपज की नाप तौल एवं उपकरणों का रख-रखाव	41-42
25	मण्डी प्रांगण की व्यवस्था	42
26	मण्डी क्षेत्र के कृत्यकारियों के पारिश्रमिक	42-43
अध्याय - पांच **मण्डी प्रांगण के बाहर अन्य स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन**		
27	मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति	44
28	विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया	44
29	विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति	44-45
30	मंडी समिति द्वारा विशिष्ट अनुज्ञप्ति की स्वीकृति	45-47
31	मंडी प्रांगण के बाहर क्रय केन्द्रों पर विपणन की सुविधायें उपलब्ध कराना	47-48

32	विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करना	48
33	क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन एवं निर्गमन की व्यवस्था पर नियंत्रण	48
34	क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय की शर्त	49
35	क्रय केन्द्रों से अधिसूचित कृषि उपज का निर्गमन एवं परिवहन	49
36	क्रय केन्द्रों पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान	50
अध्याय-छः कृषि विपणन पुरस्कार योजना		
37	कृषि विपणन पुरस्कार योजना	51-56
अध्याय - सात संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन		
38	संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्ते	57-65
39	संविदा खेती	65
40	संविदा खेती का रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण)	65-66
41	संविदा खेती के करार से उत्पन्न विवादों का निपटारा	66
42	संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपजों के विपणन का नियंत्रण	67
43	निरसन तथा व्यावृतिया	68

अनुक्रमणिका

प्रारूप क्रमांक	प्रारूप/अनुसूची का विवरण	पेज क्र0
प्रारूप-एक	अनुबंध पत्र	69
प्रारूप-दो	सौदा पत्रक	70
प्रारूप-दो (अ)	क्रय केन्द्र पर उपयोग हेतु सौदा पत्रक	71
प्रारूप-तीन	तौल पर्ची	72
प्रारूप-चार	भुगतान-पत्रक	73
प्रारूप-पांच-अ	अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन "व्यापार हेतु"	74-78
प्रारूप-पांच-अ(एक)	अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन "केवल भण्डारण हेतु"	79-86
प्रारूप-पांच-ब	अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन (प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के उपयोग हेतु)	87-89
प्रारूप-पांच-स	अनुज्ञप्ति आवेदन (हम्माल, तुलैया, भण्डागारिक, सर्वे पर हेतु)	90
प्रारूप -पांच-द	मण्डी प्रांगण के बाहर अन्य स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज का विनियमन (''पृथक अनुज्ञप्ति'' के लिए आवेदन)	91-96
प्रारूप-छः	घोषणा पत्र (कंडिका 18(3) के अंतर्गत)	97
प्रारूप-छः-अ	घोषणा पत्र (कंडिका 29 के अंतर्गत)	98-99
प्रारूप-सात	सामूहिक प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र	100
प्रारूप-सात-अ	व्यक्तिगत प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र	101
प्रारूप-सात-ब	व्यक्तिगत प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र	102
प्रारूप-आठ	अनुज्ञप्ति (अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)	103
प्रारूप-आठ-अ	अनुज्ञप्ति (अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि कंडिका (30) के अंतर्गत)	104

अनुक्रमणिका

प्रारूप क्रमांक	प्रारूप/अनुसूची का विवरण	पेज क्र0
प्रारूप-नौ (9)	अनुज्ञा पत्र संशोधित (धारा 19(6) के अधीन) केवल राज्य मे उपयोग हेतु	105-106
प्रारूप-नौ (9)	अनुज्ञा पत्र संशोधित (धारा 19(6) के अधीन) केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु	107-108
प्रारूप-नौ (अ)	मंडी क्षेत्र मे वाणिज्यिक संव्यवहार की सूचना/घोषणा	109
प्रारूप-नौ (ब)	मंडी क्षेत्र में वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्र में कंडिका 20(10)(ग)(दो) घोषणा की सूची	110
प्रारूप-दस	अनुज्ञापत्र हेतु घोषणा पत्र	111-112
प्रपत्र-ग्यारह-क	पाक्षिक विवरण पत्रक-व्यापारी (खण्ड "क")	113
प्रपत्र-ग्यारह-ख	पाक्षिक विवरण पत्रक-व्यापारी (खण्ड "ख")	114
प्रपत्र-ग्यारह-ग	प्रांगण के बाहर "क्रय केन्द्र पर" क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी	115
प्रारूप-बारह-क	पाक्षिक विवरण पत्रक-प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता (खण्ड "क")	116
प्रपत्र-बारह-ख	पाक्षिक विवरण पत्रक-प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता (खण्ड "ख")	117
प्रारूप-बारह-ग	वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण या विनिर्माण हेतु क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों (दलहनों) की जानकारी का पाक्षिक / वार्षिक विवरण पत्रक	118
प्रारूप-बारह-घ	वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण या विनिर्माण हेतु क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों (दलहनों) के परिवहन/भुगतान/ प्रसंस्करण या विनिर्माण संबंधी जानकारी का पाक्षिक/वार्षिक विवरण पत्रक	119

अनुक्रमणिका

प्रारूप क्रमांक	प्रारूप/अनुसूची का विवरण	पेज क्र0
प्रारूप-बारह-ड.	अधिसूचित कृषि उपजो के भण्डारण एवं निर्गमन से संबंधित विवरण पत्र (भण्डागारिक के लिए)	120
प्रारूप-तेरह	आदेश (धारा 20(1) वं उपविधि कंडिका 21(1) के अधीन लेख पेश करने हेतु)	121
प्रारूप-चौदह-क	वार्षिक विवरण पत्रक-व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता (खण्ड "क")	122
प्रारूप-चौदह-ख	वार्षिक विवरण पत्रक-व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता (खण्ड "ख")	123
प्रारूप-चौदह-ग	वार्षिक क्रय-विक्रय का विवरण (चार्टर अकाउटेंट द्वारा हस्ताक्षरित)	124
प्रारूप-पन्द्रह	आगमन पंजी (जॉच चौकी के उपयोग के लिये)	125
प्रारूप-सोलह	निर्गमन पंजी (जॉच चौकी के उपयोग के लिये)	126
प्रारूप-सत्रह	मंडी क्षेत्र में कृषि उपजों के परिवहन की जॉच का प्रतिवेदन	127
प्रपत्र-अठारह	प्रांगण के बाहर "क्रय केन्द्र पर" क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी की दैनिक पंजी	128
प्रपत्र-उन्नीस	संविदा कृषि के लिये आदर्श अनुबन्ध	129-136
प्रपत्र-बीस	संविदा खेती के लिखित करार के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र	137-139
प्रपत्र-इक्कीस	संविदा खेती का पंजीयन पत्र	140
अनुसूची	उपविधि की कंडिका 27 के अधीन अधिसूचित कृषि क्रय करने की मात्रा।	141

****

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रदेश की मंडी समितियों के लिये उपविधियां सन् 2000

अध्याय - एक

प्रारंभिक

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

(क) इन उपविधियों का नाम कृषि उपज मंडी समिति ..... (मंडी समिति का नाम) मंडी समिति सम्मेलन, विपणन व्यवस्था एवं मंडी फीस उद्ग्रहण उपविधि 1999 होगा।

(ख) मंडी समिति का नाम कृषि उपज मंडी समिति ..... होगा।

(ग) कृषि उपज मंडी समिति ..... का मंडी क्षेत्र निम्नानुसार घोषित हैः-

.....

.....

.....

(2) परिभाषाएं :-

जब तक प्रसंग या विषय से कोई बात इसके विपरीत न हो मंडी समिति की उपविधि में निम्नानुसार परिभाषाओं का उपयोग किया जायेगा।

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) अधिनियम की धारा (2) में जो परिभाषाएं उपयोग में लाई गई है इनका इन उपविधियों में अनुसरण किया जायेगा।

(ख) **"मंडी क्षेत्र"** से तात्पर्य उस क्षेत्र से हैं जो मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा निर्धारित किया गया है एवं जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के दिनांक ..... के अंक के भाग ..... में पृष्ठ ..... में हो चुका है।

(ग) **"मंडी प्रांगण"** से तात्पर्य कृषि उपज मंडी ..... के प्रमुख मंडी प्रांगण से है जो मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा निर्धारित किया गया है एवं जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के दिनांक ..... के अंक के भाग ..... में पृष्ठ ..... में हो चुका है। इसमें वह सभी उपमंडी प्रांगण भी सम्मिलित होंगे जो समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तथा अधिसूचित किये गये हैं।

(ध) **"मूल मंडी"** से अभिप्रेत है कृषि उपज मंडी समिति ..... के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण के लिए मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग की विज्ञप्ती क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा घोषित क्षेत्र।

(ङ) **"अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मंडी समिति द्वारा मंजूर या नवीकृत अनुज्ञप्ति।

(च) **"भण्डागारिक"** से अभिप्रेत है, ऐसा कृत्यकारी जो स्वंय के अथवा अन्य व्यक्ति से या संस्था से या संस्था के भण्डार गृहों में अधिसूचित कृषि उपज भण्डारण पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप करता हो, किन्तु अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार न करता हो।

(छ) **"तुलैइया"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो पारिश्रमिक के प्रति फलस्वरूप कृषि उपज की तौल या माप का कार्य करे।

(ज) **"हम्माल"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि उपज को हटाने के लिए स्वयं के श्रम से कार्य करे, गाड़ियों, ट्रको एवं अन्य वाहनों में कृषि उपज को लादे या उतारे, बोरों या अन्य पात्रों में कृषि उपज को भरे या खाली करे, कृषि उपज की तौल या माप में सहायता करे।

(झ) **"सर्वेक्षक"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो कृषि उपज का उसके स्तर, श्रेणी, मिलावट या कटोतियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करें तथा उसका श्रेणीकरण करें, किन्तु अन्य किसी कृत्य यथा व्यापार, दलाली आदि में संलग्न न हो।

(त्र) **"क्रेता"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो अधिसूचित कृषि उपज का वाणिज्यिक या प्रसंस्करण या विनिर्माण के उपयोग के लिए क्रय करे। (दिनांक 03.03.2012 संशोधन)

(ट) **"विक्रेता"** से अभिप्रेत ऐसे कृत्यकारी से है जो अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय करे।

(ठ) **"अनुबंध"** से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का लिखित करार जो मंडी समिति में पदस्थ कर्मचारी द्वारा सम्पन्न कराया जाएं।

(ड़) **"सौदा"** से अभिप्रेत है मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में जो मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु नहीं आई हो किन्तु मंडी क्षेत्र के मूल मंडी के बाहर के किसी स्थान के विक्रेता द्वारा नमूने के आधार पर घोष विक्रय द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को मंडी समिति के माध्यम से विक्रय की जाएं और मंडी में पदस्थ कर्मचारी द्वारा मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/अथवा मंडी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर सम्पन्न कराया जाएं।" (दिनांक 29.08.2009 संशोधन)

(ढ) **"मिलावट"** से अभिप्रेत ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी उपज के स्तर को जानबूझकर कम करने के लिए प्रयुक्त की जाएं।

(ण) **"सूचना फलक"** से अभिप्रेत ऐसे फलक से है जो मंडी समिति के कार्यालय या मंडी प्रांगण में मंडी समिति द्वारा स्थापित किया जाएं।

(त) **"सम्मेलन"** से अभिप्रेत, मंडी समिति की बैठक से है जो अधिनियम, नियम या उपविधियों में विहित की गई रीतियों से आयोजित की जाएं।

(थ) **"प्रपत्र"** से अभिप्रेत है ऐसे प्रपत्रों से है जो अधिनियम, नियम या उपविधि द्वारा निर्धारित किये गये हो।

(द) **"मंडी कर्मचारी"** से अभिप्रेत ऐसे कर्मचारियों से है जो मंडी समिति में मंडी अधिनियम की धारा 26, 27, एवं 30 के अन्तर्गत पदस्थ हैं।

(ध) **"आंचलिक कार्यालय"** से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थापित किये गये आंचलिक कार्यालय से हैं।

(न) **"संयुक्त संचालक/उपसंचालक"** से अभिप्रेत है आंचलिक कार्यालय में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी। (दिनांक 03.03.2012 संशोधन)

(प) **"व्यापारिक संव्यवहार"** से अभिप्रेत है व्यापारिक लेनदेन, मंडी समिति को किये जाने वाले भुगतान, विवरणियां प्रस्तुत करने एव पत्राचार से संबंधित किये जाने वाला व्यवहार।

(फ) **"प्राथमिक सव्यवहार"** से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज का प्रथम बार विक्रय एवं क्रय।

(ब) **"वाणिज्यिक संव्यवहार"** से अभिप्रेत है मंडी क्षेत्र के अनुज्ञप्ति पत्र धारी व्यापारियों द्वारा मंडी फीस भुगतान की गई कृषि उपज का क्रय-विक्रय अथवा मंडी क्षेत्र के अनुज्ञप्ति धारी व्यापरियों द्वारा मंडी क्षेत्र के बाहर से मंडी शुल्क भुगतान की गई कृषि उपज को मंडी क्षेत्र में लाकर क्रय-विक्रय प्रसंस्करण या विनिर्माण करना।

(भ) **"मैनुअल"** से अभिप्रेत है, प्रबन्ध संचालक द्वारा क्रमांक ..... दिनांक ..... से जारी कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय मैनुअल।

(म) **"दलाल"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता व्यापारी की ओर से कृषि उपज के क्रय-विक्रय का सौदा कराये।

(य) **"कदाचरण"** से अभिप्रेत है मंडी समिति द्वारा जारी सूचना/पत्र जानबूझकर प्राप्त नही करना/टालना, मंडी समिति द्वारा जारी आदेश/निर्देश का पालन नहीं करना अथवा जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना।

(र) **"विवरणीयां"** से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय विक्रय प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित प्रबंध संचालक द्वारा विहित किये गये नियत कालिक विवरण। (दिनांक 03.03.2012 संशोधन)

(ल) **"नियत कालिक अवधि"** से अभिप्रेत विवरणीयां/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में नियत की गई अवधि।

अध्याय - दो

मंडी समिति के सम्मेलन एवं कार्य

(3) मंडी समिति के सम्मेलन :-

अपने सुचारू कार्य संचालन हेतु मंडी समिति प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपना सम्मेलन अनिवार्यतः आयोजित करेगी। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार प्रबंध संचालक अथवा क्षेत्रीय (आंचलिक) कार्यालय के संयुक्त संचालक/उपसंचालक मंडी बोर्ड अथवा कलेक्टर के निर्देश पर अध्यक्ष मंडी समिति द्वारा मंडी समिति का साधारण या विशेष सम्मेलन बुलाया जावेगा।

(4) सम्मेलन के प्रकार एवं विषय सूची :-

मंडी समिति का सम्मेलन साधारण अथवा विशेष हो सकेगा। सम्मेलन की तिथि, समय, स्थान अध्यक्ष द्वारा तथा विचारार्थ विषय सचिव द्वारा निर्धारित किये जावेंगे। साधारण सम्मेलन के लिए अध्यक्ष एवं मंडी समिति के कम से कम तीन निर्वाचित सदस्य सम्मेलन प्रारंभ होने से 48 घन्टे पूर्व कोई व्यवहारिक विषय सम्मेलन की कार्य सूची में जोड़ने का आग्रह लिखित में मंडी सचिव को देंगे तो ऐसे विषयों को कार्यसूची में शामिल करना अनिवार्य होगा। (संशोधन 15.03.2019)

(5) सम्मेलन की सूचना :-

प्रत्येक सम्मेलन की सूचना (जिसमें निर्धारित तिथि, समय, स्थान तथा विचारार्थ विषय स्पष्ट उल्लेखित होंगे) प्रत्येक ऐसे सदस्य को जो सम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु सक्षम है, भेजी जावेगी तथा सूचना फलक पर भी चस्पा करके प्रदर्शित की जावेगी। सूचना अधिमान्यतः प्रेषण प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत (अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग) भेजी जावेगी। साधारण सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तिथि से 7 दिन पूर्व तथा विशेष सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तिथि से 3 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य होगा। विशेष सम्मेलन की सूचना विशेष वाहक के द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। सम्मेलन की सूचना सचिव के हस्ताक्षर से प्रेषित होगी।

(6) सम्मेलनों में आवश्यक गणपूर्ति :-

(1) मंडी समिति के किसी भी सम्मेलन में समिति का गठन करने वाले तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना गणपूर्ति के लिये अनिवार्य होगा, गणपूर्ति के अभाव में सम्मेलन में कार्य संचालन नहीं हो सकेगा।

(2) सम्मेलन हेतु निर्धारित समय से आधे घंटे की अवधि के अन्तर्गत यदि गणपूर्ति न हो सकी तो उसके अभाव में सम्मेलन अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया जावेगा।

(3) उपविधि 6 (2) के अनुसार स्थगित किया गया सम्मेलन स्थगन समय के कम से कम 48 घन्टे पश्चात् पुनः आयोजित किया जा सकेगा। ऐसे पुर्नयोजित सम्मेलन की सूचना केवल सूचना फलक पर ही प्रदर्शित की जावेगी और ऐसी सूचना मान्य होगी। पुर्नयोजित ऐसे सम्मेलन में गणपूर्ति अनिवार्य नहीं होगी किन्तु इसमें केवल वही कार्य सम्पन्न हो सकेगा जो मूल सम्मेलन (यदि वह स्थगित न होता) के लिए निर्धारित किया गया था।

(7) सम्मेलन में कार्य सम्पादन :-

(1) मंडी समिति के सम्मेलन में केवल वही कार्य सम्पादित होगा जो संबंधित सूचना में उस सम्मेलन हेतु निर्धारित किया गया हो। किन्तु विचारार्थ विषयों में निर्धारित न होते हुए भी सचिव द्वारा प्रस्तावित और अध्यक्ष की अनुमति से कोई आवश्यक अन्य विषय को अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा। (संशोधन 15.03.2019)

(2) मंडी समिति का कोई भी प्रस्ताव पारित किए जाने के तीन माह के अन्तर्गत सामान्यतः संशोधित या निरस्त नही किया जा सकेगा परन्तु समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्य लिखकर पारित प्रस्ताव में संशोधन या उसके निरसन हेतु समावेदन प्रस्तुत करें तब संशोधन किया जा सकेगा। ऐसे समावेदन की प्राप्ति

के अधिक से अधिक एक माह की अवधि के अन्तर्गत उक्त समावेदन पर विचार किया जा सकेगा।

(8) सम्मेलन का संचालन :-

(1) सम्मेलन का संचालन अधिनियम की धारा 16 के अनुसार यथा स्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।

(2) किसी प्रकरण में यदि मतभेद उपस्थित हो जावे तो इसका निर्णय मतों द्वारा किया जावेगा। मतदान पर्ची पर प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में लिखकर होगा। यदि दोनो पक्षों में समान **"मत"** हो तो अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(3) उपविधि 8(1) के अनुसार यदि सम्मेलन की कार्यवाही कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा संचालित की जा रही हो और इसी बीच अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष सम्मेलन के दौरान उपस्थित हो जावे तो वह कार्यवाहक अध्यक्ष से अध्यक्षता संबंधी अपनी शक्तियां वापस ले सकेगा।

(9) सम्मेलन में अध्यक्ष की शक्तियां :-

(1) सम्मेलन में अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था रखी जावेगी। यदि किसी सदस्य का व्यवहार, उसकी दृष्टि से उच्छंखल हो तो वह ऐसे सदस्य को सम्मेलन से बाहर चले जाने हेतु निर्देश दे सकेगा। परिस्थिति न सुधरने की दशा में अध्यक्ष सम्मेलन को ऐसे समय तक के लिए स्थगित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) यदि कोई सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन से बाहर चले जाने हेतु निर्देशित किया गया हो परन्तु वह सम्मेलन में अवैधानिक रूप से उपस्थित बना रहे तो अध्यक्ष को उसे सम्मेलन से बाहर किए जाने के लिए ऐसी कार्यवाही करने का अधिकारी होगा, जो वह उचित समझे।

(10) कार्यवृत पुस्तक :-

मंडी समिति एक कार्यवृत पुस्तक रखेगी जिसमें प्रत्येक सम्मेलन के कार्य का विवरण हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में अभिलिखित किया जावेगा। अभिलिखित कार्य का विवरण प्रत्येक सम्मेलन की समाप्ति के तत्काल पश्चात् अध्यक्ष तथ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा। पंजी में दर्ज कार्यवाही विवरण 05 कार्यदिवस में सदस्यो को प्रसारित की जाएगी एवं आगामी सम्मेलन में उसकी पुष्टि कराई जावेगी। भारसाधक अधिकारी नियुक्त रहने की दशा में कार्यवृत पुस्तक पर भारसाधक अधिकारी एवं सचिव हस्ताक्षर करेंगे। समिति की बैठक की विडियो ग्राफी करना अनिवार्य होगा। (संशोधन 15.03.2019)

(11) सम्मेलन की कार्यवाही की भाषा :-

सम्मेलन की प्रत्येक कार्यवाही की भाषा हिन्दी होगी।

(12) उप समितियों की रचना :-

(1) मंडी समिति किसी भी प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन देने के लिये या राय प्रस्तुत करने के लिये उप समिति नियुक्त कर सकेगी। उप समिति का प्रतिवेदन अथवा उसकी राय का परामर्श के रूप में समिति के निर्णय अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(2) किसी भी उप समिति में कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 5 सदस्य होगे जिनमें से दो तिहाई कृषक सदस्य होगे। किन्तु मंडी समिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय दो से अधिक उप समितियों का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) यदि मंडी समिति का अध्यक्ष किसी उपसमिति का सदस्य हो तो वह ऐसी उपसमिति का भी अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपसमिति का अध्यक्ष होगा। यदि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष दोनों ही किसी उपसमिति के सदस्य न हो तो ऐसी उपसमिति के सदस्यों में से किसी एक को मंडी समिति द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा।

(4) मंडी समिति द्वारा प्रांगण में नीलामी, क्रय-विक्रय, तौल, भुगतान, नीलामी में भाव निर्धारण आदि विवादो एवं शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जायेगा जिसमें दो कृषक सदस्य, एक व्यापारी सदस्य एवं प्रांगण प्रभारी सदस्य सचिव रहेंगे। निर्वाचित मंडी समिति अस्तित्व में नही होने पर उप समिति में प्रांगण प्रभारी एवं दो उप निरीक्षक सदस्यों के रूप में रहेंगे। (संशोधन 15.03.2019)

(13) सचिव की उपस्थिति :-

मंडी समिति तथा उसकी किसी उपसमिति के सम्मेलन में सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी प्रकरण पर अपनी राय दे सके अथवा अधिनियम, नियम व उपविधियों की व्याख्या और जानकारी प्रस्तुत करें। सचिव द्वारा दी गई राय बैठक की कार्यवाही में अभिलिखित की जावेगी।

(14) पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन :-

(1) समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन तत्काल प्रारंभ किया जाएगा तथापि मंडी समिति के प्रत्येक प्रस्ताव पर अधिनियम, नियम, उपविधि अथवा प्रबंध संचालक के निर्देश का उल्लेख किया जायेगा। समिति यदि उसकी शक्ति से परे कोई निर्णय लेती है तब सचिव उस पर अपना अभिमत अंकित करेगा।

(2) समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण 7 दिन के भीतर क्षेत्रिय कार्यालय के संयुक्त संचालक/ उपसंचालक को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव जिसमें सचिव द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज की गई है उस ठहराव का क्रियान्वयन आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जायेगा। आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा विधि विरूद्ध लिये गये समिति के किसी निर्णय का क्रियान्वयन संयुक्त संचालक/ उपसंचालक द्वारा स्थगित किया जायेगा, किन्तु इसके पूर्व सचिव को सुना जायेगा।

सचिव को सुनने के बाद संयुक्त संचालक/उपसंचालक को अधिकार होगा कि वह विधि विरूद्ध पाये गये किसी भी प्रस्ताव को रदद् कर दें। (संशोधन 15.03.2019)

अध्याय - तीन
मंडी में विक्रय कार्य योजना

(15) मंडी में बिक्री कार्य योजना के लिए विशेष सम्मेलन :-

प्रत्येक माह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में खरीफ फसल के लिए एवं फरवरी के अन्तिम सप्ताह में रबी फसल के लिए, समिति का विशेष सम्मेलन आहूत किया जाएगा। सचिव द्वारा तैयार **"बिक्री कार्य योजना"** इन सम्मेलनों में प्रस्तुत की जाएगी।

मंडी बिक्री कार्य योजना तैयार करना :-

कितने ग्रामों के उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए मंडी प्रांगण का उपयोग किया जाता है, यह पता लगाने के लिये मंडी प्रांगण के गेट पर बनने वाली गेट पर्ची (प्रवेश पंजी) का उपयोग किया जायेगा। इस पंजी में दर्ज उत्पादकों को देखकर उन ग्रामों की सूची तैयार की जावे जिसके उत्पादक इस मंडी प्रांगण का उपयोग अपना उत्पाद बेचने के लिये कर रहे है। ये ग्राम मंडी क्षेत्र की अधिसूचित सीमाओं के अन्दर एवं बाहर के हो सकते हैं।

इन ग्रामों की सूची में आने वाले नामों को तहसील के मजमूली नक्शे पर सीमांकित किया जावे। इस तरह जो क्षेत्र सीमांकित होगा वह क्षेत्र होगा, जहॉ के उत्पादक अपने उत्पाद बेचने के लिये वास्तविक रूप से इस मंडी का उपयोग करते है। इसे मंडी समिति का कार्यात्मक क्षेत्र माना जावेगा।

आधारभूत आकड़ों का संकलन :-

मंडी का कार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात् वास्तव में मंडी प्रांगण का उपयोग करने वाले ग्रामों की कुछ आधारभूत जानकारी कृषि विभाग से प्राप्त की जावेगी। इसके तहत निम्न जानकारी ली जावेगी-

(क) ग्राम में विभिन्न फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र,

(ख) ग्राम की प्रत्येक फसल का औसत उत्पादन,

(ग) ग्राम का फसलवार कुल अनुमानित उत्पादन,

(घ) प्रत्येक फसल का बाजार में बिक्री योग्य उत्पाद।

उक्त आधारभूत आंकड़ो के आधार पर यह ज्ञात हो सकेगा कि इस फसल मौसम में कौन-कौन तरह की फसलो के कितनी-कितनी मात्रा में उत्पाद बाजार में आने की संभावना है। प्रत्येक फसल के लिए पृथक-पृथक गणना की जावेगी।

क्रय एजेसिंयो के साथ तैयारी बैठक का आयोजन :-

आधारभूत जानकारी तैयार करने के पश्चात् मंडी प्रांगण में उन उत्पादों को क्रय करने वाली एजेंसियों के साथ बैठक का आयोजन किया जावेगा। इस बैठक में क्रय ऐजेंसियां जैसे व्यापारी, सरकारी एवं अर्द्वशासकीय ऐजेंसियां, तुलैइयों, हम्मालों के प्रतिनिधि तथा मंडी समिति से संबंधित कर्मचारीगणों को बैठक में बुलाया जावेगा। इस बैठक में "मंडी बिक्री कार्य योजना" पर विचार विमर्श किया जावेगा।

मंडी बिक्री कार्य योजना में सचिव मंडी समिति द्वारा यह जानकारी दी जावेगी कि इस फसल मौसम में इस मंडी प्रांगण में किन-किन ग्रामों की कौन-कौन सी फसलों की कितनी-कितनी मात्रा आने की संभावना है। इस मात्रा को ध्यान में रख कर यह चर्चा की जावे कि क्रय ऐजेंसियां और क्रेताओं द्वारा इस उत्पाद को क्रय करने के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था करे। पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था हो, तुलाई की उचित व्यवस्था हो, भण्डारण तथा परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए इन सब मदो पर चर्चा कर आवश्यकताओं का आंकलन किया जावे तथा उनकी व्यवस्था किस तरह की जाना प्रस्तावित है इसका एक लिखित प्रस्ताव बैठक में निश्चित किया जावेगा।

बैठक में यह भी निर्धारित किया जावेगा कि प्रति दिन अधिकतम कितना उत्पाद विक्रय हेतु रखने की क्षमता मंडी प्रांगण की है। कितना उत्पाद क्रेताओं के द्वारा क्रय किया गया माल कितने समय तक मंडी प्रांगण में रखा जावेगा तथा कब उसका परिवहन किया जावेगा। उक्त मदों पर सब तैयारियां पूर्व से की जावेगी।

इस बैठक के निर्णय के आधार पर तैयार योजना को मंडी समिति के विशेष सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा कर चर्चा करायी जावे, एवं समिति के उपयुक्त सुझावों को योजना में सम्मिलित करते हुए योजना कार्यान्वित की जावेगी।

अध्याय - चार

विपणन का नियंत्रण

अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण.

(16) अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय :-

(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी मंडी की स्थापना होने पर;-

(क) घोष विक्रय प्रांगण के चिन्हित (अनुक्रमित) ले-आउट की एक प्रति मंडी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जावेगी।

(ख) प्रवेश पंजी में प्रविष्टि एवं अनुक्रमांक लेकर मंडी प्रांगण में वाहन प्रवेश करेगा।

(ग) वाहन/ढेरी को लगाने के लिये स्थानों को क्रम दिया जायेगा और उन्हें कतारबद्ध रूप में लगाया जायेगा।

(घ) मंडी में प्रवेश करने वाले वाहन की प्रवेश पर्ची पर ऐसे स्थान का अनुक्रमांक अंकित होगा जहॉ उसे ढेरी लगाना है या वाहन खड़ा करना है।

(ड.) वाहन निर्धारित क्रमांक पर ही खड़ा करना होगा/ढेरी लगाना होगी।

(च) निलामी का क्रम एक नम्बर से प्रारंभ होगा।

(छ) वाहनों के प्रवेश एवं नीलामी के लिये कृषि उपज मंडी समिति **कार्यालय मैनुअल अध्याय-छः** में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) की कृषि उपज के लिये घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रांरभ नहीं होगी। एक बोली से दूसरी बोली का अंतर एक रूपये से कम का नहीं होगा।

मंडी प्रांगण में यथासंभव ग्रेडिंग की व्यवस्था उपलब्ध करी जायेगी। जिन मंडी समिति में ग्रेडिंग सुविधा उपलब्ध है उसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज की औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) निर्धारित है उसका मंडी में ग्रेडिंग अन्तर्गत एफ.ए.क्यू. के समान मापदण्ड पाये जाने पर संबंधित कृषि

उपज का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बोली प्रारंभ नहीं होगी। (संशोधन 15.03.2019)

(ज) "साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाशों के लिये मंडी समिति रबी फसल के लिये आयोजित क्रय योजना की विशेष सम्मेलन में वार्षिक अवकाश के दिन निर्धारित करेगी एवं सार्वजनिक रूप से प्रकाशन करेगी।"

परन्तु मंडियों मे साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त यदि निगोशियेबल इन्सूट्रीमेंट एक्ट अंतर्गत घोषित बैंकिग अवकाश या अन्य घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण लगातार दो दिवस या इससे ज्यादा मंडी मे अवकाश की स्थिति निर्मित हो रही होगी, तो मंडी समिति के लिये यह आवश्यक होगा की वह ऑचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक के लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे अवकाशों को घोषित करे अन्यथा नहीं। सयुक्त संचालक/उप संचालक ऑचलिक कार्यालय, जनहित मे मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेगें, परन्तु उनके द्वारा मंडी अवकाश निरस्तीकरण के लिये विधिवत् कारण सहित आदेश जारी किया जावेगा। (आदेश दिनॉक 09.04.2015 से संशोधित)

(2) अधिनियम की धारा 36 (3) के प्रावधानों के अनुसार कृषि उपज के मूल्य का निर्धारण खुले घोष विक्रय द्वारा किया जावेगा जिसका संचालन मंडी समिति के कर्मचारी द्वारा ही किया जावेगा।

परन्तु ऐसी कृषि उपज, जिसके लिए (शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार औसत अच्छी कृषि उपज) कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है की कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जाएगी जो घोषित की गई है मंडी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जायेगी। निलामकर्ता कर्मचारी द्वारा कृषि उपज की नीलामी, उस कृषि उपज के लिये शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से प्रारंभ की जायेगी औसत अच्छे किस्म की कृषि उपज का

निर्धारण कलेक्टर द्वारा मनोनित समिति करेगी, यही समिति इस संबंध में आये विवादों का निपटारा करेगी।

(3) नीलाम की बोली स्पष्ट लगाई जावेगी जिसका कि विक्रेता/कृषक को भी ज्ञान हो सके। घोष विक्रय में किसी भी प्रकार के इशारों और संकेतो का प्रयोग नही किया जावेगा। (दिनांक 07.11.17 संशोधन)

(क) घोष विक्रय के दौरान इशारो एवं संकेतो का प्रयोग, (कॉर्टेलाईजेशन) दुरभि-संधि, कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का प्रयास संज्ञान में आने पर अथवा विक्रेता/कृषक द्वारा शिकायत करने पर मंडी की उप समिति द्वारा मामले का स्थल पर ततपरता पूर्वक निराकरण करा जायेगा। उप समिति की रिपोर्ट पर मंडी समिति द्वारा उक्त अनियमितता में संलग्न पाये गये मंडी कृत्यकारी को प्रथम बार चेतावनी दी जा सकेगी, दूसरी बार अनियमितता में संलग्न पाये जाने पर आर्थिक दण्ड तथा निरंतर अनियतिता की पुर्नवृत्ति करने पर क्रय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति का निलंबन, अथवा अनुज्ञप्ति निरस्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही मंडी समिति द्वारा करी जायेगी। (संशोधन 15.03.2019)

(4) घोष विक्रय द्वारा मूल्य तय होने के पश्चात् मंडी कर्मचारी द्वारा विक्रता/कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति क्रेता को दी जाएगी। अनुबंध प्रारूप-एक में निष्पादित किया जावेगा। अनुबंध पत्र पर मंडी समिति के कर्मचारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होगे और विक्रेता/कृषक तथा क्रेता के हस्ताक्षरों के अभाव में भी उक्त अनुबंध निष्पादित समझा जावेगा व दोनो को अनुबद्ध करेगा। अनुबंध पत्र में मंडी समिति के कर्मचारी द्वारा प्रवृष्ठियां की जावेगी।

परन्तु मंडी क्षेत्र के भीतर लेकिन मूल मंडी क्षैत्र के बाहर का विक्रेता/कृषक अपनी विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज को किसी

कारणवश मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में नहीं ला पाता है और नमूने के आधार पर ऐसी कृषि उपज का विक्रय करना चाहता है, तब केवल बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज का मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/अथवा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल पर नमूने के आधार पर घोष विक्रय कराया जायेगा और ऐसे विक्रय के संबंध में सचिव मंडी समिति द्वारा प्रारूप-दो में सौदा पत्रक संपादित कराया जाएगा।(आदेश दिनॉक 29.08.2009)

मंडी प्रांगण में के सिवाय, मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों का क्रय-विक्रय केवल उपविधि कंडिका (31) के अधीन स्थापित क्रय केन्द्रों पर ही सम्पन्न होगा।

(5) अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने के पूर्व विक्रेता/कृषक को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह घोष विक्रय द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपनी कृषि उपज का विक्रय करने से मना कर दे तथा इस प्रकार ऐसे विक्रय को निरस्त कर दे अथवा सर्वोच्य बोली से नीचे की पहली बोली लगाने वाले क्रेता को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए सहमति प्रदान करें।

"परन्तुक अनुबंध निष्पादन के पश्चात् भी विक्रेता/कृषक 5/- रूपये शुल्क के साथ सचिव मंडी को कारणों का उल्लेख करते हुये अनुबंध रदद् करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और सचिव मंडी संक्षिप्त जांच के बाद आवेदन पर अपना निर्णय अंकित करेगा एवं आवेदन के निराकरण की वही प्रक्रिया होगी जैसी कि उपविधि (17) की कंडिका (8) के उल्लेख है।"

(6) उपविधि 16(5) के अंतर्गत विक्रय निरस्तीकरण शुल्क दस रुपया वसूल किया जावेगा। ऐसी कृषि उपज का घोष विक्रय, उस दिन के नियमित घोष विक्रय की समाप्ति के पश्चात् पुनः किया जावेगा और पुनः निरस्त होने पर विक्रय निरस्तीकरण शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा। (संशोधन 15.03.2019)

(7) (आदेश दिनॉक 13.03.2015) (आदेश क्रमांक-450 दिनॉक 27.02.2016 से निरस्त किया गया)

(16-क) समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन -

(1) राज्य सरकार द्वारा उर्पाजन हेतु प्राधिकृत विभाग, निगम अथवा संस्था (तत्पश्चात् जिसे शासकीय नियोक्ता संस्था कहा जावेगा) द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उर्पाजन के लिये एजेन्ट/अभिकर्ता नियुक्त किये जा सकेगें। ऐसा ऐजेन्ट/अभिकर्ता मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी होगा।

(2) उपकंडिका (1) में प्राधिकृत ऐजेन्ट/अभिकर्ता द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन ऐसे निर्देशों के अधीन किया जा सकेगा जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में शासकीय नियोक्ता संस्था के द्वारा उल्लेखित हो, परन्तु यह निर्देश उक्त अधिनियम तदाधीन प्रभावशील नियम एवं उपविधि में प्रावधान के अध्ययाधीन ही होगें।

(3) ऐसा ऐजेन्ट/अभिकर्ता अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन कृषक से समर्थन मूल्य पर मंडी क्षेत्र के भीतर कर सकेगा।

(4) ऐसे एजेन्ट/अभिकर्ता राज्य सरकार द्वारा उसके प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित दर से कमीशन प्राप्त करने की पात्रता रखेगें, परन्तु निर्धारित कमीशन की राशि का भुगतान नियुक्त एजेन्ट/अभिकर्ता/ शासकीय नियोक्ता संस्था द्वारा कृषक को भुगतान की जाने वाली कीमत से नहीं काटी जावेगी।

(5) उक्त अधिनियम तदाधीन प्रभावशील नियम एवं उपविधि के प्रावधान एजेन्ट/अभिकर्ता/व्यापारी पर यथा स्थित प्रभावशील रहेगें।

(17) अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया :-

(1) घोष विक्रय में क्रय की समस्त कृषि उपज की तौल या माप अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में की जाएगी।

(2) सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक में उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की

जाएगी। बी.ओ.टी. तौलकांटे से जारी इलेक्ट्रानिक तौल पर्ची मान्य होगी। (संशोधन 15.03.2019)

(3) तौल के पश्चात् वास्तविक वजन की **"तौलपर्ची"** अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा प्रारूप-तीन में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी तीन रंग की तीन प्रतियों में जारी की जाएगी। सफेद प्रति मूल प्रति होगी। शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/कृषक को तथा गुलाबी प्रति क्रेता को दी जाएगी। तौल पुस्तिका अनुज्ञप्तिधारी तुलैया को मंडी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। मंडी समिति द्वारा स्थापित तौलकांटों की तौलपर्ची को भी मान्य किया जायेगा।

(क) तौल पर्ची (पुस्तिका) तुलैयों को दिये जाने के पूर्व इसका पूर्ण अभिलेख (तौल पर्ची पुस्तिका की प्राप्ति, प्रदाय, शेष स्कंध एवं उपयोग की गई तौल पुस्तिका की वापसी आदि) मंडी समिति द्वारा संधारित किया जायेगा एवं तौल पर्ची (पुस्तिका) के उपयोग के संबंध में मासिक समीक्षा भी की जावेगी।

(ख) तौल पर्ची में क्रेता व्यापारी का नाम तथा जिस दर से कृषि उपज नीलाम में क्रय की गई है, भी अंकित की जावेगी।

(4) अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक एवं तौल पर्ची के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक के पक्ष में क्रमशः सफेद, हरा, गुलाबी रंग की तीन प्रतियों में संशोधित भुगतान पत्रक निष्पादित किया जाएगा। प्रारूप-चार सफेद प्रति मूल प्रति होगी शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति मंडी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस मे प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता/कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि होने के उपरांत ही संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी।(आदेश दिनॉक 20.11.2017)

(क) यदि क्रेता व्यापारी कम्प्यूटर आधारित (डिजिटल) भुगतान पत्रक जारी करता है तो मंडी समिति द्वारा भुगतान पत्रक

क्रमांक हेतु यूनिक नंबर प्रदान किया जायेगा। क्रेता व्यापारी तीन प्रतियों में भुगतान पत्रक जारी कर सकेगे। प्रथम प्रति मंडी को, द्वितीय विक्रेता को तथा तृतीय प्रति क्रेता को दिया जायेगा। (संशोधन 15.03.2019)

(5) क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक को उसी दिन पूर्ण भुगतान सनिश्चित किया जायेगा। नगद भुगतान तथा आरटीजीसी/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित जावेगा। जिसके विवरण का स्पष्ट उल्लेख संशोधित भुगतान पत्रक प्रारूप-चार के कॉलम क्रम-10 मे स्पष्ट अंकित किया जावेगा।

विक्रेता/कृषक को भुगतान के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा मे अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार आगामी मूल्य दिन का एक प्रतिशत की दर से पांच दिन तक 05 प्रतिशत अतरिक्त भुगतान देय होगा। क्रय के दिन से 05 दिन के भीतर भुगतान नहीं किये जाने पर छटवे दिन, अनुज्ञप्ति संबंधित क्रेता की रद्द समझी जावेगी तथा उसे या उसके नातेदार (धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण मे विनिर्दिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनिज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी। जिसका स्पष्ट उल्लेख संशोधित भुगातन पत्रक प्रारूप-चार के नोट मे अंकित जावेगा। (दिनांक 20.11.2017 संशोधित)

(6) अनुबंध/सौदा पत्रक के निष्पादन के बाद बेची गई कृषि उपज के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा।

(7) अनुबंध/सौदा पत्रक में उल्लेखित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति कृषि उपज क्रय नही करेगा इस पर जानबूझकर ऐसा करने वाले क्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी।

(8) अनुबंध/सौदा पत्रक के निष्पादन के बाद क्रेता द्वारा क्रय की गई कृषि उपज की तौल या माप कराने से क्रेता, विक्रेता/कृषक को सीधे इन्कार नही कर सकेगा यदि उसे कोई आपत्ति है तो लिखित रूप में

5.00 रूपये शुल्क के साथ मंडी समिति में आवेदन प्रस्तुत करेगा। मंडी सचिव ऐसे आवेदन की संक्षिप्त जांच के बाद अपना विनिश्चय उसी दिन अंकित करेगा तथा क्रेता एवं विक्रेता/कृषक दोनो को नोट करायेगा। कोई भी पक्ष जो सचिव के विनिश्चय से असंतुष्ठ होगा 10.00 रूपये शुल्क के साथ मंडी समिति के अध्यक्ष को अपील करेगा। अध्यक्ष दोनों पक्षों की साक्ष्य लेने के पश्चात् अपने विवेक से उपयुक्त जांच के बाद अपना निर्णय पारित करेगा। दोनों पक्षों में से यदि कोई भी असंतुष्ठ होगा तब लिखित आपत्ति प्रस्तुत करेगा एवं पूरा प्रकरण मंडी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। मंडी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(18) कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना :-

(1) अनुज्ञप्ति फीस

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ न्यूनतम निम्नानुसार दर से फीस जमा की जाएगीः-

(क)	व्यापारी/केवल भण्डारण हेतु व्यापार/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता पक्का आढ़तियां/सर्वेक्षक/ भण्डारगारिक	:	एक हजार रूपये (1000.00)
(ख)	दलाल/परिवहनकर्ता	:	आठ सौ रूपये (800.00)
(ग)	तुलैया	:	पांच सौ रूपये (500.00)
(ध)	हम्माल	:	दो सौ रूपये (200.00)

(2) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

अधिनियम की धारा 31 में उल्लेखित कृत्यकारी एवं उपविधि क्रमांक 2(घ) में उल्लेखित कृत्यकारी अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मंडी

समिति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्राप्त करने के लिये यथास्थिति **प्रारूप-पांच 'अ'** या **प्रारूप-पांच 'अ'(एक)** या **पांच 'ब'** या **पांच 'स'** में आवेदन प्रस्तुत करेगा। **प्रारूप-पांच 'अ'** हरे रंग के कागज पर होगा **प्रारूप-पांच 'अ'(एक)** गुलाबी रंग के कागज पर होगा **प्रारूप-पांच 'ब'** लाल रंग के कागज पर होगा। जबकि **प्रारूप-पांच 'स'** सफेद कागज पर मुद्रित होगा। आवेदन फार्म मंडी समिति द्वारा सःशुल्क प्रदाय किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति हेतु सभी आवेदन फार्म मे जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक (यदि उक्त परिधि मे हो तो) एवं आधार नम्बर तथा समग्र पहचान पत्र की जानकारी ली जाये। (संशोधन 15.03.2019)

परन्तु अधिनियम में दी गई व्यापारी की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को जो कृषि उपज को क्रय करके प्रसंस्करण या विनिर्माण उपरान्त विक्रय करता है, तो प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के साथ-साथ व्यापारी कृत्यकारी के रूप में भी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। (आदेश क्रमांक-35 दिनॉक 25.07.2018)

आवेदन के साथ निर्धारित फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है अन्यथा आवेदन में कमियों का उल्लेख करते हुए आवेदन तत्समय वापिस कर दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नवीनीकरण के मामले में आवेदक की पुरानी नस्ती के साथ एवं नये आवेदन के मामले में नस्ती बनाकर पंजीबद्ध करते हुए यथा स्थिति निरीक्षक अथवा सचिव को आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण हस्तांतरित किया जायेगा। इस नस्ती पर बाजार व्यवस्था एवं मंडी शुल्क शाखा तथा लेखा शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जावे। निरीक्षक/सचिव का यह दायित्व होगा कि वह आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच करते हुये अपने अभिमत सहित निर्णय हेतु प्रकरण भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष मंडी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसे प्रत्येक प्रकरण का निराकरण आवेदन प्राप्त होने की तीस दिन की समयावधि में करा लिया जाना आवश्यक है। निर्णय लिखित रूप में स्पष्ट स्वीकृति या अस्वीकृति का लिया जायेगा। अस्वीकृति की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संलग्न किये गये समस्त अभिलेखों मय

डिमाण्ड ड्राफ्ट के पंजीकृत डाक से वापिस कर दिया जायेगा किन्तु यह समस्त कार्यवाही आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण कर ली जावेगी।

तुलैया, हम्माल, के लिये अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ **"पुलिस रिकार्ड संबंधी शपथपत्र"** प्राप्त किया जायेगा। मंडी आवश्यक समझे तो संबंधित आवेदक का पश्चातवर्ती पुलिस सत्यापन आवेदन प्राप्ति के बाद कराया जा सकेगा।

(1) हम्माल एवं तुलावटी का आवेदक 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा।

(2) आवेदक तुलावटी के लिये कम से कम (प्रायमरी स्कूल) पांचवीं कक्षा तक शिक्षित होना अनिवार्य होगा।

परन्तु शैक्षणिक योग्यता का प्रतिबंध पूर्व से कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी के अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा।

व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात् उनके संबंध में पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सचिव के विवेकाधिकार पर होगा। (संशोधन 15.03.2019)

(3) सामूहिक प्रतिभूति

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता/पक्का अढ़तिया को अनुज्ञाती स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे **प्रारुप-छः** में घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा प्रारुप-सात में क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। सामूहिक प्रतिभूति के लिए मंडी में कार्यरत समस्त संगठन मंडी समिति कार्यालय में पंजीबद्व होंगे एवं व्यापारियों के मामले में प्रारुप-सात में क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले व्यापारी संगठनों को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधी जमा (एफ0डी0आर0) मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर मंडी समिति कार्यालय में

जमा करना होगी एवं आवेदन के साथ प्रारूप-सात में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

"परन्तु प्रतिभूति के रूप में बैंक ग्यारंटी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा निम्नानुसार प्रारूप में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा।"

वचन पत्र

..... (बैंक का नाम) ..... (फर्म या आवेदक व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का नाम) के संबंध में यह वचन दिया जाता है कि यदि उक्त फर्म/व्यक्ति किसी विक्रेता का रू. ..... तक का भुगतान नहीं करता है तो यह बैंक, मंडी समिति के सचिव से लिखित में सूचना प्राप्त होते ही मंडी समिति के खाते में रूपये ..... तक का धन विक्रेता को भुगतान के लिये जमा करेगा।

यह वचन पत्र दिनांक ..... तक वैद्य है।

प्रबंधक .....

बैंक शाखा .....

(4) व्यक्तिगत प्रतिभूति

व्यक्तिगत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधी जमा (एफ0डी0आर0) मंडी समिति के पक्ष में बनवाकर मंडी समिति कार्यालय में जमा करनी होगी या उतनी राशि की स्थावर संपत्ति के मूल अभिलेख मंडी समिति कार्यालय में जमा कराते हुए आवेदक को मंडी समिति के पक्ष में वैधानिक अनुबंध करना होगा कि यदि वह विक्रेता को भुगतान करने में असफल रहता है तो उक्त स्थावर संपत्ति मंडी समिति द्वारा बेची जाकर मंडी समिति विक्रेता को भुगतान कर सकती है या मंडी समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रतिभूति की राशि नगद जमा की जावेगी एवं रसीद प्राप्त की जावेगी तदोपरान्त **प्रारूप-सात "अ"** में आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावेगा।

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गये घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जावे।

"परन्तु शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं जो समर्थन मूल्य पर कृषि उपज क्रय करने के लिये अधिकृत है, प्रतिभूतियों से मुक्त रहेगी।"

"परन्तुक यह और कि हम्माल तुलैया को विकल्प होगा कि वह वार्षिक अनुज्ञप्ति नवीकृत करा सकते है। वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की दर हम्माल के लिये 10/- रूपये तथा तुलैया के लिये 20/- रूपये प्रतिवर्ष होगी।

(5) अवधि

मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनांक से पांच वर्ष होगी, किन्तु इस अवधि में यदि मंडी समिति की राय में अनुज्ञप्तिधारी का कार्य तथा आचरण संतोषप्रद पाया जाता है तब अनुज्ञप्ति की अवधि जीवनभर के लिये बढ़ा दी जायेगी। पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों का कार्य तथा आचरण यदि उपरोक्तानुसार मंडी समिति की राय में संतोषप्रद है तो अनुज्ञप्ति अवधि उपरोक्तानुसार निर्धारित देय शुल्क जमा करके जीवन भर के लिए बढ़ा दी जायेगी।

परन्तु भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारों के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कम्पनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर मंडी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जायेगी। मंडी समिति उपयुक्त परीक्षण के बाद इस परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी।

(6) कपास के प्रत्येक क्रेता के लिये उसके द्वारा क्रय की गई कपास की तौल स्वंय के द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा स्थापित अथवा मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक तौल कांटे पर कराना अनिवार्य होगा। अन्य अधिसूचित कृषि उपजों के तौल के संबंध में भी मंडी समिति इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्तो में सम्मिलित कर

सकती है किन्तु इस संबंध में मंडी समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर कम से कम एक माह पूर्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।

(7) अनुज्ञप्ति जारी करना

आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त जांच की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। आवेदन यदि स्वीकृत किया जाता है तब **प्रारूप-आठ** में अनुज्ञप्ति मोटे कागज पर जारी की जायेगी। अनुज्ञप्ति पर अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी एवं सचिव के हस्ताक्षर होगें। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति को कांच फ्रेम में जड़वाकर प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जावेगा।

(8) प्रतिभूति निराकरण

"अधिनियम की धारा 17(2) ग्यारह (क) एवं (ख) के अंतर्गत विक्रेता को भुगतान की जोखिम न रहे इस हेतु ली जाने वाली व्यक्तिगत, सामूहिक प्रतिभूति जो एफ.डी.आर./अचल संपत्ति/नगद/बैंक गारंटी के रूप में जमा राशि में से विक्रेताओं की बकाया राशि यदि कोई हो, वसूल की जाकर शेष राशि वापस की जाये।" (आदेश क्रमांक-2378 दिनॉक 15.05.2008)

(9) हम्माल तुलावटी के अक्षम होने पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना।

"कृषि उपज मंडी के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, तुलावटियों की मृत्यु अथवा कार्य करने में असक्षम होने के परिणामस्वरूप उनके एक अर्हत आश्रित को उक्त हम्माल, तुलावटी के स्थान पर अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी।"

(19) अनुज्ञप्ति का निलंबित अथवा रद्द किया जाना :-

(1) मंडी समिति द्वारा उपविधि (18) एवं (30) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति को निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द किया जावेगा:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का व्यापारिक संव्यवहार मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर निलंबित अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) विक्रेता को उसकी उपज बिक्री की देय राशि का समयावधि में भुगतान न करने पर।

(घ) मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर।

(ड़) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(च) विवरणीयां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(2) अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत संबंधित को **"कारण दर्शी सूचना पत्र"** जारी किया जायेगा एवं लिखित कारण दर्शाने के लिये कम से कम 7 दिन की अवधि दी जायेगी।

(3) कारणदर्शी सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर सचिव द्वारा 03 कार्यालयीन कार्यदिवस की अवधि में परीक्षण किया जायेगा एवं नस्ती पर परीक्षण टीप अंकित की जायेगी। परीक्षण टीप के निष्कर्ष में अनुज्ञप्ति रद्द करने या न करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत अंकित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति निलंबित करने के सम्बन्ध में अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये स्पष्ट अभिमत अंकित किया जायेगा। (संशोधन 15.03.2019)

(4) अध्यक्ष द्वारा कारणों सहित नस्ती प्रस्तुत होने की तारीख से 02 कार्यालयीन दिवस में लिखित निर्णय पारित किया जायेगा, जिसके अनुसार आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में सचिव के निष्कर्षो को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा कारण सहित लिखित निर्णय पारित किया जायेगा

किन्तु आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जायेगी।

सचिव द्वारा मंडी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की अनुशंसा पर अध्यक्ष की सहमती नहीं होने पर प्रकरण मंडी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर 07 दिवस में निराकरण करा जायेगा। (संशोधन 15.03.2019)

(5) अनुज्ञप्ति रद्द अथवा निलंबित हो जाने का परिणाम यह होगा कि आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अनुज्ञप्ति निष्प्रभावी हो जायेगी एवं अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व अथवा उसके अभिरक्षा में रखी कृषि उपज को निर्गमित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी विक्रेता का भुगतान अवशेष है तब ऐसी स्थिति में पूरी जॉच के बाद सचिव मंडी समिति उक्त कृषि उपज का मंडी में खुले घोष विक्रय में विक्रय करके विक्रेता को भुगतान करेगा और फिर भी अवशेष रहने पर अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति की बिक्री से भुगतान करायेगा। इसी प्रकार यदि मंडी समिति का कोई अवशेष है तो इसी प्रक्रिया में एक माह में वसूल किया जायेगा।

(6) यह प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 34 के विपरीत होने से विलोपित किया जाये। (संशोधन 15.03.2019)

(20) मंडी फीस उद्ग्रहण :-

(1) अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर मंडी फीस उद्ग्रहित की जायेगी।

"परन्तु निराश्रित सहायता राशि का उद्ग्रहण भी उसी प्रक्रिया में होगा जैसा कि मंडी फीस उद्ग्रहण के लिये निर्धारित है एवं विवरणियां उन्हीं प्रारूपों में पृथक से उसी अवधि में उसी रूप में प्रस्तुत की जायेगी जैसा कि मंडी फीस के संबंध में निर्धारित है।"

(2) अधिसूचित कृषि उपज पर चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से प्रसंस्करण या विनिर्माण के उपयोग के लिये मंडी क्षेत्र में लाई गई हो, के मूल्य पर मंडी फीस उद्ग्रहित की जायेगी।

(3) मंडी फीस की दर कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100.00 रूपये पर न्यूनतम पचास पैसा अधिकतम दो रूपया जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करें, होगी।

(4) ऐसी किसी भी कृषि उपज पर मंडी फीस पुनः वसूल नही की जा सकेगी जिस पर की प्रदेश की किसी मंडी में मंडी फीस का भुगतान कर दिया गया हो और उसके प्रमाण स्वरूप चौदह दिवस की अवधि में **प्रारूप-नौ** में अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(5) मंडी फीस कृषि उपज के क्रेता से उद्ग्रहित की जायेगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जायेगी। परन्तु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचाना ना जा सके वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसनें कि उपज को बेचा हो या जो उपज को मंडी क्षेत्र में विक्रय के लिये लाया हो, यह और कि मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में मंडी फीस विक्रेता द्वारा संग्रहित की जायेगी तथा मंडी समिति कार्यालय में जमा की जायेगी परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक संव्यवहार के लिये या प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिये मंडी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मंडी फीस यथा स्थिति, क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उस दशा में मंडी समिति के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर जमा की जायेगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मंडी फीस का भुगतान करने के लिये दायी है, उसका भुगतान मंडी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिये मंडी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मंडी फीस तथा

उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

(7) यदि कोई भी व्यक्ति मंडी अधिनियम की धारा 19 (ख) की उपधारा (1) के अधीन मंडी फीय तथा ब्याज का भुगतान एक मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस मंडी क्षेत्र में या किसी अन्य मंडी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और ब्याज सहित मंडी फीस भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति रदद् किये जाने के दायित्वाधीन होगी।

(8) पाक्षिक विवरण पत्रक ग्यारह-'क' एवं ग्यारह-'ख' प्रारूप व्यापारी लायसेंस- धारियों के लिये है, बारह-'क' एवं बारह-'ख' प्रारूप प्रसंस्करणकर्ताओं, विनिर्माता के लिये है (पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 16 तारीख से अंतिम तारीख तक का पाक्षिक पत्रक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा।) अनुज्ञापत्र की सूची भी उसी समयावधि की होना चाहिए जिस समयावधि का विवरण पत्रक हैं। जैसा कि प्रारूप में स्पष्ट है, प्रत्येक जिन्स के विषय में पूरी-पूरी जानकारी पाक्षिक विवरण पत्रक में दर्ज की जायेगी। पाक्षिक विवरण पत्रकों का मिलान अनुबंध पत्रक बिक्री प्रमाणक एवं अनुज्ञापत्र पंजी से किया जायेगा। विशेष रूप से यदि अनुज्ञापत्र समयावधि अर्थात् 14 दिवस में प्रस्तुत नहीं किये गये है तब पन्द्रहवें दिन या उसके पश्चात् ब्याज सहित मंडी फीस वसूल की जायेगी। समय पर विवरण पत्रक प्राप्त नहीं होने का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि उस व्यापारी/फर्म को अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जायेगा। कृषि उपज के निर्गमन, विक्रय, प्रसंस्करण या विनिर्माण के पूर्व मंडी फीस जमा/वसूल करना आवश्यक है इसके विवरण **प्रारूप-ग्यारह 'क'**, **'ख'** एवं **प्रारूप-बारह 'क'**, **'ख'** में व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिक प्रतिवेदन के कॉलम नं0 19 एवं 20 में किया जायेगा।

"परन्तु प्रसंस्करणकर्ताओं, विनिर्माता द्वारा केवल स्थापित दाल मिलों के उपयोग के लिये राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण या विनिर्माण करने के लिये लाई गई अधिसूचित कृषि उपज उड़द/उरदा, मूंग, तुअर/अरहद, चना, मसूर एवं बटरी के संबंध में प्रारूप बारह-ग एवं बारह-घ में भी पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 01 तारीख से 15 तारीख तक का 25 तारीख तक एवं 16 तारीख मास अंत तक का विवरण आगमी माह की 10 तारीख किया जायेगा। प्ररूप बारह-घ में उल्लेखित बिलों की छायाप्रति भी संलग्न की जावेगी। वार्षिक विवरण प्ररूप बारह-ग में 30 अप्रैल के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।",

प्रारुप चौदह (क), चौदह (ख) एवं चौदह (ग) में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रेल के पूर्व प्रत्येक व्यापारी/प्रंसस्करणकर्ता, विनिर्माताओं एवं पक्का आढ़तियां मंडी कृत्यकारी को वार्षिक विवरणीयां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परन्तु प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज को यथास्थिति निर्गमित या प्रसंस्करण या विनिर्माण किये जाने के पूर्व अथवा उसे क्रय किये जाने/प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए लाए जाने से चौदह दिवस में मंडी फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(8-अ) "परन्तु भाण्डागारिकों द्वारा स्वयं के अथवा अन्य व्यक्ति के या संस्था के भण्डारगृहों में भण्डारित सभी अधिसूचित कृषि उपजों के भण्डारण/निर्गमन एवं शेष स्कंध की पाक्षिक विवरणी **प्रारूप बारह-ड.** में प्रत्येक माह की 16 तारीख एवं मासह के अंत में मंडी समिति को अनिर्वायतः प्रस्तुत की जायेगी। भण्डागृह में भण्डारित अधिसूचित कृषि उपजों के हटाने के पूर्व अधिसूचित कृषि उपजों को धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञापत्र भाण्डागारिक को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा, तदुपरांत भाण्डागारिक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के भण्डारगृह से निर्गमन की अनुज्ञा दी जाएगी और संबंधित निर्गमन पंजी में भी उक्त अनुज्ञा का क्रमांक/दिनांक तथा मात्रा अंकित किया

जायेगा। भाण्डागारिकों के लिये यह भी अनिवार्य होगा कि वे अधिसूचित कृषि उपजों के भण्डारण एवं निर्गमन के संबंध में ऐसी समस्त जानकारी तत्काल प्रस्तुत करें जो मंडी समिति द्वारा मांगी जावे।"

भण्डागारिक द्वारा उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी या विवरणी न देने की स्थिति में मंडी अधिनियम की धारा 23 के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे। (क्रमांक- दिनॉक .....)

(9) मंडी फीस के उद्ग्रहण एवं अभिलेखों का संधारण के लिये मैनुअल के अध्याय-6 का अनुसरण किया जायेगा।

(10) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मंडी फीस चुकाई गई कृषि उपज के निर्गमन के लिये संशोधित **प्रारूप-नौ** में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। अनुज्ञापत्र क्रमशः चार रंग सफेद, हरा, गुलाबी एवं पीला में चार प्रति में जारी किया जायेगा। सफेद प्रतिमूल प्रति होगी, हरी एवं गुलाबी प्रति निर्गमनकर्ता को दी जायेगी। हरी प्रति निर्गमनकर्ता अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा गुलाबी प्रति वाहन के साथ गंतव्य/डिलेवरीकर्ता तक ले जाई जायेगी। पीली अतिरक्त प्रति जिसका प्रावधान प्रबंध संचालक के आदेश क्रमांक/बी-3/1-3/उप/126/156-157 दिनॉक 31 जनवरी 2006 के द्वारा किया जाकर संबंधित जारीकर्ता मंडी को अनुज्ञापत्र सत्यापन हेतु भेजकर अविलंब वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्तमान मे ई-अनुज्ञा प्रणाली के अंतर्गत आनलाईन अनुज्ञापत्र जारी होने एवं आनलाईन ही सत्यापित होने की स्थिति मे डिलेवरीकर्ता की दशा मे, प्रश्नाधीन पीली प्रति की उपयोगिता मे परिवर्तन कर अब इसे क्रेता व्यापारी द्वारा (प्राथमिक) क्रेता व्यापरी को भेजा जावेगा। गंतव्य यदि प्रदेश के किसी मंडी क्षेत्र में स्थित है तब संबंधित मंडी क्षेत्र के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। गंतव्य यदि प्रदेश के बाहर स्थित है तब यह प्रति सीमा जॉच चौकी पर जमा करा दी जायेगी। सीमा जॉच चौकी पर इनका

मंडीवार एवं व्यापारीवार हिसाब रखा जायेगा। कार्यालय की प्रति संबंधित व्यापारी की नस्ती में व्यवस्थित रूप से लगाई जायेगी।

"परन्तु अनुज्ञापत्र मुद्रण के समय यदि हरे रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग का कागज उपलब्ध न हो तो ऐसी आकस्मिकता की दशा में आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/उप संचालक की पूर्व अनुमति से अनुज्ञापत्र की हरी प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर हरे रंग की स्याही एवं गुलाबी प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर गुलाबी रंग की स्याही पीली प्रति के स्थान पर सफेद कागज पर पीली स्हायी से अनुज्ञापत्र मुद्रित करवाया जा सकेगा और ऐसा मुद्रित अनुज्ञापत्र क्रमशः अनुज्ञापत्र की हरी, गुलाबी एवं पीली प्रति के विकल्प के रूप में मान्य होगा। ऐसी परिस्थिति में मुद्रित करवाये गये अनुज्ञापत्रों की बुकों की संख्या एवं अनुक्रमांकों की जानकारी संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा प्रदेश के समस्त आंचलिक संयुक्त संचालकों/उप संचालकों को तत्काल दी जायेगी। आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक अपने क्षेत्र की समस्त मंडी समितियों एवं अन्तर्राज्यीय जांच चौकियों को उक्त जानकारी तत्काल प्रेषित करेगें ताकि अनुज्ञापत्रों के रंग को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।"

(क) अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएं कि संबंधित द्वारा विक्रेताओं को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है अर्थात् उसके विरूद्व किसी विक्रेता की भुगतान न होने संबंधी शिकायत लंबित नहीं है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाएं कि निर्गमित की जाने वाली कृषि उपज पर देय मंडी फीस निराश्रित सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि मंडी फीस पक्ष में जमा होना है किन्तु इसके पूर्व ही कृषि उपज का निर्गमन किया जाना है तब निर्गमन के पूर्व फीस जमा करा ली जावेगी एवं इसका उल्लेख पाक्षिक विवरण में किया जाएगा।

परन्तु यदि गंतव्य प्रदेश के बाहर का है तो निर्गमनकर्ता द्वारा अधिकतम 72 घंटे की कालावधि में अधिसूचित कृषि उपजों का परिवहन किया जाकर अनुज्ञापत्र संबंधित सीमा जांच चौकी पर प्रस्तुत/जमा करना अनिवार्य है। नियत कालावधि के उपरांत अधिसूचित कृषि उपज के सीमा जांच चौकी से निर्गमन हेतु निर्गमनकर्ता को संबंधित मंडी समिति (जिसके मंडी क्षेत्र में संबंधित जांच चौकी स्थापित है) के समक्ष परिवहन में विलंब के कारणों को प्रमाणित करते हुये आयवश्क दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। संबंधित मंडी सचिव विलंब के लिये प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों एवं प्रमाणों का परीक्षण कर कारण सही पाये जाने पर अनुज्ञापत्र के पृष्ठ (पीछे) भाग पर निर्गमन की अनुमति अंकित करते हुये हस्ताक्षर कर मुद्रा अंकित करेगा। जांच चौकी प्रभारी विलंब से परिवहन वाले ऐसे वाहनों की निर्गमन पंजी में प्रविष्टि के साथ विशेष रिमार्क अंकित कर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) निर्गमनकर्ता अधिसूचित कृषि उपज को निर्गमित करने के लिए संशोधित **प्रारुप-दस** में तीन प्रति में घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। इसकी एक प्रति कार्यालय में रखी जाकर दो प्रतियां अनुज्ञापत्र के साथ वापिस की जायेगी, इसमें से एक प्रति सीमा जांच चौकी पर अनुज्ञापत्र के साथ जमा करनी होगी।

(ग) (एक) म0प्र0कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अधीन मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में विक्रेता द्वारा इस आशय की सूचना/घोषणा **"प्ररूप-9(अ)"** में दी जायेगी कि अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस, मंडी क्षेत्र में पहले ही लग चुकी है।

(दो) कंडिका (एक) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना/घोषणा की पुस्तिके मंडी समिति द्वारा मुद्रित एवं प्रमाणित की जावेगा तथा लागत मूल्य पर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय की जावेगी। पूर्व में दी गई पुस्तिका वापस जमा करने का दायित्व जारीकर्ता का होगा। सूचना/घोषणा पुस्तिका क्रमशः **चार रंगो पीला, हरा, गुलाबी तथा सफेद** में चार प्रतियों में मुद्रित कराई जायेगी। प्रथम तथा द्वितीय प्रति क्रेता को दी जावेगी जो परिवहन के समय चालक के साथ रहेगी। क्रेता प्रथम प्रति मंडी समिति को पाक्षिक विवरणी के साथ **"प्ररूप-9(ब)"** में सूची सहित प्रस्तुत करेगा तथा द्वितीय प्रति अपने अभिलेख में रखेगा। विक्रेता तृतीय प्रति अभिलेख में रखेगा तथा चतुर्थ प्रति विक्रेता बुक में शेष रहकर मंडी समिति के कार्यालय में विक्रेता द्वारा वापस जमा की जावेगी और विक्रेता द्वारा पक्ष में जारी किये गये सूचना/घोषणा पत्रों की पाक्षिक सूची **"प्ररूप-9(ब)"** में पाक्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा। क्रेता व्यापारी जब **"प्ररूप-9(अ)"** में सूचना/घोषणा दंगा तब ऐसी उपज पर मंडी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत मंडी समिति द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा। व्यापारी द्वारा **"प्ररूप-9(अ)"** में घोषणा की जाती है तो इसका कतई यह आशय नहीं है कि ऐसी घोषणा अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) में जारी की जाने वाली अनुज्ञा की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। कृषि उपज, मंडी प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से तभी हटाई जायेगी जब अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) तथा उपविधि 2000 की कंडिका 20(13) के अनुसार अनुज्ञापत्र जारी हो चुका हो।

(तीन) मंडी सचिव क्रेता/विक्रेता द्वारा पाक्षिक विवरणी के साथ जमा किये गये उक्त सूचना/घोषणा पत्रों की सूची का व्यापारीवार अभिलेख संधारण करेगा तथा व्यापारियों को जारी

या व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञापत्रों तथा पाक्षिक विवरणी में दर्शायी गई कृषि उपजों की खरीदी बिक्री तथा शेष स्कंध एवं अन्य अभिलेखों से उसका मिलान (क्रास चेक) एवं परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी क्रेता/विक्रेता द्वारा प्रस्तुत/जारी सूचना/घोषणा पत्र में उल्लेखित देय मंडी फीस का भुगतान वास्तव में मंडी समिति को हो चुका है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सूचना/घोषणा पत्र सत्य तथा सही है। क्रेता एवं विक्रेता **"प्ररूप-9(ब)"** में प्रस्तुत की गई सूची की पंजी का भी संधारण करेगें जो लेखा सत्यापन/मंडी फीस निर्धारण के समय मंडी सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(चार) मंडी सचिव द्वारा यदि परीक्षण में यह पाया जाता है कि धारा 19 के उपबंधों के अधीन देय मंडी फीस का भुगतान नहीं किया गया है/हुआ है तो संबंधित विक्रेता, जिसने मंडी फीस भुगतान संबंधी सूचना/घोषणा जारी की है, से मंडी समिति द्वारा धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन दाण्डिक मंडी फीस की वसूली की जावेगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारक की अनुज्ञप्ति रदद् किये जाने के दायित्वाधीन होगी। (दिनांक 18.12.2009 द्वारा संशोधित)

(11) मंडी फीस, दाण्डिक प्रावधानः-

कृषि उपज को मंडी फीस भुगतान के बिना बेच दिया जाये अथवा मंडी क्षेत्र के बाहर से वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में क्रय करके लाई गई कृषि उपज को उस मंडी क्षेत्र के अनुज्ञापत्र को प्रस्तुत किये बगैर, जिस मंडी क्षेत्र की कृषि उपज लाई गई है अथवा ऐसी कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान के बगैर कृषि उपज को बेच दिया जाये या प्रसंस्करण या विनिर्माण कर लिया जाये तो ऐसी दशा में यथास्थिति कृषि उपज के मूल्य के 5 गुने मूल्य पर अथवा प्रसंस्कृत या विनिर्मित पदार्थ के 5 गुना बाजार मूल्य पर मंडी फीस उदग्रहित तथा वसूल की जायेगी।

(12) प्रवेश शुल्कः-

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अन्तर्गत मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहन जो कि किराया (भाड़ा) पर चलते हो, उनसे न्यूनतम निम्न दरों से प्रवेश शुल्क वसूल किया जाएगा, मंडी बढ़ा सकेगी।

क्र	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क
01	02	03	04	05
01	बड़ा ट्राला	रू0 20.00	रू0 500.00	रू0 5500.00
02	ट्रक	रू0 10.00	रू0 250.00	रू0 2750.00
03	मेटाडोर एवं अन्य छोटे वाहन	रू0 5.00	रू0 125.00	रू0 1375.00

ट्रेक्टर, बैल गाड़ी, हाथ ठेला तथा साईकिल प्रवेश शुल्क से मुक्त होंगे, परन्तु किसी भी परिवहन के साधन से मंडी प्रांगण में लाई गई कृषि उपज की आवक की प्रवेश पर्ची जारी करना अनिवार्य होगा। (संशोधन 15.03.2019)

(13) व्यापारी द्वारा विक्रय की गई प्रत्येक कृषि उपज के निर्गमन के पूर्व अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक है। मंडी फीस के भुगतान का प्रमाण मात्र अनुज्ञापत्र होगा। किसी अन्य अभिलेख को मंडी फीस भुगतान का प्रमाण नहीं माना जावेगा।

(21) अभिलेखों की जॉच :-

(1) अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत मंडी समिति का सचिव किसी भी कृत्यकारी के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार से संबंधित अभिलेख अपने कार्यालय में लिखित आदेश द्वारा जॉच हेतु बुला सकेगा; -

(क) आदेश **प्रारूप-तेरह** में जारी किया जा सकेगा।

(ख) निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर आदेशानुसार अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत किये जाते है तो अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(ग) उपरोक्त आदेश में अभिलेख प्रस्तुत करने की अवधि आदेश जारी करने के एक सप्ताह बाद की होगी। यदि किसी कारणवश अभिलेख प्रस्तुतकर्ता को अभिलेख प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई है तो वह आगामी सप्ताह की कोई तारीख चाहता है तो उसे एक मौका दिया जावेगा।

(घ) जांच हेतु अधिकतम तीन पूर्ववर्ती वर्षो के अभिलेख बुलाये जा सकेंगे।

(ड़) जांच हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के 30 दिन में जॉच निष्कर्ष का उपयुक्त आदेश सचिव द्वारा जारी किया जायेगा।

(च) **कंडिका (ड.)** के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश से दो वर्ष के भीतर पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधारों पर क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत पुनः सत्यापन कर सकेगा। परन्तु इसके लिये धारा 20 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेश में ऐसे स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जिनके की आधार पर पुनः सत्यापन किया जाना आवश्यक पाया गया है।

(2) प्रत्येक वर्ष अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तियां 30 अप्रेल के पूर्व, 31 मार्च को समाप्त हुये पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विवरण **प्रारूप-चौदह 'क' 'ख' एवं 'ग'** में प्रस्तुत करेगा।

(3) मंडी समिति के सचिव द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उपविधि 21 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत वार्षिक विवरण का सत्यापन व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता द्वारा संधारित खाता (खतौनी/लेजर) एवं

अन्य अभिलेख से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। खाते के अनुसार कृषि उपज के कुल क्रय मूल्य पर मंडी फीस निर्धारित करते हुए क्रेता को यह दर्शाने का अवसर दिया जाएगा कि इस राशि पर मंडी फीस किन-किन आधारों पर देय नहीं है। क्रेता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन, मंडी समिति को प्रस्तुत अनुज्ञापत्रों के मिलान एवं जमा की गई मंडी फीस से किया जाकर सचिव अपनी टीप अंकित करेगा।

(22) अवशेष फीस का निर्धारण :-

(1) उपविधि कंडिका-21 के प्रावधानों का पालन करते हुए अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण प्राप्त होने के बाद मंडी समिति के अभिलेखों के आधार पर, सचिव द्वारा सत्यापन किया जायेगा, तत्पश्चात् धारा 20 की कार्यवाही के अन्तर्गत व्यापारी के खाते (लेजर) से कुल खरीद मूल्य का मिलान कर सचिव अपनी टीप अंकित करेगा। अभिलेख प्रस्तुत नही होने की दशा में अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत होने की दशा में, यथास्थित सचिव निम्नानुसार रीति में उद्ग्रहित होने वाली फीस का निर्धारण करेगाः-

(क) विगत वर्ष में क्रय की गई समस्त कृषि उपजों के मूल्य पर, निर्धारित दर से मंडी फीस जोड़कर अवशेष का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किये बगैर या मंडी शुल्क भुगतान किये बगैर कृषि उपज को बेचा गया हो अथवा प्रसंस्कृत या विनिर्मित किया गया हो तो यथा स्थिति कृषि उपज के 5 गुने मूल्य पर एवं प्रसंस्करण या विनिर्माण के मामले में प्रसंस्कृत या विनिर्मित पदार्थ के 5 गुने मूल्य पर मंडी फीस के साथ 24 प्रतिशत की दर से ब्याज जोड़कर अवशेष का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) विक्रय कर विभाग अथवा आयकर विभाग अथवा अन्य स्त्रोतों से कृषि उपज के क्रय-विक्रय की जानकारी संकलित करके

कुल मूल्य पर मंडी फीस के साथ 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़कर अवशेष का निर्धारण किया जाएगा।

(23) निरीक्षण की व्यवस्था :-

(1) यथा स्थिति प्रदेश के बाहर से लायी जाने वाली अथवा बाहर ले जायी जाने वाली कृषि उपज/मूल मंडी या मंडी क्षेत्र के बाहर से लायी जाने वाली या बाहर ले जायी जाने वाली कृषि उपज पर देय मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि के भुगतान संबंधी निरीक्षण के लिये प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार उपयुक्त स्थानों पर निरीक्षण चौकियों के साथ पथ अवरोध (बेरियर) स्थापित किये जायेंगे।

(2) अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कृषि उपज से लदे वाहनों को मंडी क्षेत्र के किसी भी स्थान अथवा मंडी क्षेत्र के सीमा पर रोक कर, मंडी निरीक्षकों अथवा सहायक निरीक्षकों द्वारा, मंडी क्षेत्र में/मंडी क्षेत्र से परिवहन की जा रही कृषि उपज के संबंध में अनुज्ञापत्र में उल्लेखित मात्रा की जांच करेगा। इस प्रकार की गई जांच के विवरण **प्रारूप-सत्रह** में दो प्रतियों में अभिलिखित किये जायेंगे। जांच प्रतिवेदन प्रारूपों की 50 प्रति की पुस्तिका मंडी समिति द्वारा निरीक्षणकर्ताओं को उपलब्ध कराई जायेंगी। निरीक्षणकर्ता द्वारा उसी दिन जांच प्रतिवेदन मंडी फीस शाखा को प्रदत्त की जायेगी।

(3) उपरोक्त खण्ड (1) के अन्तर्गत स्थापित निरीक्षण चौकियों पर आगमन पंजी प्ररूप-पन्द्रह में एवं निर्गमन पंजी **प्ररूप-सोलह** में संधारित की जायेगी। इन पंजियों में दर्ज जानकारी आगामी कार्य दिवस में संबंधित मंडी समिति के कार्यालय में प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी एवं इनका व्यवस्थित अभिलेख संधारित किया जायेगा।

(24) मंडी प्रांगण में कृषि उपज की नाप तौल एवं उपकरणों का रख-रखाव :-

(1) कृषि उपज की भरती मानक आकार के खाली बोरो में की जायेगी एवं मंडी समिति द्वारा जिन्सवार निर्धारित वजन की कृषि उपज बोरों में भरी जायेगी।

(2) अधिसूचित कृषि उपज की तौल के लिये वारदानों के समान भार का वजन बोरों में से काटा जावेगा।

(3) समस्त अधिसूचित कृषि उपज की तौल केवल इलेक्ट्रानिक तौल कांटों से ही की जावेगी।

(4) एक दिन में क्रय की गई कृषि उपज को, क्रेता द्वारा अपने स्कंध में, उस दिन की पूरी तौल हो जाने पर ही मिलाया जायेगा अन्यथा नहीं।

(5) कृषि उपज की तौल में अनियमितता (कमी या वृद्धि) का दायित्व तुलैया का होगा। तौल में अधिक या कमी पाये जाने पर उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रदद् की जावेगी।

(6) (अ) अधिसूचित कृषि उपजों की तौल मंडी प्रांगणों/उपमंडी प्रांगणों अथवा समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिये विर्दिष्ट किये गए किसी अन्य स्थानों पर स्थापित एवं नापतौल विभाग द्वारा प्रमाणित इलेक्ट्रानिक तौलकांटों से भी की जा सकेगी। तौल का कार्य सचिव, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा अधिकृत/आदेशित व्यक्ति के द्वारा ही संपादित किया जायेगा।

(ब) इलेक्ट्रानिक तौलकांटे पर सर्वप्रथम कृषि उपज से भरे वाहन का तौल किया जायेगा। तत्पश्चात् उस खाली वाहन की तौल की जायेगी। पूर्व में किये गये भरे वाहन के तौल में से खाली वाहन का वजन घटाकर शेष वजन कृषि उपज का शुद्ध वजन माना जायेगा। संबंधित कृषि उपज के स्वामी को उक्त तौल की पर्ची दी जायेगी, जिस पर तौल करने वाले अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर रहेगें।

(स) कृषि उपज के वजन में तौल या माप के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संबंधित कृषि उपज मंडी समिति के सचिव का निर्णय विवादित पक्षों को मान्य होगा।

(7) निरीक्षण के समय अधिक मात्रा में पाई गई कृषि उपज को निरीक्षणकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जावेगा एवं वह आगामी दिवस में खुले घोष विक्रय में बेच दी जावेगी। किसी विशिष्ट विक्रेता कि शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया है तब शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के अनुसार कृषि उपज वापिस की जावेगी।

(8) (1) मंडी प्रांगण में नियमन व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन तौल प्रांरभ होने के पूर्व रेण्डम तौल पर मंडी/बी.ओ.टी./व्यापारियों के इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/वेब्रीज का संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण की कार्यवाही को निरीक्षण पंजी में दर्ज कर उपस्थित पक्षकारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

(2) नापतौल विभाग के प्रचलित नियमों के तहत् मंडी प्रांगण में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/वेब्रीज का सत्यापन (स्टेपिंग) कराया जाना अनिवार्य होगा। (संशोधन 15.03.2019)

(25) मंडी प्रांगण की व्यवस्था :-

कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय मैनुअल के अध्याय-छः के अनुसार मंडी प्रांगण की व्यवस्था की जावेगी।

(26) मंडी क्षेत्र के कृत्यकारियों के पारिश्रमिक :-

मंडी प्रांगण में कार्यरत हम्मालों एवं तुलावटियों के पारिश्रमिक दरों का निर्धारण मंडी समिति (जब वह निर्वाचित हो) के कार्यक्षेत्र में ही रहेगा।

(क) मंडी क्षेत्र के माननीय विधायकगण ..... अध्यक्ष
(क्षेत्र में एक से अधिक संख्या होने पर आपसी सहमति से समिति की अध्यक्षता करेंगे व शेष सदस्य होंगे)

(ख) जिला पंचायत कृषि उपसमिति ..... के अध्यक्ष ..... सदस्य

(ग) जनपद अध्यक्ष ..... सदस्य

(ध) स्थानीय व्यापारी एसोशियेशन का अध्यक्ष ..... सदस्य

(ड़) मंडी के अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी ..... सदस्य

(च) मंडी सचिव ..... संयोजक

"परन्तु निर्वाचित समिति के कार्यकाल में केवल मंडी समिति ही पारिश्रमिक संबंधी निर्णय लेगी।

अध्याय - पांच

मंडी प्रांगण के बाहर अन्य स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन

(27) मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति :-

1. जो भी व्यक्ति फर्म अथवा संस्था किसी मंडी समिति के मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करना चाहता है उसे मंडी समिति से इस उद्देश्य के लिए पृथक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी।
2. अनुज्ञप्ति विशिष्ट कृषि-उपज के लिए ही दी जाएगी।

   परन्तु एक ही अनुज्ञप्तिधारी को एक से अधिक कृषि-उपज क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी;

   परन्तु यह और भी कि मंडी क्षेत्र में मंडी प्रांगण के बाहर अधिसूचित कृषि उपज का क्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो कि वित्तीय वर्ष में संलग्न अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित मात्रा से अधिक मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज क्रय करने के लिए वचनबद्ध हो।

(28) विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए संलग्न **प्ररुप-5-'द'** में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 10,000/- रूपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

(29) विशिष्ट अनुज्ञप्ति हेतु प्रतिभूति :-

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ **प्ररुप-छः-'अ'** में प्रस्तुत घोषणा पत्र में घोषित दैनिक क्रय क्षमता के अनुसार एक दिन के अधिकतम् खरीदी मूल्य के बराबर अमानत/प्रतिभूति की राशि की सावधि (एफ.डी.आर. जो आहरण के लिए आवेदक द्वारा मंडी समिति के पक्ष में हस्तांक्षरित हो) मंडी समिति के पक्ष में जमा कराई जावेगी। आवेदक द्वारा धारा 37 के

उपबंधों के अधीन विक्रेता को अधिसूचित कृषि उपजों का भुगतान न करने की स्थिति में समिति द्वारा किसी भी समय इस अमानत/प्रतिभूति राशि का आहरण कर विक्रेता के बकाया भुगतान की पूर्ति की जावेगी।

परन्तु म0प्र0 शासन के उपक्रम जो मंडी प्रांगण के बाहर **"क्रय केन्द्र"** स्थापित कर अधिसूचित कृषि उपज क्रय करना चाहते है के लिए आवेदन पत्र के साथ अमानत/प्रतिभूति की राशि मंडी समिति के पक्ष में जमा कराना अनिवार्य नहीं रहेगा, बशर्ते कि ऐसा शासकीय उपक्रम किसी भी स्थिति में मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड का व्यतिक्रमी न हो।

परन्तु यह और भी कि ऐसे शासकीय उपक्रम को अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रेताओं को भुगतान के संबंध में अधिनियम 37 के उपबंधों का यथावत् पालन करना होगा।

(30) मंडी समिति द्वारा विशिष्ट अनुज्ञप्ति की स्वीकृति :-

अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार उपरांत मंडी क्षेत्र में क्रय केन्द्रों के उल्लेख के साथ **प्ररुप-आठ-'अ'** में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा **प्ररुप-5-'द'** में क्रय केन्द्र के रुप में प्रस्तावित स्थल का मंडी समिति द्वारा निरीक्षण कर क्रय केन्द्रों के स्थान का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित किया जाने वाला क्रय केन्द्र आवेदक के प्रसंस्करण या विनिर्माण संयत्र अथवा उसके मंडी प्रांगण परिसर से भिन्न मंडी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर होगा। क्रय केन्द्र के सुचारु संचालन हेतु समन्वय व नियंत्रण की दृष्टि से विचार उपरांत मंडी समिति आवश्यक संख्या में क्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमति देगी।

"परन्तु जिस ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यरत क्षेत्र में जहॉ मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण स्थित है, उसकी सीमा से न्यूनतम तीन किलोमीटर के भीतर तथा आवेदक के प्रसंस्करण या विनिर्माण संयंत्र से एक किलोमीटर से कम दूरी के भीतर क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु विशिष्ट अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी। सब्जी, फल तथा फूलों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा तथापि मंडी अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन अधिसूचित ऐसे **"मंडी प्रांगण"** या **"उपमंडी प्रांगण"** जो कृषि उपज

के विपणन की दृष्टि से निष्क्रीय है और जहॉ मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित कृषि उपजों का सामान्य क्रय-विक्रय भी निष्पादित नहीं हो रहा है ऐसे निष्क्रीय मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में "क्रय केन्द्र" की स्थापना की अनुमति उपविधि कंडिका 27 से 36 के प्रावधानों के अध्याधीन मंडी समिति द्वारा निम्न शर्तो के अधीन व्यक्ति फर्म अथवा संस्था से प्रदान की जा सकेगी।

(1) मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में उपलब्ध मंडी समिति की अधोसंरचनाओं का किराया निम्नानुसार विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारक को मंडी समिति को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(2) मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपजों की बिक्री खुली नीलामी से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर नियमित रूप से प्रारंभ होने पर मंडी समिति द्वारा **"क्रय केन्द्र"** की स्वीकृति रदद् की जा सकेगी। यदि विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारक नीलामी के माध्यम से मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण में कृषि उपजों की खरीदी करते है तो **"क्रय केन्द्र"** की स्थापना की स्वीकृति यथावत रखने पर मंडी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

परन्तु यह भी कि धारा 32(क) के अधीन म0प्र0कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (समय समय पर यथा संशोधित) के अधीन स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्तिधारकों को मंडी समिति द्वारा उपविधि की कंडिका (27) के अधीन पृथक से कोई नवीन विशिष्ट अनुज्ञप्ति मंडी क्षेत्रों में किसी भी **"क्रय केन्द्र"** की स्थापना के लिये प्रदान नहीं की जावेगी। यदि मंडी समिति द्वारा पृथक से कोई विशिष्ट अनुज्ञप्ति **"क्रय केन्द्र"** स्थापना के लिये पूर्व में स्वीकृत की गई है तो ऐसी विशिष्ट अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के पश्चात् मंडी समिति द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति के अंतर्गत क्रय केन्द्रों की अनुमति देने बावत अनापत्ति दी जावेगी।

धारा 32 एवं उपविधि की कंडिका 18(5) के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुये कंडिका 27(2) के अधीन मंडी समिति द्वारा

विशिष्ट अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से पांच वर्ष के लिये होगा। प्रारंभ में अनन्तिम अनुज्ञप्ति एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी। अनुज्ञप्तिधारक इन क्रय केन्द्रों में उपविधि की कंडिका 31(1) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाओं का सृजन एक वर्ष की कालावधि में करेगा। अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर ऐसी अनुज्ञप्तियों की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। उपविधि की कंडिका 31(1) में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाओं का सृजन कर लेने की स्थिति में उसे आगामी चार वर्ष के लिये विशिष्ट अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

(31) मंडी प्रांगण के बाहर क्रय केन्द्रों पर विपणन की सुविधायें उपलब्ध कराना:-

1. अनुज्ञप्तिधारी को मंडी क्षेत्र में मंडी समिति की पूर्व अनुमति से ही निर्धारित स्थलों पर ही कृषि-उपज क्रय करने की अनुमति होगी। इन स्थलों को **"क्रय केन्द्र"** कहा जायेगा। क्रय केन्द्र पर तौल की मानक व्यवस्था तथा कृषकों के लिये विक्रेता को उसी दिन मूल्य भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारक का होगा। क्रय केन्द्र पर म0प्र0कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 10 के अनुसार आधारभूत अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का सृजन करने का उत्तरदायित्व भी अनुज्ञप्तिधारक का होगा।
2. अधिसूचित कृषि उपज का मंडी प्रांगण में गत दिवस उपलब्ध हुआ न्यूनतम व अधिकतम मूल्य क्रय केन्द्र पर सहज दृष्टिगोचर स्थल पर कम से कम 3' 2' आकार का सूचना बोर्ड लगाकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। घोषित समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर किसी भी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय नहीं किया जायेगा।
3. क्रय केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापित करना होगा। ऐसे तौल कांटे का ऑपरेटर मंडी समिति का लायसेंसी होगा जिसे तुलैया कहा जायेगा। **प्ररुप-तीन** में क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तिका से

तुलैया द्वारा तौल पर्ची जारी की जावेगी तुलाई हेतु समस्त पारिश्रमिक क्रेता द्वारा देय होगा।

प्ररुप-तीन में क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई तौल पुस्तिका से तुलैया द्वारा तौल पर्ची जारी की जावेगी।

(32) विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करना :-

अनुज्ञप्तिधारी को क्रय-केन्द्रवार क्रय की गई कृषि-उपज की साप्ताहिक जानकारी मंडी समिति को **प्रपत्र-ग्यारह 'ग'** में सप्ताह पूर्ण होने के 3 दिन में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

(33) क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन एवं निर्गमन की व्यवस्था पर नियंत्रण :-

1. अनुज्ञप्तिधारी को क्रय-क्रेन्द पर क्रय करने के दिन एवं समय की पूर्व सूचना मंडी समिति को देना होगी। निर्धारित दिन से भिन्न दिनों में क्रय नहीं किया जाएगा।
2. क्रय केन्द्र पर कृषकवार क्रय की गई कृषि उपज एवं उसके परिवहन के संबंध में **प्रपत्र-अठारह** में पंजी संधारित करना होगी एवं इसे मंडी समिति के अधिकारी/कर्मचारियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा।
3. प्रत्येक क्रय केन्द्र पर मंडी समिति द्वारा एक केन्द्र प्रभारी जो सहायक उपनिरीक्षक से निम्न स्तर का न हो एवं आवश्यकतानुसार अन्य स्टॉफ भी तैनात किया जायेगा। क्रय केन्द्र पर प्रभावी नियमन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र प्रभारी मंडी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्रय केन्द्र प्रभारी प्राप्त शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज कराने के उपरांत जांच कर उनका निराकरण करेगा। प्राप्त शिकायतों के स्वरुप व उनके निराकरण की जानकारी क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा मंडी समिति को उपलब्ध कराई जावेगी। किसी शिकायत संदर्भ पर क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा किया गया निराकरण समाधानकारी प्रतीत न होने पर मंडी समिति आगे जांच करा सकेगी।

(34) क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय की शर्त :-

क्रय-केन्द्र पर एक दिन में एक कृषक/उत्पादक (विक्रेता/कृषक) से क्रय की गई भिन्न-भिन्न कृषि उपजों एवं भिन्न-भिन्न दरों पर क्रय की गई कृषि उपज के संबंध में मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को जारी किए गए प्रपत्रों में तीन प्रतियों में **सौदा पत्रक प्ररुप-दो-(अ)** तैयार करना होगा। सौदा पत्रक की एक प्रति विक्रेता/कृषक को, एक प्रति मंडी समिति को एवं एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को अपने पास संधारित करना होगा।

सौदा पत्रक में तय मूल्य एवं अनुज्ञप्ति अनुसार कृषि उपज की तौल मंडी समिति द्वारा इस बावत् अनुज्ञप्तिधारी तुलैया से क्रय केन्द्र पर ही कराना होगा एवं तौल अनुसार क्रय की गई कृषि उपज के मूल्य का भुगतान क्रय उपरान्त उसी दिन नगद अथवा क्रास्ड चैक से करना होगा। अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खाते में आवश्यक धनराशि के अभाव में चेक वापिस होने की स्थिति निर्मित न हो। भुगतान के प्रमाणक के रूप में मंडी समिति द्वारा उपविधि 17(4) के अधीन **प्ररुप-चार** में जारी भुगतान पत्रक तीन प्रतियों में बनाया जाएगा। भुगतान पत्रक की एक प्रति विक्रेता/कृषक को, तथा एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत दी जायेगी। भुगतान पत्रक की एक प्रति मंडी समिति को अगले दिन भेजी जाएगी। भुगतान पत्रक के साथ तौल पर्ची भी संलग्न करनी होगी।

(35) क्रय केन्द्रों से अधिसूचित कृषि उपज का निर्गमन एवं परिवहन :-

क्रय केन्द्रों पर क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपजों के परिवहन अथवा निर्गमन के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 6 के अंतर्गत उपविधि कंडिका 20(10) के अनुसार **प्रारुप-नौ** में अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्रय केन्द्र पर क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रेताओं को देय मूल्य एवं देय मंडी फीस तथा निराश्रित शुल्क के संपूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही मंडी समिति द्वारा नियुक्त क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी किया जावेगा।

*क्रमांक/नियमन/उपविधि/संशोधन/36/4611 दिनांक 30.01.2012 द्वारा संशोधित।

(36) क्रय केन्द्रों पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान :-

कृषक/विक्रेता-सौदा अनुसार कृषि उपज का मूल्य प्राप्त न होने पर, मंडी समिति को 05 दिन के अन्दर शिकायत कर सकेगा। अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय-विक्रय से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत पर क्रय केन्द्र प्रभारी दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्राप्त शिकायत एवं विवाद का निराकरण करेगा।

न्न्न्न्न

अध्याय-छः

कृषि विपणन पुरस्कार योजना

(37) विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगणों के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों के अवैधानिक क्रय-विक्रय से होने वाले शोषण एवं क्षति से कृषकों को बचाने एवं विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण के बाहर अवैध व्यापार को नियंत्रित कर मंडी फीस के अपवंचन को रोकने हेतु मंडी क्षेत्र के कृषकों को अपनी अधिकाधिक कृषि उपज विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगणों में खुली नीलामी पद्धति से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी समिति द्वारा **"कृषि विपणन पुरूस्कार योजना"** को निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया/शर्तो के अधीन प्रभावशील किया जा सकता है :-

1. योजना की प्रक्रिया :-

उपरोक्त कृषि विपणन पुरूस्कार योजना को मंडी समिति में प्रभावशील करने के लिये संबंधित मंडी समिति को निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगाः-

(अ) **योजना की स्वीकृति :-**

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना को प्रभावशील करने के पूर्व मंडी समिति अपने सम्मेलन में मंडी निधि की उपलब्धता तथा मंडी की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची में प्रस्ताव रखकर विचार-विमर्श कर योजना को सर्व सम्मति से प्रभावशील करने का निर्णय लेगी।

(ब) योजना में विजेताओं को पुरूस्कार वितरण, हेतु नगद अथवा कृषि यंत्रों, वस्तुओं एवं कृषि हेतु उपयोगी अन्य साधनों का (योजना की स्वीकृति राशि के अधीन) चयन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जावेगा।

(स) बजट प्रावधान- योजना हेतु मंडी समिति अपने बजट में पुरूस्कार मद हेतु राशि का प्रावधान नियमानुसार करेगी।

(द) लाटरी ड्रा हेतु मंडी समिति द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम एवं योजना के प्रचार प्रसार हेतु किये जाने वाले व्यय का

प्रावधान भी मंडी समिति द्वारा बजट में ही पृथक मद स्थापित कर किया जावेगा एवं विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।

2. योजना का स्वरूप :-

प्रांगण में कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज विक्रय हेतु लाये जाने पर उन्हें अपनी कृषि उपज की एन्ट्री (प्रविष्टि) मंडी गेट पर प्रवेश पंजी में करवाकर प्रवेश पर्ची प्राप्त करनी होगी एवं अधिसूचित कृषि उपज को नीलामी द्वारा मंडी प्रांगण में विक्रय करवाना होगा। अधिसूचित कृषि उपज के नीलामी में विक्रय के पश्चात् अनुबंधकर्ता कृषक द्वारा धारा-37(1) के अधीन मंडी कर्मचारी द्वारा जारी अनुबंध पर्ची धारा 37(2) एवं उपविधि कंडिका 17(4) के अधीन क्रेता व्यापारी द्वारा प्ररूप-चार में जारी **"भुगतान पत्रक"** सहित कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर मंडी कार्यालय द्वारा सीरियल नंबर अंकित कर रिकार्ड में प्रविष्टि कर पृथक से एक भुगतान पत्रक जारी किया जावेगा जिस पर मंडी समिति के कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं मुद्राकिंत होगी। एक से अधिक अधिसूचित कृषि उपज विक्रय होने पर पृथक-पृथक भुगतान पत्रक मंडी समिति द्वारा जारी किये जावेगें। मंडी समिति द्वारा जारी भुगतान पत्रक की द्वितीय प्रति मंडी समिति के कार्यालय में सुरक्षित उपलब्ध रखी जावेगी। भुगतान पत्रक पर कृषक का पूरा नाम, वल्द, पूर्ण पता व उसके हस्ताक्षर अंकित होंगे। मंडी समिति द्वारा जारी भुगतान पत्रक प्रस्तुत करने पर ही विजेता कृषक को पुरूस्कार प्रदान किया जावेगा। भुगतान पत्रक गुम या नष्ट होने की स्थिति में मंडी समिति विजेता कृषक की पहचान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक विधिक राय एवं परामर्श तथा आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर विजेता से शपथपत्र प्राप्त करेगी। यदि मंडी समिति समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विजेता कृषक की पहचान एवं की गई उक्त विधिक प्रक्रिया से पूर्णतः संतुष्ट होती है तो संबंधित कृषक को पुरूस्कार की राशि वितरित/भुगतान करने का निर्णय ले सकती है, परन्तु ऐसे प्रकरणों में मंडी समिति द्वारा की गई कार्यवाही एवं विजेता

कृषक को पुरूस्कार की राशि का भुगतान/वितरण के पूर्व प्रबंध संचालक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परन्तु समर्थन मूल्य पर क्रय करने वाली राज्य सरकार अधिकृत संस्था पर किसानो के द्वारा विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज जिस पर मंडी समिति को देय मंडी फीस का उद्वरण किया गया हो तथा संबंधित समर्थन मूल्य पर क्रय करने वाली संस्था द्वारा कृषक से अधिसूचित कृषि जिन्स क्रय करने और उसे भुगतान करने की सत्यापित जानकारी मंडी समिति को प्रस्तुत की गई हो, ऐसे कृषकों को भी कृषि विपणन पुरूस्कार योजना मे शामिल करते हुए इनामी कूपन मंडी समिति द्वारा जारी किये जायेगे तथा इनके रिकार्ड का संधारण योजना की कंडिका-2 मे उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा। (दिनांक 08.02.2016 संशोधित)

3. योजना की पुरस्कार राशि :-

योजना की प्रति ड्रा पुरूस्कार राशि कृषि उपज मंडी समिति के प्रवर्गो (श्रेणी) अनुसार उनके सामने दर्शायी गई संख्या अनुसार निम्नानुसार होगी :-

क्र0	मंडी का प्रवर्ग	कण्डिका-4 में उल्लेखित तीन ड्रा के माध्यम से निकाले जाने वाले पुरूस्कारों की अधिकतम कुल राशि	कण्डिका-4 में उल्लेखित बम्पर ड्रा के पुरूस्कार में दी जाने वाली वस्तु का नाम/राशि (यह कण्डिका-4 में उल्लेखित समान्य तीन ड्रा से अतिरिक्त होगी)
1	'क'- प्रवर्ग की मंडी समिति	1,04,000.00	35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर
2	'ख'- प्रवर्ग की मंडी समिति	59,500.00	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र
3	'ग'- प्रवर्ग की मंडी समिति	39,000.00	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र
4	'घ'- प्रवर्ग की मंडी समिति	21,000.00	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र

मंडी समिति का प्रवर्ग	बम्पर पुरूस्कार की संख्या	प्रत्येक बम्पर पुरूस्कार की निर्धारित राशि/ दी जाने वाली वस्तु का नाम	प्रथम पुरूस्कार की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि	द्वितीय पुरूस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि	तृतीय पुरूस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि	चतुर्थ पुरूस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि
'क'	01	35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर	01	21,000	02	15,000	03	11,000	04	5,000
'ख'	01	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	15,000	02	8,000	03	5,500	04	3,000
'ग'	01	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	10,000	02	6,000	03	3,000	04	2,000
'घ'	01	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	5,000	02	3,000	03	2,000	04	1,000

4. योजना का ड्रा :-

कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषि विपणन पुरूस्कार योजना का ड्रा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में तीन बार यथा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं बलराम जयंती (शासन द्वारा घोषित दिनांक) पर निकाले जावेंगे। ड्रा निकालने हेतु कृषि उपज मंडी समिति द्वारा 01 जनवरी से 31 जुलाई तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 01 अगस्त को व 01 मई सो 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रको का ड्रा बलराम जयंती तथा "16 अगस्त" को व 31 दिसंबर तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा 26 जनवरी को निकाला जावेगा। बलराम जयंती को (शासन द्वारा घोषित तिथि) को निकाले जाने वाले ड्रा के साथ ही बम्पर ड्रा भी पृथक से निकाला जायेगा, जिसमें विगत वर्ष 16 अगस्त से वर्तमान वर्ष 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों को शामिल कर ड्रा निकाला जायेगा। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणवश बलराम जंयती को मंडी द्वारा ड्रा नही निकाला जा सका है तो यह ड्रा, आगामी ड्रा की तिथि, यथा 26 जनवरी को मंडी में जारी 01 मई से 15 अगस्त तक के भुगतान पत्रकों और 16 अगस्त से 31 दिसंबर से जारी भुगतान पत्रको के लिये तथा उपरोक्त उल्लेख अनुसार बम्पर ड्रा (विगत वर्ष 16 अगस्त वर्तमान वर्ष 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रक को शामिल कर) अलग-अलग निकाला जावेगा। योजना का ड्रा

कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर कृषकों, व्यापारियों, मंडी क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में खोला जावेगा। योजना तथा लाटरी ड्रा निकाले जाने वाली तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार मंडी समिति द्वारा किया जावेगा जिसकी सूचना मंडी समिति, नगर पालिका, पंचायत, जनपद पंचायत तथा कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर सूचनार्थ चस्पा कराई जावेगी। यथा संभव ड्रा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।"

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना के लिये जारी आदेश दिनॉक 28.01.2008 की कंडिका (उपरोक्त कंडिका-4 मे आदेश क्रमांक बोर्ड/यो/ गैर.तक/71/2014-15/3202 दिनॉक 22.10.2014 जारी कर निम्नाननुसार संशोधन किया गया।

उक्त आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुये प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि विपणन पुरूस्कार योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा पुरूस्कार का ड्रा लॉटरी पद्धति द्वारा प्रत्येक वर्ष मे 02 बार 01 फरवरी से 31 जुलाई तक जारी भुगतान पत्रको का ड्रा बलराम जयंती को तथा 01 अगस्त से 31 जनवरी तक जारी भुगतान पत्रको का ड्रा नर्मदा जयंती पर निकाला जयेगा। यदि किसी कारणवश घोषित तिथि मे कृषि विपणन पुरूस्कार योजना के ड्रा नही निकाले जा सके तब ऐसी स्थिति मे योजना अनुसार ड्रा निकालने हेतु आगामी तिथि निर्धारित करने का अधिकार सचिव कृषि उपज मंडी समिति को प्रत्यायोजित किया जाता है। योजना की शेष शर्ते यथावत रहेगी। यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

5. योजना के क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु उपसमिति का गठन :-

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना को सुचारू एवं बेहतर ढंग से प्रभावशील/संचालन करने के लिये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा नियमानुसार यदि आवश्यक हो तो ठहराव/प्रस्ताव पारित कर उपसमिति का गठन किया जा सकेगा, परन्तु योजना को मंडी क्षेत्रों में सुचारू एवं बेहतर ढंग से प्रभावशील करने का पूर्ण दायित्व मंडी समिति के सचिव का रहेगा।

6. अंतिम निर्णय का अधिकार :-

कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रभावशील की गई कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पावर अंतिम निर्णय का अधिकार कृषि उपज मंडी समिति को होगा, जो सभी पक्षों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

7. योजना में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार :-

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में आवश्यकतानुसार किसी भी समय किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/रद्द अथवा दिशा निर्देश जारी करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड को सुरक्षित है। प्रबंध संचालक द्वारा योजना के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मंडी समिति के लिये अनिवार्य होगा।

न्न्न्न्न

अध्याय - सात

संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन

संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्तें

(38) 1. प्रस्तावना -

संविदा कृषि, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता तथा/या विपणन फर्मो, मंडी बिचौलियों तथा कृषकों के बीच बहुधा पूर्व निर्धारित मूल्यों पर कृषि उत्पादों के समर्थन तथा उत्पादन के लिये किया जाने वाला एक अनुबंध हैं। यह अनुबंध, स्पष्टतः कृषकों को, उदाहरण स्वरूप, आदानों का प्रदाय और तकनीकी सलाह का प्रावधान, क्रेता को सतत उत्पादन में सहारा देने के लिये समाहित रखता है। इन व्यवस्थाओं का आधार, कृषक की ओर से क्रेता द्वारा अवधारित मात्रा एवं गुणवत्ता मानकों पर विनिर्दिष्ट जिन्स उपलब्ध कराने की वचनबद्धता तथा मंडी के पंजीकृत बिचौलियों की ओर से कृषकों के उत्पादन को सहारा देने तथा जिन्स को क्रय करने की वचनबद्धता रहती है। इस प्रकार, संविदा कृषि, वितरण की जोखिम को प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता तथा उत्पादक के मध्य, वितरण का साधन है। अगला (उत्पादक) उत्पादन से जुड़ी जोखिम अपनाता है जबकि पहला (प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता) अंतिम उपज के विपणन से संबद्ध जोखिम उठाता हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार-**"संविदा कृषि"**, आर्थिक भूमण्डलीकरण से जुड़ी हुई बुराईयों में से ही एक बुराई है। एक ओर तो छोटे पैमाने के कृषकों का असंगठित समूह है जिसके पास मौलभाव करने की बहुत कम शक्ति हैं तथा उत्पादकता बढ़ाने व व्यापारिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक बहुत ही थोडे संसाधन हैं। वहीं दूसरी और कृषि व्यवसाय के शक्तिशाली उद्यमी हैं, जो आदान और तकनीकी सलाह के बदले सस्ते श्रमिकों का शोषण कर अपनी अधिकांश जोखिमों को प्राथमिक उत्पादकों को अन्तरित (स्थानांतरित) कर देते हैं। आलोचक कहते हैं कि **"संविदा कृषि"** सारतः दो असमान पक्षों के बीच एक अनुबंध है और जो छोटे किसानों के विकास के बजाए उन्हें ऋणग्रस्त करने में अधिक सम्भाव्य है। पर ऐसा बहुत कम होता है। एक **"खाद्य एवं कृषि संगठन मार्गदर्शिका"** (एफ.ए.ओ गाइड), **"संविदा कृषिः उत्पादन के लिये भागीदारी"** यह युक्ति देती है कि

सुव्यवस्थित संविदा कृषि, लघु कृषि क्षेत्र को सलाह के विस्तृत संसाधनों, यंत्रीकरण, बीजों, उर्वरकों और साख तथा उपज के लिये प्रत्याभूत और लाभकारी मंडियों की प्रभावी कड़ी सिद्ध हुई है। यह एक दृष्टिकोण है जो कृषकों को आय बढ़ाने और प्रर्वतकों के लिये उच्चतर लाभ दे सकता है। जब कुशलता से आयोजित किया जाय एवं सम्हाला जाए तो संविदा कृषि दोनों पक्षों के लिये जोखिम एवं अनिश्चितता को कम कर सकती है और उत्पादक को अपने उत्पादन में मूल्यवर्धन का अवसर प्रदान करती है।

2. संविदा कृषि के गुणः-

कृषकों के लिये प्रमुख लाभ यह है कि प्रवर्तक बहुधा पूर्व निर्धारित मूल्य पर सामान्यतः विनिर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा परिसीमा में उत्पादित समस्त उपज क्रय करने के लिये वचनबद्ध होगा। संविदाएं, कृषकों को प्रबंधकीय विस्तृत परिक्षेत्र, तकनीकी और विस्तार सेवाओं में प्रवेश उपलब्ध करा सकती है जो अन्यथा प्रकार से अप्राप्त होता है। छोटे पैमाने के कृषकगण बहुधा नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने के लिये अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनमें संभावित जोखिम और लागत अन्तर्विष्ट होती है। संविदा कृषि में निजी कृषि व्यवसाय, सामान्यतः सुधरे हुये तरीके और प्रौद्योगिकियां प्रदाय करता है क्योंकि अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये कृषकों के उत्पादन वृद्धि में उसकी सीधी आर्थिक रुचि रहती है। बहुत से उदाहरणों में बड़ी कम्पनियां, विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा किये गये कृषकों को उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये अपना विस्तृत समर्थन प्रदाय करती हैं। संविदा कृषि के माध्यम से कृषक सीखता है, कुशल होता है, जिसमें अभिलेख का रख-रखाव, रसायन और उर्वरक उपयोग करने के सुधरे तरीके और निर्यात मंडियों की मांग और गुणवत्ता का महत्व सम्मिलित होगा। अपनी फसल के लिये जो प्रतिफल कृषक खुली मंडी में प्राप्त करते हैं, वह प्रचलित मूल्यों और खरीददारों के साथ सौदा करने की क्षमता पर निर्भर है, किन्तु संविदा कृषि कुछ सीमा तक मूल्य अनिश्चितता को पार कर सकती है। बहुधा, प्रवर्तक भुगतान किया जाने वाला मूल्य अग्रिम में बता देते हैं और ये अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

संविदा कृषि व्यवस्था :-

(क) अन्यथा प्रकार से यदि प्रदाय व्यवस्था लगातार तरीके से उपलब्ध न हो तो कृषि प्रसंस्करण या विनिर्माण संयंत्र की सुविधा उत्पन्न करने से,

(ख) छोटे कृषकों से उपज को निर्यात कराकर, जो कि अन्यथा प्रकार से मांग वाली मंडियों में पहुंच बनाने लायक नहीं है,

(ग) ऊंची गुणवत्ता के उत्पादन को बढ़ावा देकर और अच्छे ढंग से रख-रखाव और छंटाई करके, इस प्रकार छोटी जोत के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करके, तथा

(घ) कृषकों और प्रसंस्करणकर्ताओं/विनिर्माता को आर्थिक मापदण्ड प्राप्त कराकर, जिससे कम लागत से उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर, मूल्य सवंर्धित कर सकती है।

3. संविदा कृषि में जोखिम के घटक :-

पैदा होने वाली नई, अपरिचित फसलें उगाने और मंडियों के लिये ऐसी प्रस्तुति में जो सदैव उनकी आशाओं के या उनके प्रर्वतकों की भविष्यवाणी के अनुकूल नहीं होगी, अनिश्चितता निहित रहती है। प्रभावहीन प्रबंधन अति उत्पादन की ओर ले जा सकता है, इन्हीं प्रकरणों में प्रर्वतक, "क्रय को कम करने के उद्देश्य से गुणवत्ता मानक को प्रभावित करने के लिये प्रलोभित किये जाएं।" कृषकों की सबसे बडी जोखिम ऋण ग्रस्तता है, जो उत्पादन समस्याओं, निर्बल तकनीकी सलाह, मंडी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन या कम्पनियों के संविदा का सन्मान करने की असफलता के कारण उत्पन्न होती है। प्रर्वतक के पक्ष में जोखिम ऐसे कृषकों के साथ व्यवहार करने से होती है, जो अपनी ओर से पारम्परिक स्वामियों के साथ भूमि का उपयोग करने के लिये समझौता कर लेते है। संविदा करने के पूर्व प्रर्वतक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम से कम संविदा अवधि तक भूमि के लिये पहुंच सुरक्षित हो। किन्तु अधिक गंभीर समस्या तब आती है जब कृषकगण संविदा भंग करते हैं और अपनी उपज वैकल्पित

मण्डियों में बेच देते हैं, ऐसा कभी-कभी प्रचलित अधिक मूल्यों पर खुले बाजार में या प्रतिद्वन्दी प्रर्वतकों के उकसावे पर होता है।

4. प्रबंधकीय व्यवस्थाएँः-

संविदा कृषि व्यवस्था को कृषि उद्योग और कृषकों के बीच भागीदारी के रूप में देखा जाना है। प्रर्वतक द्वारा अच्छी सेवा का प्रदाय, सफल संविदा कृषि की एक पूर्व शर्त है। इसलिए, प्रर्वतकों को उत्पादन और विपणन गतिविधियों का ठीक से समन्वय करने का निश्चित उत्तरदायित्व लेना चाहिऐ। प्रबंधकगण कृषकों के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की कृषक अपनी और प्रर्वतक, दोनों की बाध्यताओं को समझें। निम्नांकित मध्यस्थता द्वारा संविदा कृषि व्यवस्थाओं में कृषकों की चूक को कम किया जा सकता हैः

(क) कृषक संघों का आयोजनः- समूह के भीतर बराबर का दबाव, संभावित चूक कर्ताओं को छांट देता है और चूक की जोखिम को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त मापदण्ड का अर्थशास्त्र, सेवाओं के प्रदान में प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लागत में कमी आयेगी। कम्पनियों के साथ सौदे बाजी में वरदहस्त प्राप्त कर कृषक भी लाभ प्राप्त करेंगें।

(ख) अच्छा संचार और कृषकों का गहन अनुश्रवणः- अच्छा संचार, कम्पनी-कृषक सम्बन्धों और विश्वसनीयता का पोषण करता है, जिसका, रची गई चूक को कम करके, सार्थक प्रभाव पड़ता है। जहॉ गुणवत्ता की सुनिश्चितता और उपज का पता लगाने तथा पूरी श्रृखला में वांछित पारिश्रमिकता सिद्ध करने की आवश्यकता हो, समूह के सदस्य एक दूसरे का अनुश्रवण कर सकते हैं।

(ग) प्रदत्त सेवाओं का परिक्षेत्र एवं गुणवत्ता :- प्रदत्त सेवाओं का जितना अधिक अच्छा और विस्तृत, परिक्षेत्र होगा, उतनी ही घनिष्टता, कृषक और व्यापार के बीच होगी और सम्बन्ध विच्छेद करनी से उतनी ही अधिक हानि कृषक उठायगा।

5. संविदा कृषि के प्रकारः-

संविदा कृषि अनुबंध, जो परस्पर अनन्य वर्गो में न होकर, तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते है -

(एक) मंडी विनिर्दिष्टियां,

(दो) संसाधन प्रदायी, तथा

(तीन) उत्पादन प्रबंधन।

मंडी विनिर्दिष्ट संविदाएं, फसल (कटाई) पूर्व के अनुबंध हैं जो फर्म और उत्पादक को नियत विशिष्ट शर्तो पर फसल के विक्रय हेतु शासित होने के लिये अनुबन्धित करते हैं। ये शर्ते बहुधा मूल्य, गुणवत्ता एवं अवधि का उल्लेख करती हैं। संसाधन प्रदायी संविदाएं, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को विपणन अनुबंध के लिये विनिमय में आदान की पूर्ति, विस्तार या साख प्रदान करने के लिये बाध्य करती हैं। उत्पादन प्रबंधन संविदाएं कृषक को सामान्यतः विपणन अनुबंध के लिये या संसाधन प्रावधान विनिमय में निश्चित उत्पादन पद्धति या आदान प्रणाली को अपनाने के लिये बांधती हैं। विभिन्न संयोजनों में ये संविदा नमूने, फर्मो को अपनी स्वयं की फसल उगाये बिना उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने, और लापता मण्डियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। ईटन एवं शेफर्ड ने **"संविदा कृषि"**, वृद्धि के लिये भागीदारी शीर्षक की अपनी पुस्तक (खाद्य एवं कृषि संगठन-2001) में संविदा कृषि के लिये पॉच संगठनात्मक आदर्श प्रस्तुत किये हैः-

(क) केन्द्रित आदर्शः- प्रवर्तक, कृषकों से प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिये फसल क्रय करता है और उत्पादन बेचता है। उत्पादन के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में कोटा वितरित कर दिया जाता है और गुणवत्ता, कसावट से नियन्त्रित की जाती है। यह आदर्श सामान्यतः तम्बाखू, कपास, गन्ना, केले, कॉफी, चाय, नारियल और रबड़ फसलों के साथ सम्बद्ध होता है।

(ख) नाभिक सम्पत्ति आदर्श :- प्रवर्तक, प्रसंस्करण या विनिर्माण संयन्त्र के निकट बागान का स्वामित्व रखता है और व्यवस्था करता है और प्रौद्योगिकी तथा व्यवस्थापन तकनीकों से कृषकों को परिचित कराता

है (इन्हें कभी-कभी **"उपग्रही"** उत्पादक कहा जाता है)। यह वृक्षीय फसलों के लिये उपयोग किया जाता है; किन्तु दुग्ध उत्पादन में भी उपयोग में लाया गया है।

(ग) बहुपक्षीय आदर्शः- इसमें प्रायः विधिक निकाय और निजी कम्पनियां सम्मिलित हैं जो संयुक्त रूप से कृषकों के साथ भाग लेती हैं। यह चीन में सामान्य है, जहॉ शासन के विभाग, नगरीय समितियां और विदेशी कम्पनियां ग्रामों और कृषकों से व्यक्तिगत संविदाओं में सम्मिलित होते हैं।

(घ) औपचारिक या व्यक्तिगत विकसित आदर्शः- व्यक्तिगत उद्यमी या छोटी कम्पनियां, विशेषकर ताजी सब्जियों और उष्ण कटिबन्धीय फलों के लिये कृषकों के साथ सत्रीय आधार पर साधारण, अनौपचारिक उत्पादन संविदाएं करते हैं। सुपर बाजार अक्सर व्यक्तिगत विकासकर्ताओं के माध्यम से ताजी उपज खरीदते हैं।

(ड.) बिचौलिया आदर्शः- दक्षिण एशिया में बिचौलियों के साथ फसल उत्पादन की उप-संविदा करना सामान्य है। थाईलैण्ड में खाद्य प्रसंस्करण या विनिर्माण करने वाली बड़ी कम्पनियां व्यक्तिगत **"संग्राहकों"** से या कृषक समितियों से फसल खरीदती हैं, जो कृषकों के साथ अपनी स्वयं की अनौपचारिक व्यवस्थाएं करती हैं।

6. संविदा कृषि अनुबन्धों की निर्दिष्टियां:-

संविदा कृषि अनुबंध, विभिन्न घटकों, जैसे कि-उत्पाद की प्रकृति, वांछित प्राथमिक प्रसंस्करण या विनिर्माण, यदि कहीं हो, और पूर्ति की विश्वसनीयता के रूप में मण्डियों की मांग पर अवलम्बित होता है। गुणवत्ता प्रोत्साहन, भुगतान व्यवस्था, उत्पादन प्रक्रिया पर प्रवर्तक का चाहा गया नियन्त्रण स्तर तथा पक्षकारगण की जो पूंजी सम्बद्धता है वह भी अनुबंध की प्रकृति को प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप तैल-ताड़ (खजूर), चाय या शक्कर, जहां महत्वपूर्ण दीर्घ अवधि विनियोग समस्त पक्षों से वांछित है, समाहित करने वाली संविदा अलग प्रकार की होगी क्योंकि फलों और सब्जियों जैसी वार्षिक फसलों को समाहित करने वाली सुपर बाजारों के लिये

उसी प्रकार की संविदायें नहीं हो सकती जैसा कि समुद्रपार (विदेशी) मण्डियों के लिये नियत उपज को समाहित करने वाली होगी, जिसका कीटनाशक उपयोग और उत्पाद की गुणवत्ता, साथ ही साथ उच्चतर प्रस्तुती एवं पैकिंग मानक पर कठोर नियन्त्रण होता है। यद्यपि, निगमित निकाय, शासकीय अभिकरण और व्यक्तिगत विकासकर्ता, अनुबंध की उत्प्रेरक आवश्यकता है, कृषक और उनके प्रतिनिधियों को आवश्यकीय रूप से अनुबंध का प्रारूपण करने, और कृषकगण समझ सकें ऐसे पदों में विनिर्दिष्ट शब्दावली देने के लिये, सहयोग करने का निश्चित रूप से अवसर दिया जाना चाहिए। प्रबन्धन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबंध पूरी तरह से समस्त कृषकों द्वारा समझ लिया जाए। सम्मिलित किये गये निबन्धन और शर्ते, स्वतन्त्र जांच के लिये लेखबद्ध किये जाने चाहिए और प्रतियां कृषकों के प्रतिनिधियों को दी जानी चाहिए। प्रतियां सम्बद्ध शासकीय अभिकरणों को भी दी जानी चाहिए।

अनुबंध की विधिक रूप-रेखा में भारतीय संविदा अधिनियम की न्यूनतम विधिक वांछाओं का पालन होना चाहिए, स्थानीय पृथा को ध्यान में रखना चाहिए और मध्यस्थता के लिये व्यवस्था निश्चित रूप से सम्बोधित की जाए। लिखित संविदा के रूप में अनुबंध, प्रायः प्रत्येक पक्षकार के उत्तरदायित्व और बाध्यताओं, वह तरीका जिसमें अनुबंध प्रभावशील किया जा सकता है और यदि संविदा भंग होती है तो किये जाने वाले उपचारों को सम्मिलिति करते हैं। अधिकतर प्रकरणों में, अनुबंध, प्रवर्तक और कृषक के बीच किये जाते हैं, यद्यपि बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में,सविदाएं, प्रवर्तक और कृषक संघों या सहकारी समितियों के बीच हो सकती है।

विनिर्दिष्टियां:-

मंडी विनिर्दिष्ट, संसाधन प्रदायी और उत्पाद प्रबन्धन संविदाओं की विस्तृत श्रेणियों में फर्मो को उन निबन्धनों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जिनमें ये सम्मिलित हों :-

(क) **विपणनः-** कितनी उपज, कब, किस मूल्य पर कितनी मात्रा में क्रय की जाएगी? उत्पादक को अपना समस्त उत्पाद, एक भाग या नियत मात्रा अवश्य प्रदाय करना चाहिए,

(ख) **आदान और तकनीकी सहायता :-** आदान और तकनीकी सहायता कैसे प्रदान की जाएगी, कितनी और किस मूल्य पर और मात्रा में?

(ग) **साख :-** क्या उत्पादक, साख नगद या प्रकार में प्राप्त करेगा? किस ब्याज दर पर कितनी प्राप्त की जायेगी? सहवर्ती (समानान्तर) क्या होगी।

(घ) **उत्पादन प्रबन्धन :-** कौन सी प्रौद्योगिकी प्रक्रिया उत्पादक को अपनाना चाहिए, उत्पादक का अनुश्रवण कैसे किया जाएगा?

(ड.) प्रदाय और श्रेणीकरणः प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के लिये फसल का परिवहन कौन करेगा और गुणवत्ता का श्रेणीकरण कैसे किया जाएगा?

(च) संविदा की अवधि,

(छ) वह तरीका जिसमें मूल्य की गणना की जाएगी-

(एक) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में मूल्यों का निर्धारण करके,

(दो) विश्व या स्थानीय मण्डियों के मूल्यों के उतार-चढाव के आधार का उपयोग करके,

(तीन) मंडी स्थल मूल्यों का उपयोग करके,

(चार) जब कच्चे या प्रसंस्कृत या विनिर्मित उत्पाद के बेचे जाने तक कृषक को भुगतान की जानकारी नही होती, परेषण मूल्य का उपयोग करके,

(पांच) जब सहमति आधारित मूल्य कृषक प्राप्त करता है, प्रवर्तक द्वारा उत्पाद बेच दिये जाने पर अन्तिम मूल्य के साथ, मूल्य का विभाजन करके,

(ज) कृषकों को भुगतान करने तथा साख अग्रिमों के वापसी की मांग के लिये प्रणाली,

(झ) बीमा समाहित करने की व्यवस्था,

(ञ) अधिसूचित शासकीय अभिकरण और विवाद निश्चय तन्त्र के साथ संविदा कृषि अनुबंध का पंजीकरण।

(39) संविदा खेती :-

संविदा खेती के कृषि उपज के उत्पादक और क्रेता के बीच प्ररूप (19) में लिखित करार के अधीन करार में विहित रीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। संविदा खेती के लिये किया जाने वाला करार प्ररूप(19) में निष्पादित होगा जिसमें संविदा खेती की विशिष्टयॉ, निबंधन तथा शर्तें अतविष्टि होगी।

(40) संविदा खेती का रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) :-

(1) क्रेता, संविदा खेती के प्ररूप (19) में लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए मंडी समिति को प्ररूप (20) में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक के साथ क्रेता द्वारा 1000.00 (एक हजार रू.) रजिस्ट्रीकरण फीस जमा की जाएगी।

(2) संविदा खेती के रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) हेतु आवेदन :-

अधिनियम की धारा 37-क(1) में उल्लेखित क्रेता अधिनियम की धारा 37-क(2) के अन्तर्गत मंडी समिति में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप (20) में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन फार्म मंडी समिति द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा। आवेदन के साथ निर्धारित रजिस्ट्रीकरण फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है अन्यथा आवेदन में कमियों का उल्लेख करते हुए आवेदन तत्समय मंडी समिति द्वारा वापस कर दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राप्त आवेदन नस्ती बनाकर पंजीबद्व करते हुए अनुज्ञप्ति शाखा प्रभारी द्वारा मंडी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण हस्तान्तरित किया जायेगा। इस नस्ती पर बाजार व्यवस्था एवं मंडी शुल्क शाखा तथा लेखा शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जावेगा। निरीक्षक/मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच स्वयं करते हुए अपने अभिमत सहित निर्णय हेतु प्रकरण भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष मंडी समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

संविदा खेती के ऐसे प्रत्येक प्रकरण का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन की कालावधि में करा लिया जाना आवश्यक है। निर्णय लिखित में स्पष्ट स्वीकृति या अस्वीकृति का लिया जायेगा। अस्वीकृति की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन संलग्न किये गये समस्त अभिलेखों सहित मय डिमाण्ड ड्राफ्ट के पंजीकृत डाक से आवेदक को वापस कर दिया जायेगा, किन्तु यह समस्त कार्यवाही मंडी समिति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। संविदा खेती के लिये निष्पादित करार के मंडी समिति में रजिस्ट्रीकरण करवाने के पश्चात् मंडी समिति द्वारा प्ररूप (21) में करार के पंजीकरण की प्रति क्रेता एवं उत्पादक दोनों को मंडी समिति द्वारा प्रदाय की जावेगी।

(41) संविदा खेती के करार से उत्पन्न विवादों का निपटारा :-

(क) यदि संविदा खेती के करार के उपबंधो के संबंध में पक्षकारों (क्रेता एवं कृषि उपज के उत्पादक) के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मंडी समिति का अध्यक्ष पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा।

(ख) उपकंडिका (क) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा, तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(42) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपजों के विपणन का नियंत्रण :-

(क) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, निष्पादित करार के अनुसार उत्पादक द्वारा क्रेता को मंडी प्रागंण के बाहर मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों के अधीन विकृत की जाएगी।

(ख) संविदा खेती के अधीन विकृीत कृषि उपज पर मंडी फीस का उद्ग्रहण तथा वसूली मंडी समिति द्वारा धारा 19 के उपबंधो के अधीन विहित की गई दरों पर उपविधि में विहित रीति अनुसार क्रेता से किया जाएगा। संविदा खेती के लिये निष्पादित करार के अनुसार यथास्थिति क्रेता द्वारा उत्पादक से अधिसूचित कृषि उपज के प्राप्ति के 14 दिवस की कालावधि में अथवा अधिसूचित कृषि उपज के मंडी क्षेत्र से निर्गमन/विक्रय/प्रसंस्करण या विनिर्माण के पूर्व नियमानुसार देय मंडी फीस का भुगतान मंडी समिति को किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा क्रेता से धारा 19(4) के प्रावधानों के अधीन दाण्डिक मंडी फीस की वसूली की जावेगी।

(ग) संविदा खेती के अधीन क्रेता द्वारा उत्पादक से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का मंडी/मंडी क्षेत्र से निर्गमन करने के पूर्व क्रेता को धारा 19(6) के अधीन मंडी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संविदा खेती के लिये निष्पादित करार के अधीन उत्पादक को अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय से संबंधित देय राशि के बकाया रहने अथवा धारा 37-क(3) एवं (4) के अधीन विवाद जारी रहने पर अथवा धारा 19 के उपबंधो के अधीन देय मंडी फीस/निराश्रित शुल्क के बकाया रहने की स्थिति में मंडी समिति द्वारा क्रेता को ऐसी प्रश्नगत अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्राप्त प्रसंस्कृत या विनिर्मित उत्पाद के निर्गमन/विक्रय के लिये धारा 19(6) के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जावेगा, और ऐसी प्रश्नगत अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्राप्त उत्पादन को धारा 23 की उपधारा(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अभिगृहित किया जा सकेगा।

(43) निरसन तथा व्यावृतिया :-

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) धारा 80 के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समिति ..... के लिए बनाई गई उपविधि 1987 के भाग-1 से भाग-3 एवं इनके प्रारूप व निर्देश एतद् द्वारा निरस्त किए जाते है;-

ऐसे निरासन के होते हुए भी उक्त उपविधि या तदाधीन जारी निर्देश की ऐसी बात जो इस उपविधि से असंगत ना हो लागू रहेगी।

न्न्न्न्न

प्रारूप-एक

अनुबंध पत्र

(उपविधि 16 (4) के अन्तर्गत)

अनुबंध क्रमांक ..... पुस्तिका क्रमांक .....

दिनांक .....

कृषि उपज का नाम	अनुमानित मात्रा	विक्रेता/कृषक का नाम एवं पता	क्रेता या उसके अभिकर्ता का नाम एवं लायसेंस नम्बर	कृषि उपज के बोरा/पात्र का विवरण	घोष विक्रय में प्राप्त अधिकतम दर
1	2	3	4	5	6

मंडी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नोटः-

(1) अनुबंध कराया जाता है कि ऊपर लिखित कृषि उपज क्रय करने के लिये क्रेता एवं विक्रय करने के लिये विक्रेता/कृषक अनुबद्ध है। क्रेता द्वारा सीधे विक्रेता/कृषक को कृषि को लेने से इन्कार नहीं किया जायेगा। अपितु उपविधि 17 (8) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध का उल्लंधन करने पर क्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रदद् करने के लिये दायित्वाधीन होगी।

(2) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

(3) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक मंडी समिति को सूचित करेगा। पांच दिन बाद शिकायत दर्ज नहीं होगी।

हस्ताक्षर मंडी कर्मचारी

प्रारूप-दो

सौदा पत्रक

(उपविधि 16 (4) के अन्तर्गत)

अनुक्रमांक ..... पुस्तिका क्रमांक .....

दिनांक .....

क्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति क्रमांक	विक्रेता/कृषक का नाम तथा पता	कृषि उपज का नाम	मात्रा	दर	नमूने का वजन
1	2	3	4	5	6

क्रेता के हस्ताक्षर विक्रेता/कृषक के हस्ताक्षर

मंडी कर्मचारी का नाम .....

पद .....

हस्ताक्षर .....

नोटः- सौदे की शर्तें

(1)
(2)
(3)

नोटः-

(1) विक्रेता/कृषक का अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

(2) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक मंडी समिति को सूचित करेगा।

(3) पांच दिन बाद शिकायत दर्ज नहीं होगी।

प्रारुप - दो (अ)

क्रय केन्द्र पर उपयोग हेतु सौदा पत्रक

उपविधि कंडिका (34) के अधीन

अनुक्रमांक ..... पुस्तिका क्रमांक .....

दिनांक .....

क्रय केन्द्र का नाम/स्थान

विक्रेता/कृषक का नाम तथा पता	क्रेता का नाम तथा अनुज्ञप्ति क्रमांक	कृषि उपज का नाम	मात्रा	दर (भाव)
1	2	3	4	5

केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर (.....)

क्रेता के हस्ताक्षर (.....)

विक्रेता/कृषक के हस्ताक्षर (.....)

नाम .....

पद .....

हस्ताक्षर .....

नोट :-

(1) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्र/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज की तौल के दिन ही क्रेता द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान किया जायेगा। उसी दिन पूरा भुगतान न करने की दशा में आगामी दिन से एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से 5 दिन तक अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जायेगा।

(2) उसी दिन भुगतान नहीं प्राप्त होने की दशा में विक्रेता/कृषक सचिव मंडी समिति/केन्द्र प्रभारी को तत्काल लिखित शिकायत कर सूचित करेगा परन्तु 5 दिन बाद शिकायत मान्य/दर्ज नहीं होगी।

प्रारूप - तीन

उपविधि क्रमांक 17 (3) के अन्तर्गत

कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला .....

तौल पर्ची

दिनांक .....

तौल पर्ची क्रमांक .....

पुस्तिका क्रमांक .....

1. अनुबंध क्रमांक .....
2. क्रेता का नाम .....
3. कृषि उपज का नाम .....
4. बोरो की संख्या .....
5. वास्तविक वजन .....

तुलैया का अनुज्ञप्ति क्रमांक
तथा तुलैया के हस्ताक्षर

प्रारूप - चार

भुगतान-पत्रक

(धारा 37(2), उपविधि 17(4),17(5),के अन्तर्गत)

1. दिनांक ..... पुस्तिका क्रमांक .....
2. क्रेता का नाम एवं लायसेंस नम्बर .....
3. विक्रेता/कृषक का अनुबंध पत्रक क्रमांक/सौदा पत्रक क्रमांक .....
4. विक्रेता/कृषक का नाम .....

कृषि उपज का नाम	अनुबंध / सौदा पत्रक के आधार पर वजन	तौल पर्ची के आधार पर वास्तविक वजन	दर	कृषि उपज का मूल्य	विलंब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान	कुल मूल्य	उपविधि के अनुसार हम्माली की दर	कुल हम्माली जो मूल्य में से काटी जाएगी।	विक्रेता/कृषक को भुगतान	
									नगद भुगतान राशि	आरटीजीएस/ एन.ई.एफ.टी/ आनलाईन बैंकिग से भुगतान राशि यू.टी.आर. विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

क्रेता के हस्ताक्षर विक्रेता/कृषक के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर

नोटः-(1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(क)-मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मण्डी प्रांगण में किया जायेगा: धारा 37(2)(ख) - यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन भुगतान नही करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के 1 प्रतिषत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का दायी होगा: धारा 37(2)(ग) - यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन से पांच दिन के भीतर नही करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवें दिन को रदद् कर दी गई समझी जायेगी और उसे या उसके नातेदार (धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विर्निदिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रदद्करण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी।

(2) क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक को किसी भी स्थिति में भुगतान हेतु चैक जारी नहीं किए जा सकेंगे।

(3) आरटीजीएस/एनईएफटी/आनलाईन बैंकिग के माध्यम से राशि विक्रेता /कृषक के खाते में स्थानांतरण के प्रमाणीकरण स्वरूप संबंधित बैंक की जमा पर्ची/रसीद व यूटीआर नम्बर संलग्न करे।

प्रारूप - पांच-अ

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन
व्यापार हेतु

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे

प्रति,

आवेदन क्रमांक .....
दिनांक .....

श्रीमान् अध्यक्ष/भारसाधक महोदय
कृषि उपज मंडी समिति, ...

1. आवेदक मंडी में जिस नाम से व्यवसाय करना चाहता है। : .....
2. क्या आवेदक फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/व्यक्तिगत /कम्पनी/सरकारी संस्था है। : .....
3. आवेदक फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कम्पनी सरकारी संस्था/व्यक्तिगत है तो समस्त भागीदार/कर्ता /डायरेक्टर के नाम एवं पूर्ण पता : .....

नाम	उम्र	पता	टेलिफोन नं.	आरक्षित केन्द्र का नाम

4. आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था है तो पंजीयन क्रमांक एवं तिथि। : .....
5. 1.1 आवेदक का जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक : .....
   1.2 राज्य के व्यापारियों के लिये समग्र पहचान पत्र .....
   1.3 1.3 राज्य के बाहर के व्यापारियो के लिये आधार नम्बर .....
6. आवेदक का इन्कम टेक्स स्थायी खाता क्रमांक : .....
7. आवेदक का किन बैंकों में खाता है उन बैंकों के नाम एवं खाता क्रमांक। : .....

8.	आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था/ व्यक्तिगत है तो पूंजी नियोजन कितना है।	:	.....
9.	आवेदक के कारोबार का मुख्य स्थान एवं शाखाओं के पते एवं कृषकों को भुगतान करने वाले स्थल का पूर्ण पता।	:	कारोबार का मुख्य स्थान .....
		:	भुगतान स्थल का पता .....
		:	शाखाओं के नाम एवं पता .....
10.	आवेदक द्वारा कृषक से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज कहॉ पर भण्डारण की जावेगी ऐसे गोदाम एवं फेक्ट्री स्थल के पते।	:	गोदाम का विवरण पता 1. ..... 2. .....
		:	गोदाम की संग्रहण क्षमता
		:	गोदाम भवन के स्वामी का नाम
11.	प्रस्तावित कृषि उपज जिसका आवेदक व्यापार या कारोबार करना चाहता है।	:	.....
12.	आवेदक की ओर से मंडी नीलामी एवं तोल कार्य हेतु सहायकों के नाम एवं उनसे संबंध।	:	1. नाम संबंध उम्र पता 2. नाम उम्र पता
13.	आवेदक पूर्व अनुज्ञप्ति ग्रहिता है तो गत् वर्ष का लायसेंस क्रमांक किन्तु नवीन अनुज्ञप्ति हो तो व्यवसाय व्यापार प्रारंभ दिनांक।	:	.....
14.	आवेदक द्वारा गत् वर्ष में किस दिवस को अधिकतम कृषि उपज क्रय की गई है। उसका दिनांक, मूल्य एवं वजन देवें।	:	.....

15. में/हम घोषित करता/करती हूं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 तत्वाधीन नियम एवं उपविधियॉ भलीभॉति पढ़ी एवं समझी है। में/हम उनका यथाविधि पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे, तथा वे मुझे/हमें मान्य होगें।

निवेदन है कि मंडी वर्ष एक अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये ..... तथा प्रतिभूति रूपये ..... स्वीकार कर मंडी वर्ष ..... के लिये व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

घोषणा

में/हम आवेदक एतद् द्वारा शपथ पर घोषित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेंरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और काई सूचना छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली-भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।
3. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।
4. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मंडी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।
5. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हैं।

स्थान :- .....

दिनांक :- ..... हस्ताक्षर

(सभी भागीदारों/संचालकों के)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये ..... पैसे ..... (शब्दों में) ..... रसीद क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति पंजी में अनुक्रमांक .....पर प्रविष्ठि किया गया है।

लेखापाल लिपिक

2. मंडी समिति द्वारा वर्ष ..... के लेखा पुस्तकों का सत्यापन मंडी रिकार्ड एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खातों से कर लिया गया है एवं सम्पूर्ण वर्ष में व्यापारी द्वारा क्रय मूल्य रूपये ..... पर मंडी शुल्क रूपया ..... एवं निराश्रित शुल्क रूपया ..... पूर्ण जमा करा दिया गया है।

लेखापाल सहायक सचिव सचिव

3. अनुज्ञप्ति स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मंडी समिति के ठहराव क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसरण में आदेश।

सचिव

4. स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(लिपिक)

(मंडी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक के लिये)

(1) आवेदक म.प्र. के किस मंडी क्षेत्र का निवासी है : .....

(2) क्या उस मंडी क्षेत्र में वह इस नाम से या अन्य नाम से मंडी लायसेंसी है। : .....

(3) इस मंडी क्षेत्र में उसे लायसेंस की क्यो आवश्यकता हुई। : .....

(4) क्या म.प्र. की अन्य और मंडियों में आवेदक के पास मंडी लायसेंस है, उनके नाम। : .....

(5) क्या आवेदक म.प्र. में प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता है, है तो किस जगह। : .....

(6)	आवेदक जहां का मूल निवासी है, वहां का प्रमाण-पत्र (तहसीलदार)	:	.....
(7)	आवेदक म.प्र. में जहां का मूल निवासी है, वहां पर उसकी सम्पत्तियों की जानकारी (मय प्रमाण के)	:	.....
(8)	आवेदक कृषकों के भुगतान हेतु 3 लाख की बैंक ग्यारंटी का नम्बर एवं बैक का नाम।	:	.....
(9)	स्थानीय मंडी में गत् तीन वर्षो से कार्यरत किन्ही 02 लायसेंसियों के पहचान पत्र प्रस्तुत करें।		(1) ..... (2) .....

उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि इसमें असत्यता पाई जावें तो मंडी समिति को मेंरे विरूद्ध सभी तरह की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
सभी भागीदार/व्यक्तिगत/प्रबंधक

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 (क्रमांक 24 सन 2010) के अंतर्गत म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 अंतर्गत वर्णित व्यापारी केवल भण्डारण हेतु (मंडी कृत्यकारी) को अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप।

प्ररूप - पांच-अ (एक)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन
केवल भण्डारण हेतु आवेदन

आवेदन क्रमांक : .....

दिनांक : .....

प्रति,

श्रीमान् अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति, ...

1. उस मंडी समिति का नाम एवं जिला जहॉ का वह अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म/प्रसंस्करणकर्ता है। : .....
2. आवेदक मंडी में जिस नाम से व्यवसाय रहा है। : .....
3. (अ) अनुज्ञप्ति का क्रमांक : .....
   (ब) ई-अनुज्ञा पोर्टल पर प्राप्त अनुज्ञप्ति क्रमांक (MAN) : .....
4. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि (दिनांक ..... से दिनांक ..... तक) : .....
5. क्या आवेदक व्यक्तिगत/फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कम्पनी/सहकारी/सरकारी संस्था है। : .....
6. आवेदक व्यक्तिगत/फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कम्पनी सरकारी संस्था/है तो समस्त : .....

भागीदार/कर्ता/सदस्यों/डायरेक्टर के नाम एवं पूर्ण पता एवं सबके आधार कार्ड नम्बर

1. नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. उम्र : .....
4. पता : .....
5. आधार नंम्बर : .....
6. मोबाइल नम्बर : .....
7. आरक्षित केन्द्र का नाम : .....

7. आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी/ सरकारी संस्था है तो पंजीयन क्रमांक एवं तिथि। : .....
8. आवेदक का वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक/जी.एस.टी. क्रमांक/ सी.जी.एस.टी. क्रमांक : .....
9. आवेदक का इन्कम टेक्स स्थायी खाता क्रमांक/पेन कार्ड नम्बर आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी/ सरकारी संस्था है तो इन्कम टेक्स स्थायी खाता क्रमांक/पेन कार्ड नम्बर : .....
10. आवेदक का किन बैंकों में खाता है उन बैंकों के नाम एवं खाता क्रमांक : .....
    1. बैक का नाम : .....
    2. आई.एफ.सी. कोड़ : .....
    3. खाता क्रमांक : .....
11. आवेदक व्यक्तिगत / फर्म / कम्पनी / सहकारी / सरकारी संस्था है तो पूंजी नियोजन कितना है राशि का उल्लेख करे। : .....

12. आवेदक के कारोबार का मुख्य स्थान एवं शाखाओं के पते एवं कृषकों को भुगतान करने वाले स्थल का पूर्ण पता। : .....
    1. कारोबार का मुख्य स्थान : .....
    2. शाखाओं के नाम एवं पता : .....
    3. भुगतान स्थल का पता : .....
13. आवेदक द्वारा लाई गई अधिसूचित कृषि उपज जहॉ पर भण्डारण की जावेगी ऐसे गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज स्थल के पते।

गोदाम/कोल्ड स्टोरेज का विवरण पता

    1. गोदामो/कोल्ड स्टोरेज का नाम : .....
    2. पता : .....
    3. गोदाम के मालिक का नाम : .....
    4. मालिकाना/किरायानामा अनुबंध दिनांक : .....
    5. अनुबंध की वैधता दिनांक : .....
    6. गोदामो/कोल्ड स्टोरेज की क्षमता, (मेंट्रिक टन में) : .....
    7. कितनी क्षमता किराये से ली गयी है (मेंट्रिक टन में) : .....
14. प्रस्तावित कृषि उपज जिसका आवेदक व्यापार या भण्डारण करना चाहता है। : .....
15. आवेदक की ओर से मंडी स्थानीय का नाम हेतु सहायक/प्रतिनिधि के नाम एवं उनसे संबंध। : .....
    1. नाम : .....
    2. पिता/पति का नाम : .....
    3. संबंध : .....
    4. उम्र : .....

5. पता : .....
6. मोबाईल नंबर : .....
7. आधार नंबर : .....

16. यदि आवेदक एक से अधिक मंडी समितियों का अनुज्ञप्तिधारी तो उनका विवरण
    1. नाम : .....
    2. लायसेसं क्रमांक : .....
17. आवेदक द्वारा गत् वर्ष में खरीदी मात्रा (मैंट्रिक टन में) : .....
18. आवेदक प्रदेश की किसी अन्य मंडी में कृषक भुगतान, तौल, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि, गोदाम किराया एवं मंडी समिति को देय किसी भी शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर नहीं है। (इस बावत शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करे।) : .....
19. मैं/हम घोषित करता/करती हूं कि मैने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधान एवं सुसंगत नियम एवं उपविधियॉ भली भॉति पढ़ी एवं समझी है जो मुझे/हमें मान्य है। में/हम उनका यथाविधि पालन करने हेतु विधि अनुसार बाध्य है।

निवेदन है कि मंडी वर्ष एक अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये ..... स्वीकार कर मंडी वर्ष ..... के लिये केवल भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर (नाम एवं मुद्रा सहित)
व्यक्तिगत-प्रोपराईटर/फर्म-सभी भागीदार/
हिन्दु संयुक्त परिवार-कर्ता/कम्पनी-डायरेक्टर/
सहकारी संस्था-अध्यक्ष/सरकारी संस्था-प्राधिकृत
अधिकारी

घोषणा

मैं/हम आवेदक एतद् द्वारा शपथ पर घोषित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेंरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और काई सूचना छिपाई नहीं गई हैं ।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली-भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा ।
3. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी ।
4. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मंडी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।
5. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हैं।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर

(सभी भागीदारों/संचालकों के)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये ..... पैसे ..... (शब्दों में) ..... रसीद क्र. ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति पंजी में अनुक्रमांक ..... पर प्रविष्ठि किया गया है।

लेखापाल लिपिक

2. मंडी समिति द्वारा वर्ष ..... के लेखा पुस्तकों का सत्यापन मंडी रिकार्ड एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत खातों से कर लिया गया है एवं सम्पूर्ण वर्ष में व्यापारी द्वारा क्रय मूल्य रूपये ..... पर मंडी शुल्क रूपया ..... एवं निराश्रित शुल्क रूपया ..... पूर्ण जमा करा दिया गया है।

लेखापाल सहायक सचिव सचिव

3. अनुज्ञप्ति स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मंडी समिति के ठहराव क्रमांक ..... दिनांक ..... अनुसरण में आदेश।

सचिव

4. स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(लिपिक)

(आवेदक द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी)

(1) आवेदक म.प्र. के किस मंडी क्षेत्र का निवासी है : .....

(2) आवेदक किस-किस मंडी क्षेत्र का लायसेंसी है : .....

(3) इस मंडी क्षेत्र में उसे लायसेंस की क्यो आवश्यकता हुई। : .....

(4) क्या म.प्र. की अन्य और मंडियों में आवेदक के पास मंडी लायसेंस है, उनके नाम। : .....

(5) क्या आवेदक म.प्र. में प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता है, है तो किस जगह। : .....

(6) आवेदक जहां का मूल निवासी है, वहां का प्रमाण-पत्र (तहसीलदार) : .....

(7) आवेदक म.प्र. में जहां का मूल निवासी है, वहां पर उसकी सम्पत्तियों की जानकारी (मय प्रमाण के) : .....

(8) आवेदक द्वारा मूल मंडी जिसका वह अनुज्ञप्तिधारी है वहा जमा प्रतिभूति की राशि का विवरण : .....

(9) स्थानीय मंडी में गत् तीन वर्षो से कार्यरत किन्ही 2 लायसेंसियों के पहचान पत्र प्रस्तुत करें। : .....

उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि इसमें असत्यता पाई जावें तो मंडी समिति को मेंरे विरूद्ध सभी तरह की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर (नाम एवं मुद्रा सहित)

व्यक्तिगत-प्रोपराईटर/फर्म-सभी भागीदार/
हिन्दु संयुक्त परिवार-कर्ता/कम्पनी-डायरेक्टर/
सहकारी संस्था-अध्यक्ष/सरकारी संस्था-प्राधिकृत
अधिकार

रूपये 500/-

शपथ-पत्र का प्रारूप

1/ आवेदक (नाम) ..... पिता/पति का नाम ..... उम्र ..... पता ..... आधार कार्ड का नम्बर ..... कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला ..... का अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी /प्रसंस्करणकर्ता हूं। मेंरा मंडी अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... (मान नम्बर) ..... है। जिसकी वैधता दिनांक ..... तक है।

2/ आवेदक कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला ..... में अधिसूचित कृषि उपज के केवल भण्डारण के लिये मंडी समिति की अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है। जिसके लिये मेंरे द्वारा **प्ररूप-पांच-अ(एक)** में आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूॅ।

3/ आवेदक के द्वारा मंडी क्षेत्र में कृषकों/विक्रेताओं से अधिसूचित कृषि उपज का क्रय नहीं किया जायेगा। अतः मेंरे द्वारा क्षेत्र के कृषकों/विक्रेताओ के भुगतान का कोई जोखिम नहीं है।

4/ आवेदक प्रदेश की किसी अन्य मंडी में कृषक भुगतान, तौल, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि, गोदाम किराया एवं मंडी समिति को देय किसी भी शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर नही है।

5/ आवेदक के द्वारा मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में उल्लेखित व्यवस्थाओं का पालन किया जायेगा एवं प्रावधानित व्यवस्थाओं को भंग करने पर मंडी अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होकर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

6/ मंडी अधिनियम, उपविधियों के अंतर्गत यदि कोई शोध्य राशि आवेदक पर निकलती है तो वह राशि मेंरे द्वारा भुगतान की जायेगी।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर (नाम एवं मुद्रा सहित)

व्यक्तिगत-प्रोपराईटर/फर्म-सभी भागीदार/
हिन्दु संयुक्त परिवार-कर्ता/कम्पनी-डायरेक्टर/
सहकारी संस्था-अध्यक्ष/सरकारी संस्था-प्राधिकृत
अधिकारी

प्रारूप - पांच-ब

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे

अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

(प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के उपयोग हेतु)

आवेदन पत्र क्रमांक : ..... दिनांक : .....

प्रति,

श्री मान् अध्यक्ष/भारसाधक महोदय,
कृषि उपज मंडी समिति ..... (म.प्र.)

1.	इकाई/आवेदक का नाम	:	.....
	1.1 इकाई/आवेदक का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक	:	.....
	1.2 इकाई/आवेदक का इनकम टैक्स स्थाई खाता क्रमांक	:	.....
	1.3 राज्य के व्यापारियों के लिये समग्र पहचान पत्र	:	.....
	1.4 राज्य के बाहर के व्यापारियों के लिये आधार नम्बर	:	.....
2.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
3.	टेलीफोन नम्बर	:	.....
4.	इकाई की श्रेणी	:	लघु उद्योग/निर्माण इकाई/अति लघुउद्योग /वृहत उद्योग
5.	इकाई स्थल का पता	:	.....
6.	संगठन का प्रकार एवं मालिक के नाम एवं पते	:	भागीदारी/निजी कंपनी/सहकारी/स्वामित्व /अन्य .....
7.	कार्यकलाप का प्रकार	:	निर्माण/जाब वर्क
8.	कौन सी अधिसूचित कृषि उपज का उपयोग किया जावेगा	:	.....

9. निर्मित होने वाली वस्तुएं के नाम एवं वाषिक उत्पादन क्षमता

नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता
1.	
2.	
3.	

10. पूंजी निवेश (अचल संपत्तियों में) :

1. भूमि .....
2. भवन .....
3. यंत्र संयंत्र .....

_____

योग रू. .....

_____

11. वर्ष में कच्चे माह की आवश्यकता :

1. मंडी .....
2. अन्य जगह में .....

_____

कुल .....

_____

12. विधुत भार : .....
13. क्या इकाई फेक्ट्र एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन है - हां/नहीं : .....
14. सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या : .....

15. में/हम घोषित करता/करती हूं कि मैंनें/हमनें म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 तदाधीन नियम एवं उपविधियां भली भांति पढ़ी समझी है मैं/हम उनका यथा विधि पालन करूंगा/करूंगी/करेंगें तथा वे मुझे/हमें मान्य होंगे।

स्थान : .....

तिथि : .....

(आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा आदि आवश्यक)

घोषणा

मैं/हम आवेदक एतद् द्वारा शपथ पर घोषित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलेखित की गई है और कोई सूचना छिपाई नहीं गई हैं।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली-भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।

3. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।

4. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मंडी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।

5. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हैं।

स्थान : .....

तिथि : .....

हस्ताक्षर

(एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर पर्याप्त है)

कार्यालय के उपयोग हेतु

कुल रूपये ..... पैसे ..... (शब्दों में) ..... मात्रा ..... र. क्र. ..... तिथि ..... द्वारा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति पंजी में अनुक्रमांक ..... पर प्रविष्टि किया गया है।

लेखापाल लिपिक

अनुज्ञप्ति स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मंडी समिति के ठहराव क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसरण में आदेश।

सचिव

स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(लिपिक)

प्रारूप - पांच-स

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....

1. यह कि आवेदक मंडी क्षेत्र में विगत वर्ष से अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित हम्माल/तुलैया/सर्वेक्षक/भण्डागारिक/परिवहन का कार्य कर रहा है।

2. आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये उपरोक्त कृत्यकारी के रूप में कार्य किया गया है।

3. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।

4. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मंडी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।

स्थान : ..... प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम : .....

पता : .....

प्रारूप - पांच-द

मंडी प्रांगण के बाहर अन्य स्थान पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के विनियमन हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे

आवेदन क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रति,

श्रीमान् अध्यक्ष/भारसाधक महोदय,
कृषि उपज मंडी समिति .....

1. आवेदक मंडी क्षेत्र में जिस नाम से व्यवसाय करना चाहता है। : .....
2. क्या आवेदक फर्म/हिन्द संयुक्त परिवार/व्यक्ति/ कम्पनी/सहकारी संस्था है। : .....
3. आवेदक फर्म/हिन्द संयुक्त परिवार/कम्पनी सहकारी संस्था/ व्यक्ति है तो समस्त भागीदार/ कर्ता/डायरेक्टर के नाम एवं पूर्ण पता : .....

नाम	उम्र	पता	टेलिफोन नं.	आरक्षी केन्द्र का नाम

4. आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था है तो पंजीयक क्रमांक एवं तिथि। : .....
5. गत वर्ष का अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि हो तो) : .....
6. 1.1 आवेदक का जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक : .....
   1.2 राज्य के व्यापारियों के लिये समग्र पहचान पत्र : .....
   1.3 राज्य के बाहर के व्यापारियो के : .....

लिये आधार नम्बर

7. आवेदक का इन्कम टैक्स स्थायी खाता क्रमांक : .....

8. आवेदक का किन बैकों में खाता है उन बैकों के नाम एवं खाता क्रमांक : .....

9. आवेदक फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था/व्यक्तिगत है तो पूंजी नियोजन कितना है। : .....

10. प्रस्तावित क्रय केन्द्र से संबंधित जानकारी : .....

अविवादित स्थान (मानचित्र संलग्न किया जावें) : .....

पता : .....

क्रय केन्द्र प्रबंधक का नाम : .....

पता व दूरभाष क्रमांक : .....

कृषि उपज का नाम एवं अनुमानित मात्रा जिसे क्रय कृषि उपज का नाम ..... मात्रा ..... किया जाना प्रस्तावित है। : .....

गत वर्ष में इस कृषि उपज की क्रय की गई कुल मात्रा (यदि हो तो) : .....

क्रय केन्द्र पर क्रय का प्रस्तावित दिन एवं समयावधि : .....

क्रय की जाने वाली उपज के भण्डारण का स्थान- (मानचित्र संलग्न करें)

11. आवेदक द्वारा कृषक से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज कहॉ पर भण्डारण की जायेगी ऐसे गोदाम एवं फेक्ट्री स्थल के पते। :

गोदाम का विवरण : 1. .....
2. .....

	गोदाम की संग्रहण क्षमता	:	.....
	गोदाम भवन के स्वामी का नाम	:	.....
12.	आवेदक की ओर से क्रय केन्द्र पर सुनिश्चित की गई निम्नांकित सुविधाओं की जानकारी-		
	(अ) इलेक्ट्रानिक तौल कांटा	:	.....
	(ब) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	:	.....
	(स) समुचित प्रकाश एवं छॉव व्यवस्था	:	.....
	(द) भुगतान काउन्टर	:	.....
	(इ) अन्य सुविधाऐं जो उपलब्ध हैं	:	.....
13.	आवेदक की ओर से क्रय केन्द्र पर तौल एवं भुगतान कार्य हेतु सहायकों के नाम एवं उनसे संबंध।	1.	नाम संबंध उम्र पता
		2.	नाम उम्र पता

14. मैं/हम घोषित करता/करती हूं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 तत्वाधीन नियम एवं उपविधियॉ भली भॉति पढ़ी एवं समझी है। में/हम उनका यथाविधि पालन करुंगा/करुंगी/करेंगे, तथा वे मुझे/हमें मान्य होंगे।

निवेदन है कि मंडी वर्ष एक अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति शुल्क रुपये ..... तथा प्रतिभूति रुपये ..... स्वीकार कर मंडी वर्ष .....के लिए व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

घोषणा

में/हम आवेदक एतद् द्वारा शपथ पर घोषित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेंरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली-भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुए कार्य किया जायेगा।

3. आवेदक के विरुद्ध अधिसूचित कृषि उपज के विक्रेताओं को मूल्य भुगतान अथवा मंडी समिति को मंडी शुल्क भुगतान के संबंध में कोई प्रकरण मंडी समिति अथवा न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

4. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।

5. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मंडी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जायेगा।

6. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा है।

स्थान :- .....
दिनांक :- .....

हस्ताक्षर
(सभी भागीदारों/संचालकों के)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रुपये ..... पैसे ..... (शब्दों में) ..... रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त कर अनुज्ञप्ति पंजी में अनुक्रमांक ..... पर प्रविष्ठि किया गया है।

लेखापाल लिपिक

2. मंडी समिति द्वारा वर्ष ..... के लेखा पुस्तकों का सत्यापन मंडी रिकार्ड एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत खातों से कर लिया गया है एवं सम्पूर्ण वर्ष में आवेदक द्वारा क्रय मूल्य रुपये ..... पर मंडी शुल्क रुपया ..... एवं निराश्रित शुल्क रुपया ..... पूर्ण जमा करा दिया गया है।

आवेदक ने वित्तीय वर्ष ..... में क्रय हेतु प्रस्तावित अधिसूचित कृषि उपज के अनुमानित मूल्य की 10% राशि रु0 ..... की सावधि जमा एवं बैंक गारंटी अमानत स्वरुप निम्नानुसार प्रस्तुत कर दी है :-

(अ) सावधि जमा रसीद क्रमांक ..... बैंक का नाम ..... रुपये .....

(ब) बैंक गारंटी रुपये ..... बैंक का नाम .....

लेखापाल सहायक सचिव सचिव

3. अनुज्ञप्ति स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मंडी समिति के ठहराव क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसरण में आदेश।

(सचिव)

स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(लिपिक)

(मंडी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक के लिए)

(1) आवेदक म0प्र0 के किस मंडी क्षेत्र का निवासी है।

(2) क्या उस मंडी क्षेत्र में वह इस नाम से या अन्य नाम से मंडी लायसेंसी है।

(3) क्या मंडी क्षेत्र में उसे लायसेंस की क्यों आवश्यकता हुई ।

(4) क्या म0प्र0 की अन्य और मण्डियों में आवेदक के पास मंडी लायसेंस है, उनके नाम।

(5) क्या आवेदक म0प्र0 में प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता है, है तो किस जगह।

(6) आवेदक जहां का मूल निवासी है, वहां का प्रमाण-पत्र (तहसीलदार)।

(7) आवेदक म0प्र0 में जहां का मूल निवासी है, वहां पर उसकी सम्पत्तियों की जानकारी (मय प्रमाण के)।

(8) कृषकों के भुगतान हेतु ..... लाख की बैक ग्यारंटी का नम्बर एवं बैक का नाम।

(9) स्थानीय मंडी में गत् तीन वर्षो से कार्यरत किन्ही 2 लायसेंसियों के पहचान पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि इसमें असत्यता पाई जावें तो मंडी समिति को मेंरे विरुद्ध सभी तरह की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

सभी भागीदार/व्यक्तिगत/प्रबंधक

प्रारूप - छः

घोषणा पत्र

(उपविधि 18 (3) के अन्तर्गत)

1. मैं/हम घोषणा करते है कि क्रय क्षमता ..... लाख रूपये तक की है। एक दिन की अधिकतम खरीदी का मूल्य।

2. यह भी घोषित किया जाता है कि कृषि उपज के विक्रेता को उसी दिन भुगतान किया जायेगा, यदि उसी दिन भुगतान नहीं किया जाता है तो कृषि उपज के मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान सहित पूरा भुगतान 5 दिन में कर दिया जायेगा अन्यथा 6वें दिन अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और मुझे/हमें या हमारे उन रिश्तेदारों को जैसा की अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में उल्लेखित है। आगामी एक वर्ष की कालावधि में कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जायेगी और मेंरी/हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी एवं यह भी घोषित किया जाता है कि, क्रय क्षमता को प्रमाणित करने के लिये जो सामूहिक/व्यक्तिगत प्रतिभूति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे प्रत्याहर्त समझा जायेगा।

स्थान : .....
दिनांक : .....

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....
पूरा पता .....

प्रारुप - छः-अ

घोषणा पत्र

(उपविधि कंडिका (29) के अंतर्गत)

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते है कि मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय हेतु मेंरे/हमारे द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों की अधिकतम् दैनिक क्रय क्षमता ..... क्विंटल है तथा एक दिन अधिकतम् खरीदी का मूल्य ..... रुपया होता है।

2. मैं/हम यह भी घोषित करते है कि मेंरे/हमारे द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को मंडी अधिनियम की धारा 37 के उपबंधों के अधीन उसी दिन किया जावेगा।

3. मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि धारा 37 के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में धारा 37(2) (ग) के अधीन 6 वे दिन मेंरी/हमारी अनुज्ञप्ति स्वतः निरत हो जावेगी और मुझे/हमें या हमारे किसी भी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक कि कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जावेगी और इसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी एवं यह भी घोषित किया जाता है कि क्रय क्षमता को प्रमाणित करने के लिए जो व्यक्तिगत प्रतिभूति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे रद्द समक्षा जावेगा।

4. मेंरे/हमारे द्वारा यह भी घोषणा की जाती है कि मैं/हम घोषित क्रय क्षमता से अधिक मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का क्रय नहीं करेगे। यदि मेंरे/हमारे द्वारा घोषित दैनिक क्रय क्षमता से अधिक मात्रा की खरीदी क्रय केन्द्रों पर की जाती है अथवा यदि मेंरी/हमारी दैनिक क्रय क्षमता में वृद्धि होती है तो इसके लिए मेंरे/हमारे द्वारा क्रय क्षमता में वृद्धि के अनुपात में क्रय मूल्य की अतिरिक्त अमानत/प्रतिभूति राशि की सावधि (एफ.डी.आर.) मंडी समिति के पक्ष में तत्काल प्रस्तुत की जावेगी।

5. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते है कि यदि मेंरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार घोषणा पत्रक एवं मंडी अधिनियम, नियम तथा उपविधियों उल्लंघन किया जाता है तो मंडी समिति को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह मेंरी/हमारी अनुज्ञप्ति रद्द कर दें। मुझे/हमें इसमें कोई आपत्ति/हर्ज नहीं होगा।

6. मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मेंरे/हमारे नाम पर आवेदन के दिनांक को निम्नानुसार चल'-अचल संपत्ति उपलब्ध है जिस पर मेंरा/हमारा वैधानिक स्वामित्व हैः-

1- चल संपत्ति बैंक का नाम बैंक में जमा राशि

अ- चालू/करन्ट खाता में जमा राशि

ब- बचत खातों में जमा राशि

स- सावधि/फिक्स डिपाजिट में जमा राशि

द- अन्य जमा राशि

योग - _____

2- अचल संपत्ति- स्थान रकबा क्षेत्रफल अनुमानित बाजार मूल्य

अ- भूमि

ब- भवन/दुकान/कारखाना/गोदाम

स- अन्य संपत्ति

मैं/हम यह भी पूर्ण सत्यता के साथ घोषित करते है कि मेंरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा पूर्णतः सत्य है एवं प्रमाणित है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पूरा पता

प्रारूप - सात

सामूहिक प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र

(उपविधि क्रमांक 18 (3) के अन्तर्गत)

यह प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदक श्री/सुश्री/श्रीमति ..... पिता/पति श्री ..... फर्म/कम्पनी ..... कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला ..... के क्षेत्र में व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता/पक्का आढ़तियां कृत्यकारी के रूप में कार्य करना चाहता है एवं इस हेतु वह मंडी समिति को नियमानुसार आवेदन कर रहा हैं।

2/ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, व्यापारी एसोसियेशन द्वारा कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला ..... के पक्ष में बनवाई गई समस्त सावधि जमा/बैंक गारंटी प्रतिभूति राशि विवरण निम्नानुसार है।

क्र	राशि	सावधि जमा/बैंक गारंटी क्रमांक	दिनांक	बैंक का नाम एवं पता	सावधि जमा/बैंक गारंटी की परिपक्वता/वैधता दिनांक	रिमार्क
1.						
2.						
3.						

3/ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदक द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नही किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण भुगतान सामूहिक प्रतिभूति की राशि में से किया जायेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त आवेदक से कृषि उपज के विक्रेताओं को किसी प्रकार की जोखिम नहीं है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

(हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

व्यापारी एसोशियेशन के अध्यक्ष का नाम .....

पूरा पता .....

प्रारूप - सात-अ

व्यक्तिगत प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र

(उपविधि क्रमांक 18 (4) के अन्तर्गत)

यह प्रमाणित किया जाता है कि, श्री ..... पुत्र श्री ..... फर्म ..... कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला ..... के क्षेत्र में व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तियां कृत्यकारी के रूप में कार्य करना चाहता है एवं इस हेतु वह मंडी समिति को नियमानुसार आवेदन कर रहा हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि, आवेदन की क्रय क्षमता उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में उल्लेखित राशि रूपया ..... तक की है एवं इतनी राशि तक आवेदक द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है तब इसका भुगतान मेंरे/हमारे द्वारा कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला ..... के पक्ष में बनवाई गई सावधि जमा क्रमांक ..... से जमा राशि में से किया जायेगा एवं इसकी पूर्ति तत्काल की जाएगी। मेंरे/हमारे द्वारा जमा नगद प्रतिभूति से की जाएगी।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक से विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम नहीं है।

स्थान : .....
दिनांक : .....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर
पूरा पता .....

प्ररुप - सात-ब

व्यक्तिगत प्रतिभूति की दशा में प्रमाण पत्र

(उपविधि कंडिका (29) के अंतर्गत)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र श्री ..... फर्म/संस्था ..... कृषि उपज मंडी समिति, ...जिला ..... के क्षेत्र में व्यापारी कृत्यकारी के रुप में कार्य करना चाहता है और इस हेतु वह मंडी समिति को नियमानुसार आवेदन कर रहा है।

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ मंडी प्रांगण के बाहर मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपजों के खरीदी के लिए फर्म द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न की गई है।

2- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेंरे/हमारे द्वारा दैनिक क्रय क्षमता संबंधी प्रस्तुत घोषणा पत्र प्ररुप छः-अ के अनुसार क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपज की एक दिन का अधिकतम् खरीदी मूल्य ..... रुपया की अमानत/प्रतिभूति राशि ..... रुपया की सावधि (एफ.डी.आर) क्रमांक ..... जो कृषि उपज मंडी समिति, ... जिला ..... के पक्ष में बनवाई गई है। प्रतिभूति/अमानत स्वरुप जमा सावधि (एफ.डी.आर) का आहरण धारा 37 के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी समय मंडी समिति/सचिव द्वारा किया जा सकता है।

3- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा क्रय केन्दों पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों का पूरा भुगतान यदि विक्रेताओं को उसी दिन नहीं किया जाता है तब इसकी पूर्ति कृषि उपज मंडी समिति ..... के पक्ष में बनवाई गई उपरोक्त सावधि (एफ.डी.आर) तत्काल करने का अधिकार मंडी समिति/मंडी सचिव को रहेगा।

4- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा से क्रय की जाने वाली कृषि उपजों के भुगतान की कोई जोखिम विक्रेताओं को नहीं है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

पूरा पता .....

प्रारूप - आठ

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

कार्यालय
कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....

अनुक्रमांक : ..... दिनांक : .....

1. श्री/श्रीमति/कुमारी/फर्म (पूरा पता) ..... को आज दिनांक ..... को ..... कृत्यकारी के रूप में अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। यह अनुज्ञप्ति दिनांक ..... तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,	कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला	..... जिला .....

2. अनुज्ञप्तिधारी के आचरण का परीवेक्षण कर लिया गया है। फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जीवनभर ..... के लिये वैद्य हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव
कृषि उपज मंडी समिति,	कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला	..... जिला .....

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रदद् की जा सकेगी :-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मंडी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर निलंबित अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ड) विवरणीयां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

प्ररुप- आठ-अ

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि कंडिका (30) के अंतर्गत)

कार्यालय
कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/फर्म (पूरा पता) ..... को मंडी प्रांगण के बाहर निम्नांकित क्रय केन्द्रों पर (अधिसूचित कृषि उपज का नाम) .....के क्रय हेतु आज दिनांक ..... को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है -

क्रमांक क्रय केन्द्र का नाम एवं स्थान

1- .....
2- .....
3- .....
4- .....
5- .....
6- .....

2. यह अनुज्ञप्ति दिनांक ..... तक प्रभावशील रहेगी।

3. यह अनुज्ञप्ति निम्नांकित आधारों पर निलंबित अथवा रदद् की जा सकेगी :-
   (क) अनुज्ञप्तिधारी का आचरण मंडी समिति के हित में नहीं होने पर।
   (ख) मंडी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नहीं करने पर निलंबित अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।
   (ग) मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।
   (घ) अन्य अवशेष के मामलों में मंडी समिति से जारी सूचना पत्र/ मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।
   (ड) विवरणीयां नियत कालावधि में प्रस्तुत न करने पर।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष एवं सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
..... जिला .....

प्रारूप - नौ (संशोधित)

"केवल राज्य में उपयोग हेतु"
अनुज्ञा पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति .....

जिला कोड ..... मण्डी कोड .....

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)

(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक ..... दिनांक .....

1. कृषि उपज नाम ..... किस्म .....
2. कृषि उपज की मात्रा-नग संख्या ..... कुल वजन (क्विं) ..... शब्दो में ..... क्विं .....
3. कृषि उपज के स्वामी/विक्रेता का नाम .....
4. वाहन का प्रकार ..... वाहन क्रमांक .....
5. वाहन चालक का नाम .....
6. जमा की गई मंडी फीस/अनुज्ञा पत्र का विवरण .....

व्यापारी के लिये कृषकों के लिये

अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... कुल लाई गई मात्रा .....

कृषि उपज क्रय विवरण ..... वापसी ले जायी गई मात्रा .....

क्रय दिनांक ..... वापसी ले जाने का कारण .....

कुल क्रय मात्रा (क्विं) ..... व्यापारी के पास इस अनुज्ञा पत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वजन (क्विं) .....

क्रेता व्यापारी/फर्म/स्थान, जहां कृषि उपज (विक्रय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम -..... जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक .....

मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर ..... मण्डी समिति का नाम .....

जिला ..... गंतव्य/डिलिवरी केरता व्यापारी/फर्म/स्थान जहां कृषि उपज (विक्रय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम- .....

जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक ..... मण्डी अनुज्ञप्ति मान नम्बर .....

मण्डी समिति का नाम जिला/प्रदेश .....

(नोट- क्रेता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञा पत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी क्रेता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया है। यदि गंतव्य/डिलिवरी क्रेता व्यापारी द्वारा होलोग्राम युक्त गुलाबी वाहन प्रति को उपविधि कण्डिका 20(4) के अनुसार 14 दिवस की विहित समयावधि में मण्डी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाकर किसी अन्य को इस कृषि उपज का पुनः विक्रय किया जाता है तो केवल उस दशा में ही इस अनुज्ञा पत्र से मण्डी फीस छूट का लाभ गंतव्य/डिलिवरी क्रेता द्वारा लिया जा सकेगा।)

मैं प्रमाणित करता हूं (व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रित सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

हस्ताक्षर

(कृषि उपज के
स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रमाणित किया जाता है कि जहां तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है। मैंने भंलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया गया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है।

स्थान : ..... सक्षम मण्डी कर्मचारी के
दिनांक : ..... समय : ..... हस्ताक्षर/सील

नोटः- समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है।

प्रारूप - नौ (संशोधित)

"केवल राज्य के बाहर उपयोग हेतु"
अनुज्ञा पत्र

कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला कोड ..... मण्डी कोड .....

अधिनियम की धारा 19(6) तथा उपविधि 20(10)
(मूल मण्डी क्षेत्र अथवा मण्डी प्रांगण से माल बाहर ले जाने के लिये)

पुस्तक क्रमांक ..... पृष्ठ क्रमांक ..... दिनांक .....

1. कृषि उपज नाम ..... किस्म .....
2. कृषि उपज की मात्रा-नग संख्या ..... कुल वजन (क्विं) .....
   शब्दों में ..... क्विं .....
3. कृषि उपज के स्वामी/विक्रेता का नाम .....
4. वाहन का प्रकार ..... वाहन क्रमांक .....
5. वाहन चालक का नाम .....
6. जमा की गई मंडी फीस/अनुज्ञा पत्र का विवरण .....

व्यापारी के लिये कृषको के लिये

अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... कुल लाई गई मात्रा ..... कृषि उपज क्रय विवरण ..... वापसी ले जायी गई मात्रा ..... क्रय दिनांक ..... वापसी ले जाने का कारण ..... कुल क्रय मात्रा (क्विं) ..... व्यापारी के पास इस अनुज्ञा पत्र से निकासी के बाद शेष स्कंध वजन (क्विं) ..... क्रेता व्यापारी/फर्म/स्थान, जहां कृषि उपज (विक्रय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य से भेजी जाना है का नाम -..... जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक ..... मण्डी अनुज्ञप्ति/मान नम्बर ..... मण्डी समिति का नाम ..... जिला ..... गंतव्य/डिलिवरी क्रेता व्यापारी/फर्म/स्थान जहां कृषि उपज (विक्रय/प्रोसेसिंग) के उद्देश्य

से भेजी जाना है का नाम- ..... जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक ..... मण्डी अनुज्ञप्ति मान नम्बर ..... मण्डी समिति का नाम जिला/प्रदेश .....

(नोट- क्रेता व्यापारी को जारी इस अनुज्ञा पत्र के आधार पर ही मण्डी फीस से छूट का लाभ दिया जाकर गंतव्य/डिलिवरी क्रेता के पक्ष में यह अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।)

मैं प्रमाणित करता हूं (व्यापारी के लिये लागू) इस अनुज्ञापत्र में दर्ज कृषि उपज का भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी शुल्क/निराश्रित सहायता राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

हस्ताक्षर
(कृषि उपज के
स्वामी/प्रतिनिधि के)

उपरोक्त कृषि उपज की मण्डी प्रांगण के बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रमाणित किया जाता है कि जहां तक ये व्यापारी के माल पर लागू होता है। मैंने भंलीभांति जांच कर अपने आपको आश्वस्त कर लिया गया है कि अनुज्ञापत्र में निकासी हेतु दर्शायी गई कृषि उपज का पूर्ण भुगतान विक्रेता को किया जा चुका है तथा इस पर देय मण्डी फीस एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है।

स्थान : ..... सक्षम मण्डी
कर्मचारी के
दिनांक : ..... समय : .....
हस्ताक्षर/सील

नोट:- समस्त रिक्तियों की पूर्ति अनिवार्य है।

प्ररुप - नौ-(अ)

मंडी क्षेत्र में "वाणिज्यिक संव्यवहार" की सूचना/घोषणा

(मंडी अधिनियम की धारा 19(3)(दो)(ख) के अंतर्गत)

बुक क्रमांक ..... सरल क्रमांक ..... दिनांक .....

1. विक्रेता फर्म का नाम ..... अनुज्ञप्ति क्रमांक .....
   पूरा पता .....
2. क्रेता फर्म का नाम ..... अनुज्ञप्ति क्रमांक .....
   पूरा पता .....
3. अधिसूचित कृषि उपज का नाम ..... मात्रा (नग) ..... वजन .....
   बिल क्रमांक ..... दिनांक ..... मूल्य ..... (रूपये)
4. परिवहन का साधन ..... वाहन क्रमांक ..... चालक का नाम .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस/भुगतान की गई मंडी फीस संबंधी अनुज्ञा पत्र मंडी समिति के कार्यालय में जमा कर दी गई/कर दिये गये है। साथ ही मेंरे/हमारे द्वारा यही धोषणा की जाती है कि उपरोक्त अधिसूचित कृषि उपज पर देय मंडी फीस का निम्नानुसार भुगतान किया जा चुका है। देय/भुगतान की गई मंडी फीस के भुगतान के संबंध में आवश्यकतानुसार वांछित अन्य अभिलेख प्रस्तुत कर समाधान कराने का दायित्व मेंरा/हमारा रहेगा।

(प्राथमिक संव्यवहार में उत्पादक से अनुबंध/सौदा द्वारा क्रय की दशा में)

5. विक्रेता द्वारा जमा की गई मंडी फीस का विवरण -
   बुक/रसीद क्रमांक .....दिनांक ..... राशि .....
   (अन्य मंडी क्षेत्र से अनुज्ञापत्र द्वारा क्रय की दशा में)
6. अनुज्ञापत्र बुक एवं सरल क्रमांक ..... दिनांक ..... मंडी समिति का नाम ..... जिला .....
   (मंडी अधिनियम की धारा 19(3)(दो)(ख) के अंतर्गत वाणिज्यिक संव्यवहार की दशा में)
7. विक्रेता से प्राप्त सूचना/घोषणा का बुक क्रमांक ..... अनुक्रमांक .....
   दिनांक .....

विक्रेता/जारीकर्ता फर्म के हस्ताक्षर
फर्म की मुद्रा
नाम .....

नोट :- (1) केवल विक्रेता फर्म के स्वामी/प्रोपराईटर/भागीदार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित सूचना/घोषणा पत्र ही मान्य होंगे।

प्ररुप - नौ-(ब)

मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच "वाणिज्यिक संव्यवहार" के अनुक्रम में अधिसूचित कृषि उपज के पुनः विक्रय पर उपविधि कंडिका 20(10)(ग)(दो) के अधीन क्रेता/विक्रेता द्वारा जारी की गई सूचना/घोषणा की सूची-

क्र.	सूचना/घोषणा जारी करने/प्राप्त करने की स्थिति में		वाणिज्यिक संव्यवहार में क्रय अथवा विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का विवरण		फर्म पर अधिसूचित कृषि उपज के आगमन/निर्गमन का दिनांक	सूचना/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक
	क्रमांक	दिनांक	नाम	वजन		
1	2	3	4	5	6	7

प्रस्तुतकर्ता व्यापारी/फर्म की
मुद्रा एवं हस्ताक्षर
दिनांक .....

प्रारूप - दस

अनुज्ञापत्र हेतु घोषणा पत्र

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (6) एवं उपविधि 20 (10) के अन्तर्गत)

1. कृषि उपज के स्वामी/व्यापारी का नाम .....

2. कृषि उपज के स्वामित्व संबंधी विवरण-

क- व्यापारी की दशा में-

(एक) वाणिज्यिक कर अधिनियम के तहत पंजीयन क्रमांक .....

(दो) मंडी समित की अनुज्ञप्ति (लायसेंस) का क्रमांक .....

(मंडी समिति का नाम ..... जिला .....)

ख- व्यक्ति या उत्पादक की दशा में-

(एक) गांव का नाम/तहसील/जिला .....

(दो) कुल कृषि भूमि का रकबा जो स्वामित्व में हो .....

(तीन) राजस्व ऋण पुस्तिका नम्बर .....

3. (एक) प्रदेश के बाहर के व्यापारी/क्रेता का नाम जिसको कृषि उपज राज्य के बाहर भेजी जा रही है .....

(दो) विक्रय कर/वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक .....

(तीन) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक .....

4. **कृषि उपज के विवरण-**

(एक) कृषि उपज का नाम .....

(दो) मात्रा (नग) .....

(तीन) वजन .....

(चार) मूल्य.....

(पांच) व्यापारी द्वारा जारी इन्वाईस क्रमांक ..... दिनांक .....

(उत्पादक की दशा में ग्राम पंचायत के सरपंच का प्रमाण पत्र या ऋण पुस्तिका के संबंधित भाग की छायाप्रति जिसमें उत्पादक द्वारा धारित कुल कृषि भूमि का उल्लेख हो)

(छः) परिवहन/ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम और पता/स्वामी का नाम .....

(सात) मंडी शुल्क का रसीद नम्बर और दिनांक .....

(आठ) वाहन क्रमांक .....

मैं ..... (कृषि उपज के स्वामी का नाम) एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेंरी सर्वोत्तम जानकारी से सत्य है। अतः अनुज्ञा पत्र प्रदाय करने का कष्ट करे।

दिनांक : .....

स्थान : .....

स्वामी का हस्ताक्षर एवं उसकी स्थिति
फर्म या कंपनी या व्यापारी की दशा में मुद्रा

सरपंच का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... (कृषि उपज के स्वामी का नाम) इस पंचायत के अन्तर्गत ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... का किसान (उत्पादक) है, वह अन्य राज्य की मंडी में अपनी स्वयं के स्वामित्व की कृषि उपज को भेज रहा है।

ग्राम पंचायत ..... सरपंच के हस्ताक्षर

तहसील .....

जिला .....

प्रारूप - ग्यारह "क"

(मात्रा क्विंटल में, मूल्य रूपये में)

पाक्षिक विवरण पत्रक-व्यापारी

खण्ड "क"

व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी/फर्म का नाम ..... अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

दिनांक ..... से दिनांक ..... तक के विवरण

क्र.	कृषि उपज का नाम	विक्रय प्रमाणक के आधार पर क्रय		वाणिज्यिक सव्यंवहार के अंतर्गत क्रय				म.प्र. के बाहर से क्रय		पक्ष में क्रय किया गया कुल स्कन्ध		पक्ष के प्रारम्भ में स्कन्ध		योग (उपलब्ध कुल स्कन्ध)	
				अनुज्ञापत्रों के आधार पर क्रय		बिलों के आधार पर स्थानीय क्रय									
		वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन 3+5+7+9	मूल्य 4+6+8+10	वजन	मूल्य	वजन 11+13	मूल्य 12+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
योग															

वजन/मूल्य जिस पर मंडी शुल्क देय है		जमा मण्डी शुल्क		कृषि उपज जिस पर मंडी शुल्क दिया जा चुका है		निर्गमित करने हेतु अनुज्ञापत्र		स्थानीय विक्रय बिलों के आधार पर		पक्ष में कुल विक्रय		पक्ष के अंत में शेष स्कन्ध		जमा निराश्रित शुल्क		टिप्पणी
वजन 3+9	मूल्य 4+10	राशि	रसीद न. व दिनांक	वजन 5+7	मूल्य 6+8	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन 23+25	मूल्य 24+26	वजन 15-27	मूल्य 16-28	राशि	रसीद न. व दिनांक	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

नोट :- 1. कालम क्र. 3 से 10 एवं 23 से 26 तक के सम्बन्ध में व्यापारीवार विस्तृत जानकारी विवरणी के खण्ड ख में प्रस्तुत की जावें।

प्रस्तुतकर्ता व्यापारी/फर्म की मुद्रा एवं
हस्ताक्षर दिनांक सहित।

ग्यारह खण्ड "ख"

क्र.	विक्रेता/क्रेता व्यापारी का नाम एवं पता	विक्रय प्रमाणक न. व दिनांक अनुज्ञापत्र क्र. एवं दिनांक बिल क्र. एवं दिनांक प्रदेश के बाहर का बिल क. एवं दिनांक	लायी गयी/बेची गयी कृषि उपज का नाम			कृषि उपज मंडी क्षेत्र में आने का दिनांक	प्रस्तुत करने का दिनांक (कालम 3 में वर्णित)
			नाम	वजन	मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

प्रस्तुतकर्ता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता,
विनिर्माता फर्म
की मुद्रा एवं हस्ताक्षर

नोटः- विक्रेता एवं क्रेता के लिये **खण्ड "ख"** में पृथक-पृथक जानकारी दी जावें।

प्रपत्र - ग्यारह-ग

प्रांगण के बाहर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी

अनुज्ञप्तिधारक का नाम

क्रय केन्द्र का नाम

सप्ताह (दिनांक ..... से ..... तक)

(जानकारी दिनांकवार पृथक-पृथक योग सहित दी जावें)

सरल क्रमांक	विक्रेता का नाम	सौदा पत्रक का क्रमांक एवं दिनांक	लाई गई कृषि उपज का नाम	लाई गई कृषि उपज की मात्रा	दर प्रति क्विंटल	केता द्वारा क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य	विक्रेता को भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

भुगतान पत्रक का क्रमांक/दिनांक	जमा की गई मंडी फीस की राशि एवं दिनांक तथा रसीद क्रमांक	जमा किया गया निराश्रित शुल्क की राशि एवं दिनांक	रिमार्क
9	10	11	12

हस्ताक्षर अनुज्ञप्तिधारी फर्म/प्रतिनिधि.

प्रारूप - बारह "क"

(मात्रा क्विंटल में, मूल्य रूपये में)

पाक्षिक विवरण पत्रक-प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता

खण्ड "क"

प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी/फर्म का नाम ..... अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

दिनांक ..... से दिनांक ..... तक के विवरण

क्र0	कृषि उपज का नाम	विक्रय प्रमाणक के आधार पर क्रय		वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत क्रय				म.प्र. के बाहर से क्रय		पक्ष में क्रय किया गया कुल स्कन्ध		पक्ष के प्रारम्भ में स्कन्ध		योग (निर्गमित करने के लिये उपलब्ध स्कन्ध)	
				अनुज्ञापत्रों के आधार पर क्रय		बिलों के आधार पर स्थानीय क्रय									
		वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन 3+5+7+9	मूल्य 4+6+8+10	वजन	मूल्य	वजन 11+13	मूल्य 12+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
योग															

वजन/मूल्य जिस पर मंडी शुल्क देय है		जमा मण्डी शुल्क		कृषि उपज जिस पर मंडी शुल्क दिया जा चुका है अथवा मंडी शुल्क से छूट है		निर्गमित करने हेतु अनुज्ञापत्र		स्थानीय विक्रय बिलों के आधार पर		प्रसंस्कृत या विनिर्मित की गयी कृषि उपज		पक्ष के अंत में शेष स्कन्ध		जमा निराश्रित शुल्क		टिप्पणी
वजन 3+9	मूल्य 4+10	राशि	रसीद न. व दिनांक	वजन 5+7	मूल्य 6+8	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन 23+25	मूल्य 24+26	वजन 15-27	मूल्य 16-28	राशि	रसीद न. व दिनांक	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

नोट :- 1. कालम क्र. 3 से 10 एवं 23 से 26 तक के सम्बन्ध में व्यापारीवार विस्तृत जानकारी विवरणी के खण्ड ख में प्रस्तुत की जावें। 2. अधिसूचना क्र. ... दिनांक .... द्वारा दाल मिल प्रसंस्करणर्ताओं, विनिर्माता को म.प्र. के बाहर से क्रय दलहन पर मंडी शुल्क की छूट प्रदान की गयी है। अतः कालम 17 में सिर्फ कालम 3 एवं कालम 18 में कालम 4 की जानकारी प्रदर्शित की जाये।

प्रस्तुतकर्ता प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता
व्यापारी/फर्म की मुद्रा एवं हस्ताक्षर दिनांक सहित।

प्रारूप - बारह "ख'

क्र.	विक्रेता/क्रेता व्यापारी का नाम एवं पता	विक्रय प्रमाणक न. व दिनांक अनुज्ञापत्र क्र. एवं दिनांक बिल क्र. एवं दिनांक प्रदेश के बाहर का बिल क. एवं दिनांक	लायी गयी/बेची गयी कृषि उपज का नाम			कृषि उपज मंडी क्षेत्र में आने का दिनांक	प्रस्तुत करने का दिनांक (कालम 3 में वर्णित)
			नाम	वजन	मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रस्तुतकर्ता प्रसंस्करण या विनिर्माण कारखाने
के स्वामी/फर्म/अधिभोगी की मुद्रा एवं हस्ताक्षर

नोटः- विक्रेता एवं क्रेता के लिये **खण्ड "ख"** में पृथक-पृथक जानकारी दी जावें।

प्ररूप - बारह-ग

वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण या विनिर्माण हेतु क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों (दलहनों) की जानकारी का पाक्षिक/वार्षिक विवरण पत्रक

अनुज्ञप्तिधारी प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का नाम ..... अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक

क्र.	कृषि उपज का नाम	पक्ष/वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कुल	प्रदेश के बाहर से क्रय की गई कृषि उपज का विवरण		प्रदेश के भीतर से क्रय की गई कृषि उपज का विवरण			योग (6+7+8)	क्रय की गई कुल कृषि उपज (3+9)	पक्ष/वर्ष में प्रसंस्करण या विनिर्माण के उपयोग में लाई गई मात्रा	पक्ष/ वर्ष के अंत में कृषि उपज का शेष स्कंध	अभियुक्तियॉ
			मात्रा वजन	बिल अनुसार मूल्य	बिक्री प्रमाणक के आधार पर	स्थानीय व्यापारियों से बिलों के आधार पर क्रय	मंडी क्षेत्र के बाहर से अनुज्ञापत्र के आधार पर क्रय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणित किया जाता है -

(1) उपरोक्तानुसार कॉलम (4) में दर्शायी गई कृषि उपज प्रदेश के बाहर से क्रय की गई है।

(2) उपरोक्तानुसार कॉलम (4) में दर्शायी गई कृषि उपज स्वंय के कारखाने के उपयोग में प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिये लाई गई है।

(3) उपरोक्त जानकारी फर्म द्वारा संधारित अभिलेखों के आधार पर दी गई है एवं सही है।

टीप :- 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का वार्षिक विवरण इसी प्ररूप में 30 अप्रैल के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

.....
हस्ताक्षर - फर्म/प्रतिनिधि
नाम .....

प्ररूप - बारह-घ

वाणिज्यिक संव्यवहार के अंतर्गत प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण या विनिर्माण हेतु क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपजों (दलहनों) के परिवहन/भुगतान/प्रसंस्करण या विनिर्माण संबंधी जानकारी का पाक्षिक/वार्षिक विवरण पत्रक

अनुज्ञप्तिधारी प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का नाम ..... अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक

क्र.	प्रदेश के बाहर से क्रय की गई कृषि उपज के परिवहन का विवरण						विक्रेता का भुगतान का विवरण			अन्तर्राज्यीय मंडी जॉच चौकी पर प्रविष्टी		मंडी में बिल प्रस्तुत करने का दिनांक
	कृषि उपज का नाम	मंडी क्षेत्र में आने का दिनांक	विक्रेता का नाम एवं स्थान	ट्रांसपोर्टर का नाम एवं पता	बिल्टी एवं बिल क्रमांक व दिनांक	ट्रक क्रमांक	चेक/ ड्राफ्ट क्रमांक/ दिनांक	बैंक का नाम	भुगतान की गई राशि	जॉच चौकी का नाम एवं पता	चौकी आवक पंजी में प्रविष्टी का क्रमांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रमाणित किया जाता है -

(1) परिवहन के दौरान परिवहन के साथ लाये गये अभिलेखों पर मार्ग में स्थापित मंडी की अन्तर्राज्यीय जांच चौकी की मुद्रा एवं प्रविष्टी क्रमांक अंकित कराया गया है।

(2) संलग्न 11 एवं 12 की जानकारी न देने की स्थिति में यह प्रमाणित किया जाता है कि परिवहन के मार्ग में मंडी की कोई अन्तर्राज्यीय जांच चौकी स्थापित नहीं है।

(3) उपरोक्त जानकारी फर्म द्वारा निर्धारित अभिलेखों के आधार पर दी गई है एवं पूर्ण सही है।

हस्ताक्षर - फर्म/प्रतिनिधि
नाम .....

प्ररूप - बारह-ड.

(मात्रा क्विंटल/बोरों में)

अधिसूचित कृषि उपजों के भण्डारण एवं निर्गमन से संबंधित विवरण पत्रक (भाण्डागारिक के लिए)

अनुज्ञप्तिधारी भाण्डागारिक (वेयर हाउसमेन) का नाम ..... स्थान ..... जिला ..... मंडी अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(दिनांक ..... से दिनांक ..... तक की अवधि के लिए)

क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	पक्ष का भण्डारित प्रारंभिक स्कंध			पक्ष में भण्डारण हेतु प्राप्त अधिसूचित कृषि उपज			अधिसूचित कृषि उपजों की कुल भण्डारित (उपलब्ध) मात्रा			पक्ष में भण्डागृह से निर्गमित मात्रा			पक्ष के अंत में भण्डार गृह उपलब्ध मात्रा		
		कृषकों द्वारा रखी गई मात्रा	व्यापारियों द्वारा रखी गई तात्रा	योग	कृषकों द्वारा रखी गई मात्रा	व्यापारियों द्वारा रखी गई तात्रा	योग	कृषकों द्वारा भण्डारित	व्यापारियों द्वारा भण्डारित	योग (5+8)	कृषकों द्वारा ले जाई गई मात्रा	व्यापारियों द्वारा ले जाई गई मात्रा	योग	कृषक द्वारा भण्डारित	व्यापारियों द्वारा भण्डारित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

नोट :- किसी भी व्यक्ति को म0प्र0कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार मंडी प्रांगण/मूल मंडी/मंडी क्षेत्र से अधिसूचित कृषि उपज को हटाने के लिए संबंधित मंडी समिति द्वारा प्रारूप-नौ में जारी अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य है। अतः अधिसूचित कृषि उपजों के निर्गमन के समय मंडी द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र का अवलोकन कर उसका क्रमांक/दिनांक भण्डारण पंजी/निर्गमन पंजी में दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपजों के अवैध कारोबार को नियंत्रित किया जा सके।

हस्ताक्षर
प्रबंधक प्रोपराईटर वेयर हाउस
मुद्रा
दिनांक .....

प्रारूप - तेरह

आदेश

कार्यालय
कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....

(उपविधि क्रमांक-21 (1) के अन्तर्गत)
(अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत)

नाम श्री/श्रीमति/कुमारी/फर्म ..... प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/व्यापारी एत्द्द्वारा आपकों सूचित किया जाता है कि अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित निम्नानुसार अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक ..... को ..... बजे जॉच हेतु प्रस्तुत किये जाये।

निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत किये जाते है तो अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

स्थान : .....
जारी करने का दिनांक : .....

जारी करने वाले के हस्ताक्षर
नाम .....
पद .....

अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....

प्रारूप- चौदह "क"

मात्रा क्विंटल में

मूल्य रूपये में

वार्षिक विवरण पत्रक-व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता

खण्ड "क"

प्रसंस्करण या विनिर्माण कारखाने के स्वामी/फर्म/अधिभोगी का नाम .....

अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

दिनांक ..... से दिनांक ..... तक के विवरण

क्र.	कृषि उपज का नाम	विक्रय प्रमाणक के आधार पर क्रय		अनुज्ञापत्र के आधार पर क्रय		कालम 3 एवं 4 का योग		कालम नं0 5 में उल्लेखित मूल्य पर देय मंडी शुल्क	जमा मंडी शुल्क	
		वजन	मूल्य	वजन	मूल्य	वजन	मूल्य		राशि	रसीद न. दिनांक
1	2	3		4		5		6	7	8

वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध स्कंध	वर्ष में क्रय स्कंध	योग	वर्ष में विक्रय/प्रसंस्कृत या विनिर्मित स्कंध		शेष स्कंध	टिप्पणी
			वजन	मूल्य		
9	10	11	12		13	14

प्रस्तुतकर्ता व्यापारी/फर्म/प्रसंस्करण या विनिर्माण कारखाने के
स्वामी/अधिभोगी की मुद्रा एवं हस्ताक्षर
दिनांक ..... सहित

प्रारूप- चौदह "ख"

क्रमांक	अनुज्ञापत्र क्रमांक	लाई गई कृषि उपज का नाम एवं मात्रा		कृषि उपज मंडी क्षेत्र में आने का दिनांक	अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करने का दिनांक
		नाम	मात्रा		
1	2	3	4	5	6

प्रस्तुतकर्ता व्यापारी/फर्म/प्रसंस्करण या विनिर्माण कारखाने के
स्वामी /अधिभोगी की मुद्रा एवं हस्ताक्षर
दिनांक ..... सहित

प्रारूप - चौदह-ग

(अधिनियम की धारा-21 (1) एवं उपविधि क्रमांक 21 (2) के अन्तर्गत)

(वार्षिक क्रय-विक्रय का विवरण अवधि 1 अप्रैल वर्ष ..... से 31 मार्च वर्ष ..... तक)

प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मंडी समिति,

..... जिला .....

उपरोक्त अवधि का वार्षिक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(1) खाते के अनुसार समस्त कृषि उपज के कुल क्रय मूल्य की राशि .....

(2) वह राशि जिस पर मंडी फीस का भुगतान किया गया है .....

(3) बिन्दु क्रमांक-1 में से बिन्दु क्रमांक-2 की राशि घटाने पर शेष राशि .....

(4) जमा की गई मंडी फीस .....

(5) मंडी क्षेत्र के बाहर से किन्तु प्रदेश के अन्दर से क्रय की गई कृषि उपज, जिसके अनुज्ञापत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किये गये है के मूल्य की राशि .....

(6) बिन्दु क्रमांक-3 में से बिन्दु क्रमांक-5 में उल्लेखित मूल्य की राशि घटाने पर शेष राशि .....

(7) ऐसी कृषि उपज जिस पर अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, के मूल्य की राशि ..... (प्रदेश के बाहर के लिए एवं अन्य प्रमाण संलग्न किये जाये)

(8) बिन्दु क्रमांक-6 की शेष राशि बिन्दु क्रमांक-7 में उल्लेखित राशि घटाने पर शेष राशि .....

(9) बिन्दु क्रमांक-8 में उल्लेखित राशि पर अवशेष मंडी फीस जमा करने की रसीद का क्रमांक ..... एवं दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारे द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार सही है।	प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी हमारे द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार सही है।
हस्ताक्षर व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता मुद्रा	हस्ताक्षर चार्टड एकाउन्टेन्ट मुद्रा

स्थान : .....

दिनांक : .....

मंडी समिति कर्मचारी की पावती के हस्ताक्षर .....

प्राप्तकर्ता का नाम .....

पद .....

"नोटः- चालीस लाख रूपये तक टर्न ओव्हर वाली फर्म/व्यक्ति, चार्टड एकाउन्टेन्ट के सत्यापन से मुक्त रहेगें।"

प्रारूप - पन्द्रह

आगमन पंजी दिनांक .....

(निरीक्षण चौकी पर कृषि उपजो की आवक के समय प्रविष्टि के लिये)

क्रमांक	वाहन क्रमांक	कहॉ से आया	जिन्स	मात्रा	किसके लिए आया
1	2	3	4	5	6

प्रारूप- सोलह

निर्गमन पंजी दिनांक .....

(निरीक्षण चौकी पर कृषि उपजो की निर्गमन के समय प्रविष्टि के लिये)

क्रमांक	वाहन क्रमांक	निर्गमन समय	जिन्स	भेजने वाले का नाम	मात्रा	अनुज्ञा पत्र क्रमांक मंडी का नाम	अनुज्ञा पत्र के अभाव में मंडी शुल्क वसूली राशि	वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप - सत्रह

(उपविधि कंडिका 23(2) के अंतर्गत)

मंडी क्षेत्र में कृषि उपजों के परिवहन के समय की गई जॉच/निरीक्षण का प्रतिवेदन

1. दिनांक .....
2. निरीक्षणकर्ता का नाम .....
3. पद .....
4. निरीक्षण का समय .....
5. निरीक्षण का विवरण

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

6. निष्कर्ष

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

7. प्रस्तावित कार्यवाही

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

8. प्रतिवेदन मंडी फीस शाखा में किस कर्मचारी को प्रदत्त किया गया उसका नाम ..... पद ..... प्रदत्त करने का दिनांक ..... समय .....

प्रतिवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

मंडी सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश .....

मंडी सचिव के हस्ताक्षर

प्रारूप - अठारह

प्रांगण के बाहर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी की दैनिक पंजी

अनुज्ञप्तिधारक का नाम ..... क्रय केन्द्र का नाम ..... दिनांक .....

क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम ..... पद .....

कमांक्र	विक्रेता का नाम	पता	विक्रय की गई उपज का नाम	मात्रा/ वजन	भाव	कृषि उपज का मूल्य	भुगतान की गई राशि	भुगतान पत्रक का क्रमांक/ दिनांक	भुगतान प्राप्ति के विक्रेता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मंडी समिति को भुगतान पत्रक प्रेषण का दिनांक	क्रय केन्द्र पर गत दिवस तक क्रय की गई कृषि उपज की मात्रा	क्रय केन्द्र पर गत दिवस तक क्रय की गई कृषि उपज का मूल्य
11	12	13

हस्ताक्षर क्रय केन्द्र प्रबंधक

नाम- .....

प्रारूप - उन्नीस

संविदा कृषि के लिये आदर्श अनुबन्ध

(अनुबन्ध के सभी खण्ड "**आदर्श संविदा कृषि अनुबन्ध की विषयवस्तु**" के अधीन दी गई सम्बन्धित व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्यधीन है)

यह अनुबन्ध ..... में ..... (माह) ..... के ..... दिन ..... (वर्ष) में ..... (नाम/पद) आयु ....., निवासी ....., जिसे/जिन्हें इसके बाद प्रथम भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि सन्दर्भ और उसके अर्थ से असंगत न हो, उसका अभिप्राय वही होगा एवं उसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती सम्मिलित होंगें) एक पक्ष और में/..... एक निजी/सार्वजनिक मर्यादित कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में हैं, जिसे इसके बाद द्वितीय भाग का पक्षकार कहा गया है (जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि सन्दर्भ एवं उसके अर्थ से असंगत न हो उसका अभिप्राय वही होगा और उसमें उसके उत्तराधिकारी और समुनेदेशिती सम्मिलित होंगे) दूसरा भाग होगा, के बीच सम्पन्न किया गया है और प्रवेश किया गया है।

जबकि प्रथम भाग का पक्षकार, निम्नांकित नम्बरों वाली कृषि भूमि का स्वामी/कृषक है :-

ग्राम	मानांक	हेक्टर में क्षेत्रफल	तहसील एवं जिला	राज्य

और जबकि द्वितीय भाग का पक्षकार कृषि उपज में व्यापार कर रहा है और भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबन्धन, सिंचाई, फसल कटाई और ऐसी ही समान मुद्दों पर तकनीकी समझ भी दे रहा है।

और जबकि द्वितीय भाग के पक्षकार की रूचि, कृषि उपज की वस्तुओं में, विशेषकर जो इसके साथ अनुलग्न अनुसूची-एक में उल्लेखित है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार के अनुरोध पर, प्रथम भाग का पक्षकार खेती करने और इसके साथ अनुलग्न अनुसूची-एक में उल्लेखित कृषि उपज की वस्तुएं पैदा करने के लिये सहमत हो गया है।

और जबकि इससे सम्बद्ध पक्षकारगण एतद् पश्चात प्रगट होने वाले तरीके से निबन्धनों एवं शर्तो को लेखबद्ध करने के लिए सहमत हो गये हैं।

अब ये साक्ष्य हो तथा एतद् द्वारा और पक्षकारों के बीच यह इस प्रकार निम्नानुसार सहमति हुई है :-

खण्ड-1

प्रथम भाग के पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार के लिये खेती करने और उपज प्रदाय करने के लिए सहमत है तथा द्वितीय भाग के पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार से कृषि उपज की वस्तुएं, जिनकी विशिष्टियां, गुणवत्ता, मात्रा और वस्तुओं का मूल्य, विशेषकर एतद् अनुलग्न अनुसूची-एक में उल्लेखित है, क्रय करने के लिए सहमत है।

खण्ड-2

वह कृषि उपज जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न अनुसूची-एक में उल्लेखित है इसके बाद की तारीख से ..... माह/वर्षो को अवधि के अन्दर प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा द्वितीय भाग के पक्षकार को प्रदाय की जायेगी।

या

एतद् पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति हुई है कि यह अनुबन्ध उस कृषि उपज के लिए है जिसकी विशिष्टियां एतद् अनुलग्न **अनुसूची-एक** में वर्णित है तथा ..... माह/वर्षो की अवधि के लिए है तथा कथित अवधि के अवसान हो जाने के बाद, यह अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायगा।

खण्ड-3

प्रथम भाग का पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार को एतद् अनुलग्न **अनुसूची-एक** में उल्लेखित खेती करने, उपजाने और मात्रा, प्रदाय करने के लिए सहमत है।

खण्ड-4

प्रथम भाग का पक्षकार,अनुबद्ध अनुसूची-एक में गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुसार संविदा की गई मात्रा प्रदाय करने के लिए सहमत है। यदि सहमत गुणवत्ता मानक के अनुसार कृषि उपज नहीं है, तो द्वितीय भाग का पक्षकार इसी कारण पर कृषि उपज का परिदान लेने से मना करने का हकदार होगा, तब-

(क) प्रथम भाग का पक्षकार, द्वितीय भाग के पक्षकार को आपस में किये गए सौदागत मूल्य पर उपज बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा।

या

(ख) खुली मंडी में (थोक क्रेता अर्थात निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/ निर्माता आदि को) और यदि वह संविदा की गई उपज से कम मूल्य पाता है, तो वह द्वितीय भाग के पक्षकारको उसके निवेश के लिये यथा- अनुपात कम का भुगतान करेगा।

या

(ग) मंडी प्रांगण में और यदि उसके द्वारा प्राप्त मूल्य संविदा किए गए मूल्य से कम है, तब द्वितीय निवेश के पक्षकार के लिए यथा अनुपात कम लौटायेगा।

द्वितीय भाग का पक्षकार अपने स्वयं के कारणों से संविदा की गई उपज का परिदान लेने से मना करता है/में असफल रहता है, जब प्रथम भाग का पक्षकार उपज खुली मंडी में बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा और यदि प्राप्त किया गया मूल्य संविदा मूल्य से नीचे है, तो अन्तर द्वितीय भाग के पक्षकार के खाते पर होगा, द्वितीय भाग का पक्षकार, प्रथम भाग के पक्षकार को कथित अन्तर विनिश्चित करने से ..... दिवस की अवधि के अन्दर अन्तर का भुगतान करेगा।

खण्ड-5

द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा समय-समय पर सुझाये अनुसार प्रथम भाग का पक्षकार भूमि की तैयारी, रोपणी, उर्वरण, नाशी कीट प्रबन्धन, सिंचाई, फसल कटाई और किन्ही अन्य निर्देशो/प्रणालियों को अपनाने और एतद् अनुलग्न अनुसूची-एक में उल्लेखित विनिर्दिष्टियों के अनुसार खेती करने और वस्तुएं उत्पादित करने के सहमत है।

खण्ड-6

पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि खरीदी निम्नलिखित निबन्धनों के अनुसार होगी और क्रय के तुरन्त बाद खरीद पर्चियां जारी की जावेगी।

दिनांक	परिदान बिन्दु	परिदान का मूल्य

यह और सहमति है कि सहमत परिदान बिन्दु पर परिदान अर्पित करने के बाद द्वितीय भाग के पक्षकार का संविदागत उपज का आधिपत्य लेने का उत्तरदायित्व होगा तथा यदि ..... अवधि के अन्दर वह परिदान लेने में असफल होता है तब प्रथम भाग का पक्षकार संविदागत कृषि उपज को निम्नानुसार बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा :

(क) खुली मंडी में (थोक क्रेता, अर्थात निर्यातक/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/ निर्माता आदि को), और यदि वह संविदागत मूल्य से कम पाता है, तो वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके निवेश के लिये यथा अनुपात कम भुगतान करेगा।

(ख) मंडी प्रांगण में, और यदि प्राप्त मूल्य से संविदागत मूल्य से कम है, तब वह द्वितीय भाग के पक्षकार को उसके विनियोग के लिये यथा अनुपात कम लौटायेगा।

यह और सहमति है कि मार्ग में गुणवत्ता रख-रखाव, द्वितीय भाग के पक्षकार का उत्तरदायित्व होगा और प्रथम भाग का पक्षकार उसके लिये उत्तरदायी या दायी नहीं होगा।

खण्ड-7

जब फसल काट ली जाय और द्वितीय भाग के पक्षकार को परिदान कर दी जाय, प्रथम भाग के पक्षकार को द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा दिये गये अबशेष अग्रिमों को घटाकर, द्वितीय भाग का पक्षकार अनुसूची एक में उल्लेखित मूल्य/भाव, प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान करेगा। भुगतान के लिये निम्नांकित अनुसूची अपनाई जावेगी :-

दिनांक	भुगतान की रीति	भुगतान का स्थल

खण्ड-8

एतद् अनुसूची-एक में उल्लेखित संविदा की गई उपज का एतद् पक्षकारगण ..... अवधि के लिये विनिर्दिष्ट सम्पदा के ईश्वरीय कृत्य से विनाश, ऋण व्यतिक्रम और उत्पादन तथा आय हानि और पक्षकारगण के नियन्त्रण के बाहर के अन्य समस्त कृत्य या घटनाएं जैसे कि बीमारी के गम्भीर प्रादुर्भाव, महामारी या असामान्य मौसम की स्थिति, बाढ़, सूखे, ओले, चक्रवात, भूकम्प, आग या अन्य विपत्तियों, युद्ध द्वारा कारित बहुत कम उत्पादन, शासन के कृत्य विद्यमान या इस अनुबन्ध के प्रभावी होने की तारीख के बाद जो पूर्णतया या आंशिक रूप से कृषक की बाध्यता पूर्ति रोकते है, के विरूद्ध बीमा करायेंगें। अनुरोध करने पर, प्रथम भाग का पक्षकार ऐसी कृतियों को अवलम्ब लेकर अन्य (दूसरे) पक्ष को विद्यमान तथ्यों की अभि पुष्टि प्रदान करेगा। ऐसा प्रमाण उपयुक्त शासकीय विभाग के प्रमाण पत्र के विवरण के रूप में होगा। यदि ऐसे प्रमाण पत्र का विवरण युक्तियुक्त रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कृत्य के बदले में दावा करने वाला प्रथम भाग का पक्षकार, दावाकृत तथ्यों को विस्तार में वर्णन करते हुए और कारणों का कि ऐसे तथ्यों की विद्यमानता की अभिपुष्टि का प्रमाण-पत्र या विवरण का एक लेख्य-विवरण देगा। विकल्प के रूप में, दोनों पक्षकारों के बीच आपसी अनुबन्ध के अध्यधीन, प्रथम भाग का पक्षकार अपने उत्पादन का कोटा अन्य स्त्रोतों के माध्यम से पूरा कर सकता है और उससे उसके द्वारा भुगती गई मूल्य अन्तर की हानि बीमा कम्पनी से वूसल की गई राशि विचार में लेने के बाद पक्षकारों के बीच समान रूप से बांटी जायगी। बीमा की प्रब्याजि (प्रीमियम) दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझा की (बांटी) जायगी।

खण्ड-9

द्वितीय भाग का पक्षकार एतद् द्वारा, प्रथम भाग के पक्षकार को खेती और फसल कटाई बाद के प्रबन्धन की अवधि में निम्नांकित सेवाएं प्रदाय करने के लिये सहमत है, जिन सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

5. .....

खण्ड-10

द्वितीय भाग का पक्षकार या उसके प्रतिनिधि प्रथम भाग के पक्षकार द्वारा स्थापित/नामित कृषकों के मंच के साथ संविदा अवधि में नियमित पारस्परिक आदान-प्रदान करते रहने के लिये सहमत है।

खण्ड-11

द्वितीय भाग का पक्षकार या उसके प्रतिनिधि अपने स्वयं के व्यय पर समय-समय पर अपनाई गई कृषि प्रणालियों और उपज की गुणवत्ता का अनुश्रवण करने हेतु प्रथम भाग के पक्षकार की परिसर/प्रक्षेत्रों में प्रवेश करने के हकदार होंगें।

खण्ड-12

द्वितीय भाग का पक्षकार यह अभिपुष्ट करता है कि उसने अपने आप को पंजीयन प्राधिकारी ..... के पास ..... को पंजीकृत करा लिया है और वह इस संबंध में प्रचलित कानून के अनुसार उस पंजीयन प्राधिकारी को शुल्क का भुगतान कर देगा, जिसे वर्णित भूमि ..... पर की गई कृषि की कृषि उपज के विपणन का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

या

द्वितीय भाग के पक्षकार ने राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में विहित पंजीकरण प्रराधिकारी के पास अपने आपको एकास्थानीय पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत कर लिया है। सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उद्गृहित शुल्क द्वितीय भाग के पक्षकार द्वारा ही अनन्य रूप से वहन किया जायेगा और जिसमें कुछ भी, किसी रीति में प्रथम भाग के पक्षकार को भुगतान की गई राशि से नहीं काटा जायेगा।

खण्ड-13

द्वितीय भाग के पक्षकार को, प्रथम भाग के पक्षकार की भूमि/सम्पत्ति के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा और न तो वह प्रथम भाग के पक्षकार को, खासकर भूमि सम्पत्ति से, किसी प्रकार से अन्य संक्रामित (पर हस्तान्तरित) करेगा, न ही प्रथम पक्षकार की भूमि सम्पत्ति को, इस अनुबन्ध के प्रवर्तन पर्यन्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बन्धक, पटटे, उप पटटे पर देगा या अन्तरण करेगा।

खण्ड-14

द्वितीय भाग का पक्षकार, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुबन्ध की सत्य प्रति, उसके निष्पादन के 15 दिवस के भीतर, जैसा कि कृषि उपज विपणन विनियम अधिनियम (कृषि उपज मंडी अधिनियम) में अपेक्षित है, मंडी समिति/पंजीकरण प्राधिकारी ...../इस उददेश्य के लिये विहित किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

खण्ड-15

संविदा का विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण दोनों पक्षकारों की सहमति से होगा। ऐसा विच्छेद या अवसान /निरस्तीकरण विलेख, ऐसे विच्छेद, अवसान/निरस्तीकरण के 15 दिवसों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को संसूचित किया जायेगा।

खण्ड-16

इस अनुबन्ध के अधीन, एतद्द्वारा सम्बद्ध दोनों पक्षकारों के बीच हक और दायित्वों के सम्बन्ध में या एक पक्षकार का दूसरे के विरूद्ध आर्थिक अथवा अन्यथा दावे के सम्बन्ध में या इस अनुबन्ध के किसी निबन्धनों के प्रभाव और शर्तो के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद उद्भूत होने की स्थिति में, ऐसा विवाद या मतभेद, इस उददेश्य से गठित माध्यमस्थम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

खण्ड-17

किसी पक्षकार के पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, यह दूसरे पक्षकार को तथा पंजीकरण प्राधिकारी को भी संसूचित किया जाना चाहिये।

खण्ड-18

इस अनुबन्ध के अधीन, एतद् सम्बद्ध प्रत्येक पक्षकार दूसरे के साथ अपने दायित्वों का पालन करने में तत्परता और ईमानदारी से स्वस्थ विश्वास में कार्य करेगा और दूसरे के हितों को संकट में डालने का कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

इसकी साक्ष्य में पक्षकारों ने यह अनुबन्ध पहले ऊपर उल्लेखित ..... माह के ..... दिन और ..... वर्ष पर हस्ताक्षरित किया है।

नाम के अधीन ''प्रथम भाग के पक्षकार''
द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित,
मुद्रांकित और प्रदत्त किया गया -

1. .....
2. .....

नाम के अधीन ''द्वितीय भाग के पक्षकार''
द्वारा इनकी उपस्थित में हस्ताक्षरित,
मुद्रांकित और प्रदत्त किया गया -

1. .....
2. .....

अनुसूची - एक

श्रेणी, निर्दिष्टि, मात्रा और मूल्य सारिणी

श्रेणी	निर्दिष्टि	मात्रा	मूल्य/भाव
श्रेणी - प्रथम या 'क'	आकार, रंग, सुरभि (सुगंध) आदि		
श्रेणी - द्वितीय या 'ख'			

घोषणा

मैं/हम आवेदक एतद्द्वारा शपथपूर्वक घोषित करता/करती/करते हूँ/हैं कि संविदा कृषि के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनाऐं मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य हैं तथा सही अभिलेखित की गई है और सूचना में कोई बात छिपाई नहीं गई है।

2 आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम उपविधि, कार्यालय मैनुअल एवं अधिनियम में विहित संविदा कृषि के समस्त प्रावधानों एवं संविदा कृषि के अनुबंध की शर्तो का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।

3. अधिनियम, नियम, उपविधि, कार्यालय मैनुअल एवं संविदा कृषि के अनुबंध की शर्तो एवं प्रावधानों में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर संविदा कृषि हेतु धारा 37-क (1) के अधीन पंजीकरण, मंडी समिति द्वारा निलम्बित अथवा रदद कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगा।

4. आवेदक यह विश्वास दिलाता/दिलाते है/हैं कि मंडी समिति से समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का भी आवेदक द्वारा पालन किया जावेगा और ऐंसा कोई भी कार्य या प्रकिया नहीं की जाएगी जो उत्पादक कृषक के हितों के प्रतिकूल हो। कृषक उत्पादक के हितों का हर संभव संरक्षण किया जावेगा।

5. आवेदक संविदा कृषि के पंजीकरण के लिये आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित पंजीकरण फीस का बैंक ड्रफट संलग्न कर रहा है।

(हस्ताक्षर आवेदक संविदा खेती क्रेता)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1. कुल रूपये ..... पैसे ..... (शब्दों में) ..... रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त कर संविदा कृषि पंजीकरण पंजी में अनुक्रमांक ..... पर पृविष्ट किया गया।

लेखापाल लिपिक

2. पंजीकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने के संबंध में मंडी समिति के ठहराव क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसरण में आदेश जारी किया गया।

स्वीकृति की स्थिति में पंजीकरण क्रमांक .....

सचिव

प्रारूप - बीस

संविदा खेती के लिखित करार के रजिष्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र.

(देखिये धारा 37-क(1) एवं उपविधि की कंडिका क्रमांक- .....)

प्रति,

अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला .....

(1) आवेदक/क्रेता फर्म (द्वितीय पक्ष) का नाम : .....
आवेदक की ओर से आवेदनकर्ता का नाम : .....
पिता का नाम : .....
आवेदनकर्ता की पदीय स्थिति : .....
कार्यालय का पता : .....
पता (निवास) : .....
दूरभाष क्रमांक : कार्यालय- ..... निवास- .....

(2) क्या आवेदक/फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/व्यक्तिगत/कंपनी /सरकारी संस्था है ? (हैसियत अंकित की जाय) : .....

(3) आवेदक फर्म/हिन्दु संयुक्त परिवार/कंपनी/सहकारी संस्था/ व्यक्तिगत है तो संबधित/ समस्त भागीदार कर्ता/ संचालक के नाम एवं पूर्ण पता : .....

नाम	आयु	पता	टेलिफोन नम्बर	आरक्षित केन्द्र का नाम
.....	.....	.....	.....	.....

(4) आवेदक फर्म/कंपनी/सहकारी संस्था है तो पंजीयन क्रं0 एव दिनांक (पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।) : .....

(5) 1.1 आवेदक का जी.एस.टी पंजीयन क्रमांक : .....

1.2 राज्य के व्यापारियों के लिये समग्र पहचान पत्र : .....

1.3 राज्य के बाहर के व्यापारियो के लिये आधार नम्बर : .....

1.4 केन्द्रीय कर पंजीयन क्रमांक : .....

(6) आवेदक का आयकर स्थाई खाता क्रंमांक : .....

(7) आवेदक/फर्म के जिन बैकों में खाते हैं उनके नाम एवं खाता क्रं. तथा खाते में जमा राशि

बैंक का नाम	खाता क्रं0	आवेदन दिनांक को जमा राशि
.....	.....	.....

(8) आवेदक के कारोबार के मुख्य स्थान एवं शाखाओं के पते :-

मुख्यालय का पता एवं दूरभाष क्रमांक	शाखाओं के नाम पता एवं दूरभाष क्रमांक	शाखा प्रबंधक का नाम	मुख्यालय प्रबंधक का नाम
.....	.....	.....	.....

(9) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादक (प्रथम पक्ष) का नाम/पूर्ण पता : .....

(10) संविदा कृषि हेतु आवेदक द्वारा चयन की गई अधिसूचित कृषि का नाम, किस्म, अनुमानित उपज मात्रा : .....

(11) संविदा कृषि हेतु चयन की गई उत्पादक की भूमि का विवरण :-

ग्राम	मानांक	भूमि का क्षैत्रफल(हेक्टे.)	तहसील/जिला
.....	.....	.....	.....

(12) क्या आवेदक मंडी समिति का पूर्व अनुज्ञप्ति (पंजीयन) धारक है? यदि हो, तो गत वर्ष का पंजीयन क्रमांक नवीन अनुज्ञप्ति (पंजीयन) ग्रहिता है : .....

तो व्यवसाय/व्यापार प्रारम्भ करने का दिनांक

(13) यदि (इस आवेदन के पूर्व) आवेदनकर्ता द्वारा अन्य उत्पादको से संविदा कृषि हेतु करार किया गया है तो उनका नाम, पता, स्थान अधिसूचित कृषि उपज का नाम, किस्म, मात्रा एवं मूल्य आदि विवरण संलग्न करें। : .....

(14) क्या संविदा खेती से संबंधित प्रदेश के किसी मंडी क्षेत्र में कोई विवाद उद्भूत हुआ है या चल रहा है? यदि हॉ, तो करार सहित विस्तृत विवरण संलग्न करें। : .....

(15) आवेदक क्रेता एवं उत्पादक के मध्य सम्पादित लिखित करार की छायाप्रति संलग्न करें। : .....

मैं/हम, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 तदाधीन बनाये गये नियम एवं उपविधियॉ भली भांति पढ़ी एवं समझी हैं। मैं/हम उनका यथाविधि पालन करूंगा/करूंगी/करेगें/तथा वे मुझे/हमें मान्य होंगे।

निवेदन है कि संविदा कृषि हेतु संलग्न करार के अनुसार मंडी समिति, ... में पंजीकरण करने का कष्ट करें। पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क, राशि रूपये ..... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... जो कि ..... बैंक ..... का है, संलग्न है।

स्थान : .....
दिनांक : .....

आवेदक के हस्ताक्षर .....
नाम .....
पद .....
मुद्रा .....

प्रारूप - इक्कीस

कार्यालय

कृषि उपज मंडी समिति .....

जिला ..... (म0प्र0)

(अधिनियम की धारा 37-क (2) के अधीन निष्पादित करार का रजिस्ट्रीकरण)

पंजीक्रकरण क्र0 ..... पंजीकरण दिनांक / /

1. म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र0 24 सन्-1973) की धारा 37-क की उपधारा(1) के अधीन संविदा खेती के लिए ।

   क्रेता श्री ..... निवासी .....
   एवं उत्पादक श्री .....
   निवासी .....

   के बीच दिनांक ..... को निष्पादित करार (संलग्न) का धारा 37-क (2) के अधीन मंडी समिति द्वारा रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) किया जाता है। मंडी समिति द्वारा मुद्रांकित पंजीकृत लिखित करार की एक-एक प्रति क्रेता एवं उत्पादक को प्रदाय की जाती है।

2. संविदा के विच्छेद/अवसान/निरस्तीकरण के दिनांक से यह पंजीकरण स्वमेंव रद्द/निष्प्रभावी हो जावेगा।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव
कृषि उपज मंडी समिति .....
जिला ..... (म0प्र0)

अनुसूची

(उपविधि कण्डिका-27 के अधीन)

सरल क्रमांक	अधिसूचित कृषि उपज	न्यूनतम मात्रा (मी.टन)
1	चना	1000 मी.टन
2	गेहूं	2000 मी.टन
3	तुअर	500 मी.टन
4	सोयाबीन	2000 मी.टन
5	कपास	1000 मी.टन
6	सरसों	2000 मी.टन
7	मूंगफली	2000 मी.टन
8	फूल	600 मी.टन